तृतीय माला, खण्ड १०—अंक १३

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९६२
२ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(तीसरा सत्र)

3rd Lok Sabha

P-15
13
15-1-63

(खण्ड १० में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया (देश में)

चार शिलिंग (विदेश में)

विषय सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ से ३६१ और ३६३ . .	१३५७–८५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१३८५–८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या ३४०, ३६२ और ३६४ से ३६९ . .	१३८६–८९
अतारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ८५७ . . .	१३९०–१४२६
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४२६–२९
राज्य सभा से सन्देश	१४२९
प्राक्कलन समिति	१४२९
ग्यारहवां प्रतिवेदन . . .	१४२९
सभा का कार्य	१४२९–३१
विधेयक पुरस्थापित—	
(१) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक	१४३१
(२) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक . .	१४३१–३२
(३) संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक, १९६२ .	१४३२
(४) वस्त्र समिति विधेयक	१४३२–३३
चीनियों के आक्रमण के सम्बन्ध में प्रचार पर टिप्पण के बारे में	
भारत की प्रतिरक्षा विधेयक	१४३३–४२
विचार करने का प्रस्ताव .	१४३३–४२
श्री हेम बरुआ	१४३३–३४
श्री अ० चं० गुह . .	१४३४
श्री उस्मान अली खां . .	१४३५
श्री हेडा	१४३५
श्री भू० ना० मंडल	१४३५–३९

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

[शेष मुख पृष्ठ ३ पर देखिये

लोक-सभा

शुक्रवार, २३ नवम्बर, १९६२

२ अग्रहायण, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल

†*३४१. { श्री स० मो० बनर्जी :
श्री दाजी :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल में संयुक्त मंत्रणा व्यवस्था का गठन कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रबन्धक राज्य सरकार से परामर्श कर रहे हैं।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या शीघ्र ही निर्णय किये जाने की संभावना है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है कि जब तक किसी संघ को प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है, इस प्रकार की समिति बनाना संभव नहीं है। हम अभी मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श कर रहे हैं और संभवत: इस संकट-काल में, वर्तमान वातावरण को देखते हुए कुछ परिणाम प्राप्त हो सकें।

†श्री स०मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि प्रबन्धक इस संकट काल में औद्योगिक शांति के लिये दोनों संघों से बातचीत कर रहा है ?

†मूल अंग्रेजी में

2367 (Ai) LSD-1

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** इसीलिये मैंने बताया कि वर्तमान वातावरण में कुछ किया जा सकता है ।

†**श्री वारियर :** क्या प्रबंधकों ने यह पता लगा लिया है कि किस संघ में अधिक व्यक्ति सदस्य हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार उस प्रतिनिधि संघ से बातचीत करने को तैयार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं नहीं समझता कि प्रबन्ध ऐसा करेगा । यह काम तो कार्मिक संघों के रजिस्ट्रार का है । परन्तु अब यह प्रश्न है कि क्या किसी संघ को प्रतिनिधि संघ के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकती है या नहीं । मध्य प्रदेश सरकार का यह मत है कि ऐसे किसी संघ को मान्यता देना संभव नहीं है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यदि संघ को मान्यता न भी प्रदान की गई, तो क्या सरकार को इस बात का पता नहीं है कि औद्योगिक शांति बनाये रखने के लिये अनुशासन संहिता के अन्तर्गत संयुक्त व्यवस्था को मान्यता प्रदान न किये गये संघों पर भी लगाया जा सकता है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मैं इस से सहमत हूं । परन्तु हमें मध्य प्रदेश राज्य में चालू नियमों का अनुसरण करना पड़ता है । इसीलिये हमें यह कार्य मध्य प्रदेश सरकार के परामर्श से करना पड़ता है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या सरकार को पता है कि इस संकट-काल में यह आवश्यक है कि औद्योगिक शांति बनाई रखी जाये और श्रमिकों को कार्मिक संघों के मामले में प्रतिस्पर्धा में शामिल होने की अनुमति दे कर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस को बिगाड़ने का प्रयत्न न किया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक सुझाव है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** मैं अपने प्रश्न को स्पष्ट करना चाहता हूं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को पता है कि इस संकट काल में यह नितान्त आवश्यक है कि औद्योगिक शांति बनी रहे और श्रमिकों को कार्मिक संघों के आधार पर प्रतिस्पर्धा में शामिल होने के लिये अनुमति दे कर इस को बिगाड़ने की कोशिश न की जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या सरकार को पता है कि इस समय शांति बनाये रखने की ही इच्छा होनी चाहिये ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हमें इस का पता नहीं है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या मैं जान सकती हूं कि क्या संघों में उचित रूप से नेतागीरी के अभाव में सरकार कल्याण संगठनों को सुदृढ़ बनाने के लिये विचार कर रही है जो हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने में श्रमिकों की कठिनाइयों को बताने और उन को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** चार संघ पहले ही हैं और प्रश्न इन संघों में स्पर्धा को रोकने का है । वर्तमान संकट-काल में जहां तक श्रमिकों का संबंध है, उन्हों ने एक हो कर काम करने का फैसला किया है और हमें इस का पूरा लाभ उठाना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्कूटरों की कीमत

+

†*३४२. श्री स० चं० सामन्त :
श्री रामरतन गुप्त :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री यशपाल सिंह :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर बनाने वालों ने स्कूटरों का दाम घटाने का फैसला किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक निर्माता द्वारा की जाने वाली कमी का ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

निर्माण की प्रथम स्थिति में स्कूटरों का मूल्य निर्धारित करने में सरकार प्राक्कलित उत्पादन लागत के आधार पर और इस के उद्भव के देश में मूल्य के आधार पर ध्यान देती है । उस के बाद सरकार द्वारा किये गये विस्तृत लागत परीक्षा के आधार पर समय समय पर मूल्यों का पुनर्विलोकन किया जाता है । इस प्रकार निर्धारित किये गये स्कूटरों के मूल्य अक्तूबर, १९६२ में निम्न प्रकार हैं :

	हाल के निर्धारण से पूर्व खुदरा विक्रय मूल्य	हाल के निर्धारण के बाद खुदरा विक्रय मूल्य	टिप्पण
	रुपये	रुपये	
१. लम्ब्रेटा १५० सी० सी०	१८००+३० दो टोन के लिये	१८८३+३० दो टोन के लिये	विस्तृत लागत परीक्षा के आधार पर ।
२. वेस्पा १५० सी० सी०	१९६४	१८८३+३० दो टोन के लिये	विस्तृत लागत परीक्षा के आधार पर ।
३. फैन्टाबुलस १७३ सी० सी०	प्रश्न उत्पन्न नहीं होता	२५७५	प्राक्कलित लागत और मूल उद्भव के देश में मूल्य के आधार पर प्राथमिक मूल्य निर्धारण

मूल्य निर्धारित करने में इस बात को, कि वेस्पा और लम्ब्रेटा १५० सी० सी० दोनों इटली के बने हुए हैं और लगभग उसी मूल्य पर इटली में बेचा जाता है, ध्यान में रखा गया है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० चं० सामन्तः** यहां पर जिन स्कूटरों के पुर्जे जोड़े जाते हैं उनके कौन से हिस्से यहां बनते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** वह ब्योरे में पड़ रहे हैं । माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या स्कूटर निर्माताओं में स्कूटरों के मूल्य कम करने का निर्णय किया है । वह उत्तर नहीं दिया गया है । क्या यह विवरण में बताया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी, हां । उदाहरणतः वेस्पा में यह ८१ रुपये कम कर दी गयी है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे इसका प्रत्यक्ष उत्तर नहीं मिल सका है कि क्या उन्होंने मूल्य कम करने का निर्णय किया है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी, हां १९६४ रुपये से जो मूलतः मूल्य था यह घट कर १८८३ रुपये कर दिया गया है ।

†**श्री सुबोध हंसदा :** विवरण से पता चलता है कि इटली के बने हुए लम्ब्रेटा और वेस्पा के मूल्य निर्धारित कर दिये गये हैं । यदि हां, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस समय बाजार में जितने भी स्कूटर बेचे जाते हैं क्या वे सब इटली से आयात किये गये हैं अथवा वे यहां बनते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** कुछ हिस्से यहां बनाये जाते हैं और कुछ हिस्से अभी आयात किये जाते हैं ।

श्री अ० सिं० सहगल : श्री टी० टी० कृष्णमाचारी साहब ने अपने व्याख्यान में बताया था कि स्कूटर की प्राइस में फरदर रिडक्शन होगा । क्या उस पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** निःसन्देह, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी साहब ने कहा था कि स्कटरों का मूल्य घटा कर १५०० रुपये करना चाहिये । परन्तु वर्तमान स्थिति में, जब तक हम कारखानों में उत्पादन न बढ़ायें, यह संभव नहीं है ।

†**श्री रा० शि० पाण्डेयः** श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने आगे कहा था कि यदि स्कूटरों के मूल्य कम नहीं होते, तो सरकार उनका स्वयं उत्पादन करने के लिये सोचेगी ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** चाहे जो भी इसका निर्माण करे, जब तक उत्पादन लगभग ५०,००० से १,००,००० तक नहीं होता, मूल्य को कम करना संभव नहीं है ।

श्री यशपाल सिंह : हम से लेटेस्ट वायदा १५०० रुपए का किया गया था । क्या मैं जान सकता हूं कि १५०० रुपए वाला वायदा किस कम्पनी से पूरा कराया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह तो उन्होंने कह दिया ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** देश में कितने प्रकार के स्कूटर बनाये जा रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** तीन प्रकार के बनाये जा रहे हैं । दो और को लाइसेंस दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर टायर बनाने का कारखाना

+

†*३४३. { श्री विभूति मिश्र :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से मोटर टायर बनाने का एक कारखाना खोला जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) मेसर्ज़ जनरल टायर्स लिमिटेड, कलकत्ता को चेकोस्लोवेकिया के मेसर्ज़ टेक्नोएक्सपोर्ट के सहयोग से प्रति वर्ष १,८०,००० टायर तथा ट्यूब बनाने के लिये, जिनमें १,२०,००० प्रत्येक बड़े टायर और ट्यूब और ६०,००० प्रत्येक मोटरगाड़ियों के टायर तथा ट्यूब शामिल हैं, एक लाइसेंस दिया गया है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि यह कारखाना कलकत्ते में ही लगाया जाएगा या किसी दूसरी जगह लगाया जाएगा ?

श्री कानूनगो : कलकत्ते के पास ही कहीं लगाया जा रहा है, वैस्ट बंगाल में ।

श्री विभूति मिश्र: क्या इस फैक्टरी को कलकत्ते में लगाने से ज्यादा फायदा रहेगा या मसूर और बम्बई में लगाने से ज्यादा फायदा रहेगा क्योंकि रबर वहां से पास मिलता है और उसको लाने में वहां खर्च कम होगा? इस कारखाने को वहां बनाने में क्या दिक्कत है ?

श्री कानूनगो : हिन्दुस्तान में चारों तरफ आठ दस फैक्टरियां हैं । आज कल टायर बनाने में खासकर रबर की उतनी जरूरत नहीं होती है । ज्यादातर टायर सिंथैटिक रबर के बनते हैं ।

†श्री महेश्वर नायक : देश की वर्तमान आवश्यकता कितनी है और देश की मांग पूरी करने के लिये हम किस हद तक निर्माण कर सके हैं ?

†श्री काननगो : हम केवल कुल मांग को ही पूरा करना नहीं चाहते बल्कि निर्यात की भी संभावना है । कुछ वर्षों में हमारा उत्पादन लगभग ५,००,००० हो जायेगा ।

†श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने बताया है कि संश्लिष्ट रबड़ की आवश्यकता होगी और जैसे कि उत्तर प्रदेश में बरेली में एक संश्लिष्ट रबड़ कारखाना स्थापित किया गया है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में एक टायर कारखाना लगाये जाने की संभावना है ?

†श्री कानूनगो : कई प्रस्ताव हैं परन्तु किसी को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ओखला औद्योगिक बस्तियां

+

*३४४. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श० ना० चतुर्वेदी :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ओखला औद्योगिक बस्ती के औद्योगिक संस्थानों में लगने के लिये कुछ मास पूर्व विदेशों से मंगाई गई लाखों रुपये की मशीनें बेकार पड़ी हैं ;

(ख) क्या सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि आयात के तुरन्त बाद इनकी स्थापना के लिए वर्कशापों के शैड बना दिये जायेंगे ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने अब तक क्या कदम उठाये है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सरकार को इसका पता नहीं है ।

(ख) जी नहीं । ओखला औद्योगिक बस्ती (द्वितीय चरण) में शैडों का नियतन करने के लिये चालीस कारखानों को चुना गया था । उनमें से कुछ को अन्तिम नियतन सम्बन्धी पत्र मई, १९६१ में जारी किये गये थे किन्तु फैक्टरियों के पूरे हो जाने के बारे में कोई वचन नहीं दिया गया था ।

(ग) शैड लगभग पूरे हो चुके हैं । ज्योंही पानी और बिजली की सुविधायें उपलब्ध हो जायेंगी, त्योंही इनके कबजे की अनुमति दे दी जाएगी ।

श्री यशपाल सिंह : क्या यह समौल स्केल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने जो दिक्कतें पैदा की है यह उस सामान को मंगाने से पहले दूर नहीं की जा सकती थीं जिस से कि चार महीने तक गवर्नमेंट को यह नुक़सान न उठाना पड़ता ?

श्री कानूनगो : कोई नुक़सान नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : यह पड़े नहीं हैं तो नुक़सान कैसे हुआ ?

श्री यशपाल सिंह : ओखला में सामान जो पड़ा हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : सामान पड़ा नहीं है यही तो वह कह रहे हैं ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : अब तक ओखला औद्योगिक बस्ती में कुल पंजी विनियोजन कितना है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†श्री कानूनगो : औद्योगिक बस्ती बना दी गयी है। इससे कोई राजस्व नहीं मिलेगा ।

†श्री जसवन्त मेहता : शैड आदि तैयार करने में कितना व्यय होगा ?

†श्री कानूनगो : मैं ठीक आंकड़े नहीं दे सकता ।

†श्री श्याम लाल सर्राफ : क्या सभी प्रकार के, अर्थात् क, ख, ग, घ, श्रेणी के सभी शैड, जो बनाये गये हैं, भर गये हैं ?

†श्री कानूनगो: वे अभी भरे नहीं हैं । आवंटन पत्र जारी कर दिये गये हैं । जैसे ही वहां बिजली और पानी की व्यवस्था हो जायेगी, उन पर कब्जा कर लिया जायेगा । दिल्ली में बिजली और पानी की कठिनाई है ।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या मंत्री महोदय को मालिकों से इस बारे में कोई शिकायत मिली है कि बिजली और पानी के संभरण की व्यवस्था में विलम्ब के कारण, काम में हानि हो रही है, मशीनें पड़ी हैं और खराब हो रही हैं ?

†श्री कानूनगो : मैंने कहा है कि वहां मशीनें नहीं पड़ी हैं ।

†श्रीमती सावित्री निगम : मेरा प्रश्न यह था ....

†अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय का कहना है कि कोई मशीनें बेकार नहीं पड़ी हैं । यदि उन्हें शिकायत मिली हों तो उन्हें कहना चाहिये था कि उसमें कुछ है ।

†श्री स० मो० बनर्जी : क्या यह सच है कि ओखला में भारत-जर्मन आधरूप कारखाना शस्त्र और सेना की कुछ आवश्यकताओं का निर्माण कर सकता है और क्या वे सब कारखाने, जो भी औद्योगिक बस्ती में चल रहे है, युद्ध कार्य में लगेंगे ?

†श्री कानूनगो : यह आवश्यक नहीं है । जो कुछ व्यवस्था है, वह कर सकते हैं, सब नहीं ।

†श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : इस औद्योगिक बस्ती को बिजली और पानी का संभरण कब किया जायेगा ?

†श्री कानूनगो : दिल्ली में बिजली और पानी का संभरण कठिन है । परन्तु हमें आशा है कि मार्च तक वह पूरा हो जायेगा ।

सिंदरी फर्टिलाइजर्स

†*३४५. { + श्री कृ० चं० पन्त : श्री मुरारका :

क्या इस्पात और भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिन्दरी फर्टिलाइजर्स ने इटली के फर्म के साथ जो ७ करोड़ रुपये की रकम का ठेका किया था वह रकम अब बढ़ा कर ६ करोड़ रुपये कर दी गयी है ; और

(ख) क्या यह लागत और अधिक बढ़ने की संभावना है ; और

(ग) इस बढ़ोतरी के क्या कारण और आधार हैं ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी): (क) से (ग): ठेके में एक सेडा खंड है जिसमें निर्माण के सामान के मूल्य में वृद्धि, सीमा-शुल्क की दर में विभिन्नता और कार्य के स्वरूप में परिवर्तन को देखते हुए ठेके के मूल्य में परिवर्तन की व्यवस्था है । इस

---

†मूल अंग्रेजी में

बारे में इटली की फर्म को ७ करोड़ रुपये के मूल मूल्य से अतिरिक्त १.०३ करोड़ रुपयों का भुगतान किया गया है । किसी और वृद्धि की आशा नहीं है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या यह सच नहीं है कि ठेके की मूल धनराशि में इसलिये वृद्धि करनी पड़ी कि जब यह देखा गया कि पहले चुना गया इमारत का स्थान उपयुक्त नहीं है और मूल योजना में परिवर्तन करना पड़ा ? यदि हां, तो क्या मूल योजना चुने हुए स्थान भी मिट्टी के भार और अन्य परीक्षण किये बिना ही बनाये गये थे और क्या इसके लिये जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** जी, हां । स्थान में परिवर्तन किया गया क्योंकि मूल रूप से जो स्थान चुना गया था वह बाद अनुपयुक्त पाया गया । इस परिवर्तन के कारण हमें २.४२ लाख रुपये अतिरिक्त देने पड़े । यह एक गलती अवश्य हुई और में नहीं समझता कि इसमें कोई कार्यवाही किये जाने की संभावना है ।

†**श्री कृ० चं० पन्त :** क्या कोई अतिरिक्त परिव्यय भी करना पड़ा क्योंकि उरिया संयंत्र में निर्धारित उत्पादन करने के लिये अतिरिक्त उपकरण प्राप्त करने पड़े जिनका ठेके में उपबन्ध नहीं था परन्तु हम ठेके की शर्तों के कारण इटली की फर्म से इस कमी के लिये किसी दण्ड का दावा नहीं कर सके ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जी, हां । जो कुछ माननीय सदस्य ने कहा, वह ठीक है । परन्तु अब हम ठेके की शर्तें नहीं बदल सकते ।

श्री अ० सिं० सहगल : एक्सपेंशन का आकार जोकि विदेशी फर्म को दिया गया था और उसमें जो बढ़ोतरी हुई है तो उस बढ़ोतरी करने के कौन कौन से कारण हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐक्सटेंशन ऑफ रीसर्कुलेटिंग वे और चेंज ऑफ साएट की वजह से उसमें बढ़ोतरी हुई और उनको और फीस देनी पड़ी ।

निर्यात

+

†*३४६. {
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरूआ :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री कोल्ला वेंकैया :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार संबंधी सबसे ताजे आंकड़ों से यह पता चलता है कि १९६२ के लिए निर्यात का लक्ष्य संभवतः प्राप्त नहीं होगा;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो संभवतः कितनी कमी रहेगी ; और

(ग) यह कमी अधिक से अधिक कम करने के लिए क्या विशेष उपाय किये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८२]**

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पृष्ठ २ में यह बताया गया है कि समन्वय और समेकित कार्य योजना बनाने के लिये एक किस्म नियंत्रण और लदान-पूर्व निरीक्षण परिषद की स्थापना की गयी है। परिषद अपना कार्य कब आरम्भ करेगी और क्या निरीक्षण कार्य आरम्भ हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : परिषद ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। किस्म नियंत्रण के अधीन ग्यारह वस्तुएं रखी गयी हैं। मसालों और इलायची को भी शीघ्र इसमें शामिल किया जायेगा ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : पृष्ठ २ में यह भी बताया गया है, मंडी अनुसंधान के लिये और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों को संभालने के लिये व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संस्था स्थापित करने के लिये कदम। यह परियोजना कब पूरी होगी और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों में यह व्यवस्था कब की जावेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : उसमें कुछ समय लगेगा। क्योंकि प्रारूप परियोजना तैयार है परन्तु हमने इस पर कई अन्तर्राष्ट्रीय वित्त अभिकरणों से बातचीत करनी है और कई विशेषज्ञों के परामर्श से व्यापार संवर्द्धन की समूची गुंजायश पर भी विचार करना है। इसमें कुछ महीने और लग सकते हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : भारतीय पटसन के सामान की किस्म, पारेषण के भार आदि के बारे में समुद्रपार उपभोक्ताओं से बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों को देखते हुए, क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार इस बारे में क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी शिकायतें न हों ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मैंने भी यही बात कही है। किस्म नियंत्रण और निरीक्षण परिषद स्थापित कर दी गयी है। हम एक किस्म नियंत्रण निदेशक नियुक्त कर रहे हैं। मैं सदन में सूती कपड़ा समिति बिल ला रहा हूं। इस बात को देखने के लिये कई कदम उठाये गये हैं। ताकि विदेशी खरीदारों को यह आश्वासन मिल सके कि हमने किस्म बनाये रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि बड़ी संख्या में शिकायतें की गयी हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ शिकायतें तो आती ही हैं। हम उन पर फौरन ध्यान देते हैं और हम किस्म नियंत्रण व्यवस्था लागू कर रहे हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : सभा पटल पर रखे गये विवरण में लिखा है :

"निर्यात लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित किये जाते हैं और पत्री वर्ष के लिये नहीं। छः महीने में नि ति के आंकड़े ३२५.८७ करोड़ रुपये हैं।"

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को यह सब पढ़ने की क्या आवश्यकता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं केवल यह वाक्य पढ़ रहा हूं :—

"इस बात को देखते हुए कि पहली छमाही की अपेक्षा—दूसरी छमाही में निर्यात सामान्यतः अधिक है —

क्या सदन को इस विवरण के समर्थन में यह पता चल सकता है कि यदि पिछले तीन वर्षों में नहीं तो इससे पूर्व वर्ष में पहली छमाही में और पिछले वर्ष दूसरी छमाही में कितना निर्यात किया गया?

†**श्री मनुभाई शाह** : पिछले वर्ष जून में यह ४८.५० करोड़ रुपये था; इस वर्ष ५० करोड़ और ३ लाख रुपये । पिछले वर्ष जुलाई में यह ४९.६५२ करोड़ रुपये था; इस वर्ष ५७.१२ करोड़ रुपये। पिछले वर्ष अगस्त में यह ५९.९१ करोड़ रुपये था और इस वर्ष ६२.७७ करोड़ रुपये। कुछ वृद्धि होती रही है। लेकिन यह लक्ष्य से बहुत कम है। लक्ष्य ४० करोड़ रुपये प्रति वर्ष का है। यदि वर्तमान प्रगति जारी रही तो हम २० करोड़ तक भी मुश्किल से पहुंचेंगे ।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : किन वस्तुओं में निर्यात कम हुआ और चालू वर्षों में तथा आगामी वर्षों में हमें किन वस्तुओं में वृद्धि करने की आशा है?

†**श्री मनुभाई शाह** : कभी अधिकतम इस्पात और रद्दी इस्पात की अर्थात् ५.९४ करोड़ रुपये है। दूसरे काफी। तीसरे सूती कपड़ा २.७४ करोड़ रुपये। चौथा चमड़ा है, पांचवा मेगनीज अयस्क है। ये बड़ी वस्तुएं हैं। वृद्धि चाय, तम्बाकू, पटसन, खाद्य तेल, खली, चीनी, कृत्रिम रेशम, नारियल जटा के धागे से निर्मित सामान, हथकरघा वस्तुओं और लौह–अयस्क में हुई है।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : मैं समझती हूं कि आयात–शुल्क कम करने की सुविधा अन्य कई वस्तुओं पर लगाई गयी है। ये वस्तुएं क्या हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत सामान्य नियमों से स्वतः कमी हो जाती है। कोई भी अब उत्पादन–शुल्क और सीमा–शुल्क में वकाया के वापसी भुगतान का दावा कर सकता है। हम सभी वस्तुओं पर कार्य कर रहे हैं।

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या यह सच है कि कच्चे पटसन का मूल्य न्यूनतम मूल्य से नीचे काफी गिर रहा है और क्या सरकार अधिक पटसन का निर्यात करेगी ताकि मूल्य को गिरने से रोका जाये?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री दाजी** : मंत्री महोदय ने बताया है कि निर्यात लक्ष्य के मुताबिक नहीं हुआ है। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने इसके कारणों का पता लगाया है और स्थिति सुधारने के लिये कदम उठाये हैं।

†**श्री मनुभाई शाह** : हम निरन्तर इस पर ध्यान दे रहे हैं। व्यापार बोर्ड की बैठक पहली तारीख को होगी और उसमें अर्द्ध–वार्षिक स्थिति पर ध्यान दिया जायेगा। मुख्य कारण यह है कि जिन वस्तुओं के निर्यात की अधिक आशा थी अब उनकी आन्तरिक खपत

†मूल अंग्रेजी में

अधिक है और कुछ मामलों में वहां पर क्रेता मंडियां स्थापित होने से अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो गये है। हमारे आन्तरिक मूल्य भी बढ़ रहे हैं। मुख्य कारण ये है और भी बहुत से कारण हैं।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : उन देशों के क्या नाम हैं जिनको बड़ी मात्रा में निर्यात किया जाता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : अधिकतम वृद्धि पूर्व योरोपीय देशों में और फिर अमरीका और कनाडा में हुई है। योरोपीय साझा बाजार में और अफ्रीकी–एशियाई देशों में कमी हुई है।

†**श्री रंगा** : कुछ दिन पूर्व इनके एक मुख्य परामर्शदाता द्वारा दिये गए वक्तव्य, को ध्यान में रखते हुए, कि योरोपीय साझा बाजार कम विकसित देशों के लिये खतरनाक है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार योरोपीय साझा बाजार की गतिविधि के परिणामस्वरुप उत्पन्न स्थिति के बारे में सभा पटल पर एक विवरण रखेगी अथवा एक रिपोर्ट परिचालित करेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : सभा को राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में दिये गये प्रधान मंत्री के भाषण का पता है। बाद में, योरोपीय साझा बाजार में हमारे राजदूत, श्री लाल, ने कुछ दिन पूर्व ही एक वक्तव्य दिया है। हमें बड़ी चिन्ता है और हम स्थिति को ध्यान से देख रहे हैं। योरोपीय साझा बाजार में निर्यात में काफी कमी हुई है और इसलिये हम विशेष कदम उठा रहे हैं। हमने उन देशों को भी चेतावनी दे दी है, जबकि उपचारात्मक उपाय नहीं किये जाते और एशियाई देशों, विशेषतः भारत, के लिये परिवहन शुल्क और मात्रा के बारे में स्थिति को पुनरीक्षित नहीं किया जाता, भारत के लिये उन देशों से अधिक सामान खरीदना बहुत कठिन होगा।

†**श्री रंगा** : क्या सरकार सभा पटल पर कोई विवरण रखेगी?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सरकार सभा पटल पर एक विवरण रखेगी?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमने कई विवरण रखे हैं और बार बार विवरण रखने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। इस बारे में सारी प्रगति के बारे में सभा को पता है और विभिन्न विवरणों और अधिकृत भाषणों को सभा पटल पर रखा गया है।

†**श्री रंगा** : हमें संभावित ठीक स्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने भी यही प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार योरोपीय साझा बाजार में किये गये अभ्यावेदन के बारे में सभा पटल पर एक विवरण रखेगी। उस प्रश्न का ऊतर दे दिया गया है।

द्वितीय फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट

†

*३४७. { **श्री भक्त दर्शन** :
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग मंत्री** २१ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र में द्वितीय फाउन्ड्री फोर्ज प्लान्ट

---

†मूल अंग्रेजी में

(ढलाई और गढ़ाई का कारखाना) स्थापित करने के प्रश्न पर अन्तिम निश्चय करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : मामला अभी विचाराधीन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि इस सम्बन्ध में देरी होने के कारण क्या है और देर से देर कब तक इस बारे में अन्तिम निर्णय हो जाने की आशा की जाती है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : इस परियोजना के लिये प्राथमिक प्रतिवेदन तैयार है। हमें सहयोग और इसके लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा का पता लगाना है। विलम्ब का मख्य कारण यही है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने एक भाषण में यह बतलाया था कि हरिद्वार में सात करोड़ रुपए की लागत से ढलाई का एक कारखाना बनाया जाने वाला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वही कारखाना है या कोई दूसरा कारखाना है।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हरिद्वार में हम भारी बिजली संयंत्र स्थापित कर रहे हैं; यह फाउंड्री फोर्ज संयंत्र नहीं है।

लाइसेंस जब्त करना

\+

†*३४८. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री अ० ना० विद्यालंकार :
श्री महेश्वर नायक :
श्री सुब्रामन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र के उन लाइसेंस धारियों के लाइसेंस दण्डात्मक कार्यवाही के रूप में जब्त कर लिये गये हैं जो समय पर उद्योग चालू नहीं कर सके हैं ; और

(ख) क्या इन मामलों की पूर्ण जांच कर ली गई है थी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्रीकानूनगो)** : (क) और (ख) औद्योगिक लाइसेंस इन शर्तों पर जारी किये गये हैं कि लाइसेंस धारियों को निर्धारित समय में औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिये प्रभावी कदम उठाने चाहिये। इस संम्बन्ध में हुई प्रगति का समय समय पर पुनरीक्षण किया जायेगा और जिन मामलों में लाइसेंस धारियों ने प्रभावी कदम नहीं उठाये हैं उनके लाइसेंस मामले की जांच के बाद समाप्त कर दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्रीश्यामलाल सर्राफ :** ऐसे कितने लाइसेंस रद्द कर दिये हैं और क्या किसी संबंधित लाइसेंस अधिकारी ने सरकार से कहा है कि कुछ कारणों से वह उन उपक्रमों को चालू नहीं कर सके ?

†**श्री कानूनगो :** १ अप्रैल, १९५९ तथा ११ अक्तूबर १९६२ तक ३५५ लाइसेंस रद्द कर दिये गये हैं और प्रत्येक मामले में शो-काज-नोटिस जारी किये गये हैं और व्यक्ति जो अभ्यावेदन देते हैं उन पर विचार किया जाता है तथा रद्द करने के आदेश दिये जाते हैं ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ :** क्या किसी एसे लाइसेंसधारी ने जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है सरकार को अभ्यावेदन भेजा था जो बिजली की कमी और ऋण सुविधाओं की अप्राप्यता के कारण वह अपना कारखाना चालू नहीं कर सके थे ?

†**श्री कानूनगो :** शो-काज-नोटिस के उत्तर में वह कई कारण बताते हैं और यदि कारण ठीक होते हैं तो उनका लाइसेंस रद्द नहीं किया जाता है । परन्तु यदि कारण ठीक नहीं होते हैं अथवा पर्याप्त नहीं होते हैं तो रद्द कर दिया जाता है । प्रत्येक मामले में अभ्यावेदन होता है और उस पर विचार किया जाता है ।

†**श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या कुछ लाइसेंसधारियों को लाइसेंस बेचते हुये पाया गया था ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं किसी से भी कोई मांग नहीं है ।

†**श्री महेश्वर नायक :** स्वीकृत लाइसेंस का उपयोग न करने के कारण हमारे लक्ष्यों की कमी का क्या सरकार ने निर्धारण कर लिया है ?

†**श्री कानूनगो :** जी हां । हम उसका हमेशा ध्यान रखते हैं । कुछ मामलों में कमी है और बहुत से मामलों में पर्याप्त क्षमता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री को अध्यक्ष को सम्बोधन करना चाहिये जिससे उनकी बात सुनी जा सके ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** लगभग ३०० लाइसेंस रद्द कर दिये गये थे । क्या लाइसेंस देने के लिये कोई आधार नहीं बनाया गया था जिसके कारण इतने लाइसेंसों को रद्द करना पड़ा ?

†**श्री कानूनगो :** जी नहीं । आधार तो था परन्तु फिर भी आदमी काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे पर्याप्त कार्य वाही नहीं हो पाती । कार्यवाहियां कानून में उल्लिखित हैं ।

†**श्री हेडा :** ऐसे मामलों में जितने लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस केवल इसी उद्देश्य से लिये थे कि उनको अधिक मूल्य पर बेचें, क्या सरकार ने उनको काली सूची में रखने की कोई कार्यवाही की है ?

†**श्री कानूनगो :** इस प्रकार के बहुत कम मामले हैं । पिछले तीन अथवा चार वर्षों में ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयात किये गये इस्पात पर आर्थिक सहायता का भुगतान

+

†*३४९. **श्री रा० शि० पाण्डेय :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयात किये गये इस्पात पर इस्पात समानीकरण निधि से किये जाने वाले आर्थिक सहायता के भुगतान में पर्याप्त कमी को ध्यान में रख कर, सरकार ने अधिभार (सरचार्ज) की वसूली के आधार का तथा निधि में एकत्रित राशि का जिन उद्देश्यों के लिये प्रयोग किया जा सकता है उनका पुनर्विलोकन किया है या करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस मामले में यदि कोई निश्चय किया गया है तो क्या निश्चय किया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) से (ग). लोहा तथा इस्पात समानीकरण निधि का उपयोग इस्पात का आयात करने में सहायता देने के लिये किया जा रहा है। अन्य कार्यों के अतिरिक्त यह रेलवे भाड़ा दरों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भाग लेगा जिससे सभी रेलों पर इस्पात संभरण के समान मूल्य हो सके। सरकार इस पर विचार कर रही है कि निधि इसी रूप में जारी रहे। इस मामले में अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

टेल्को द्वारा गाड़ियों का उत्पादन

†*३५०. **श्री वारियर** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेल्को ने पुर्जों के आयात में कमी होने के फलस्वरूप अपनी गाड़ियों के उत्पादन में कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की है ; और

(ग) रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

रूस को कपड़े का निर्यात

†*३५१. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ७८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५ लाख रु० के मूल्य के छपे सूती कपड़े के निर्यात के लिये निश्चित मूल्य के बारे में रूस के संगठन से विचार विमर्श हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सौदे की क्या शर्तें हैं ;

(ग) क्या १० लाख रु० के मूल्य का धुला हुआ सात लाख मीटर 'शीटिंग' कपड़े के प्रश्न पर भी विचार विमर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). आम वाणिज्यिक शर्तों पर २५,८१,७५० रुपये के १८,००,००० मीटर के प्रिंटेड कॉटन टैक्सटाइल की बिक्री का ठेका दिया जा रहा है।

(ग) अग्रेतर निर्यात के प्रश्न पर बातचीत हो रही है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री बिशनचन्द्र सेठ** : मैं यह जानना चाहता हूं कि पिछले वर्षों से इस वर्ष माल कम जा रहा है या अधिक ?

श्री मनुभाई शाह : सोवियट युनियन को अधिक जा रहा है।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ**: रूस हमारे देश से मोटा, फाइन अथवा सुपरफाइन कपड़ा खरीदने को इच्छक है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह विषेतया पर्दे, तौलिये आदि खरीदने को इच्छुक है।

हावड़ा में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

†*३५२. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हवड़ा में जापान की सहायता से आद्यरूप उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो १० अक्तूबर, १९६२ तक प्रवेश के लिये कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये हैं और प्रशिक्षण के लिये कितने व्यक्तियों को चुना गया है ; और

(ग) केन्द्र में किस प्रकार का तकनीकी प्रशिक्षण दिया जायगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) क्रमशः १६५ और ४८।

(ग) निम्नलिखित व्यापारों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

(१) टर्निंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, मशीन टूल बनाना

(२) नमूना बनाना

(३) गलाई, ढलाई, लुहारी, गढ़ाई

(४) वैल्डिंग

(५) पदार्थ परीक्षण

(६) होट ट्रीटमेंट

(७) पेंटिग

(८) इलैक्ट्रो पेंटिग, और

(९) बिजली के इन्स्ट्रमेंट बनाना।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : विवरण से मालूम होता है कि १६४ अभ्यार्थी जिनमें से ४८ को प्रवेश की अनुमति मिली थी। क्या ऐसा इस कारण से हुआ था कि पाठ्यक्रम के केवल ४८ सीटें थी अथवा क्या ऐसा अन्य किसी कारण से हुआ था ?

†**श्री कानूनगो** : नवम्बर के मध्य तक केन्द्र के पूरी तरह संगठित न होने के अतिरिक्त अभ्यार्थियों के चुनाव पर और भी प्रतिबन्ध हैं। ऐसे व्यक्तियों को मान्यता दी जाती है जो छोटे पैमाने के उद्योगों में लगे हुये हैं अथवा जिन्होंने उनमें तीन वर्षों तक काम किया हो। ऐसे अन्य व्यक्तियों को भी मान्यता दी जाती है जिनको संस्थाओं में किसी प्रकार का औद्योगिक प्रशिक्षण मिल चुका हो। यह मान्यतायें हैं। ये मान्यतायें न होने पर प्रवेश नहीं मिलता है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इंस्टीट्यूट में रहने के समय तथा इन प्रशिक्षार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है और क्या छोटे उद्योगों से भरती किये गये क्या औद्योगिक संस्थाओं में १८ महीने के प्रशिक्षण से आने वालों को दी गयी छात्रवृत्तियों में कोई अन्तर होता है ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं छात्रवृत्ति है। परन्तु कोई अन्तर नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : छात्रवृत्ति कितनी है ?

†**श्री कानूनगो** : मैं निश्चित नहीं हूं। परन्तु यह ४० से ४५ रुपये है।

†**डा० रानेन सेन** : क्या यह सच है कि सरकार को प्रवेश तथा भरती में पक्षपात आदि की सिफारिश मिली हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जी नहीं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न के भाग (क) का उत्तर जी हां है। अर्थात् यह जापानी सहायता से स्थापित होगा। किस प्रकार की सहायता लेने का विचार है क्या यह धन के रूप में होगी अथवा व्यक्तियों और मशीनों के रूप में होगी ? सहयोग की यदि कोई शर्तें हैं तो क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : जापान सरकार ने केन्द्र के लिये लगभग ३५ लाख रुपये की मशीन दी है और १९ विषेषज्ञों की सेवायें दी हैं।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : और सहयोग की शर्तें ?

†**श्री कानूनगो** : जापान सरकार ने यही सहायता की है और शेष जैसे भवन आदि की व्यवस्था हमने की है।

†**श्री दाजी** : क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय मंत्रियों से अनुरोध कर चुका हूं कि वह मेरी ओर देखा करें। जब मैं प्रश्न की अनुमति नहीं देता हूं तो मंत्री उसका उत्तर दे देते हैं। मेरी यही कठिनाई है। अब यही शिकायत है एक सदस्य की, कि उनके भी एक अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दे दिया जाये।

त्रिपुरा में पटसन का मूल्य

†*३५३. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिये कोई कदम उठाया गया है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उनका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) और (ख). त्रिपुरा समेत किसी भी राज्य में संविहित आधार पर जूट के मूल्य निश्चित नहीं किये जाते हैं। कलकत्ता में दी गई आसाम बाटम के ३० रूपये प्रतिमन रखे गये हैं। इसी आधार पर अगरताला बाटम के अगरताला, टोसा, और अगरताला मेस्टा के रूप में क्रमश : ३० रुपये, ३१ रुपये और २८ रुपये रखे गये हैं। इन मूल्यों पर राज्य व्यापार निगम द्वारा सहकारी समितियों से खरीदारी की जा रही है ।

†**श्री दशरथ देब** : क्या यह सच है कि यह मूल्य केवल सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए ह और जो लोग सहकारी समितियों के सदस्य नहीं हैं उनको यह लाभ नहीं मिलता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी नहीं । यह सच नहीं है । वास्तव में सहकारी समितियां सभी किसानों से खरीदती हैं चाहे वह सदस्य हो अथवा न हो परन्तु यह निवेदन है कि सहकारी आयोजन में शामिल होना उनके लिए लाभदायक है और किसानों को सलाह दी जाती है कि वह सहकारी समितियों के सदस्य बन जायें ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्या माननीय मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि माननीय खाद्य मंत्री ने हाल में ही सभा में बताया था कि कुछ धान की खेती की भूमि जूट की खेती करने के लिए दी जाएगी तथा सरकार ने उत्पादक को दिये जाने के लिए न्यूनतम मूल्य पर विचार कर लिया था जिससे जूट का उत्पादन करने को प्रोत्साहन मिले ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या वह त्रिपुरा के बारे में बातचीत कर रहे हैं ?

†**श्री प्रिय गुप्त** : जी हां । त्रिपुरा भी ।

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं इतना लम्बा प्रश्न समझा नहीं ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : क्योंकि जूट का उत्पादन अत्यावश्यक वस्तु माना गया है और क्योंकि धान की खेती की भूमि में जूट का उत्पादन करने की अनुमति दे दी गई है इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का विचार जूट की न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का है जिससे जूट के उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : स्पष्ट नहीं हुआ कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कुछ धान की खेती वाली भूमि में जूट का उत्पादन होगा । मूल्य कम होने की आशंका है । इसलिए क्या सरकार का विचार जूट का न्यूनतम मूल्य निश्चित करने का है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वास्तव में खाद्य तथा कृषि मंत्री ने कहा था कि वह कुछ अधिक भमि को धान की खेती के अधीन लाना चाहते हैं, परन्तु यह एक अलग प्रश्न है । जूट के ३० रुपये बिल्कुल ठीक भाव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री विभूति मिश्र ।

†**श्री प्रिय गुप्त** : ऐसा उत्पादकों के लिए है अथवा खरीदने वालों के लिए ।

†**श्री मनुभाई शाह** : यह आसाम बाटम जो कलकत्ता भेजो जायें के मूल्य है ।

---

†=ल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य तथा माननीय मंत्री स्वयं एक दूसरे से बातचीत न करें।

†**श्री विभूति मिश्र** : माननीय मंत्री जी ने बड़ी मेहरबानी करके कहा है कि ३० रुपये कलकत्ता में ग्रस्म बाटम का देते हैं। क्या माननीय मंत्री जी ने देखा है कि गांवों में जो जूट पैदा करता है, उसको भी इतना रुपया मलता है, या नहीं मिलता है, यह भाव मिलता है या नहीं मिलता है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह भी हमने वर्क ग्राउट किया है। जो नेशनल कोग्रोप्रेटिव मार्किटिंग फैडेरेशन दिल्ली में है और जो चार पूर्वी भावों में मार्किटिंग कोग्रोप्रेटिव एसोसिएशंज़ हैं, उनको प्राइस की इत्तिला दे दी गई है। कोग्रोप्रेटिव्ज फार्मर्ज़ से उसी दाम से लेती है। सब ग्रखराजात लगाने के बाद, इंसिडेंटल, रेलवे फ्रेट वगैरह लगाने के बाद उनको तीस रुपये वहां पर मिलेंगे।

†**श्री फ० गो० सेन** : क्या इस बात की कोग्रोप्रेटिव्ज़ को इत्तिला दी गई है कि कलकत्ता मार्किट के मुताबिक वहां से उसी भाव में जूट खरीदें जिससे जूट के दाम न गिर पड़ें ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरी ग्रर्ज़ यह है कि जो मेम्बर साहिबान इसमें खास इंटिरेस्ट लेते हैं, उन्हें चाहिए कि अपने एरियाज़ में और ज्यादा कोग्रोप्रेटिव्ज़ बनायें और फार्मर्स को काशन करें कि वे उसी दाम में उनको दें और किसी ऐसे तजारती ग्रादमी को न दें जो कि उनको कम दाम देता हो।

लौह अयस्क

†*३५४. **श्री बिशनचन्द्र सेठ** :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्री जं० ब० सिं० बिष्ट :
श्री नरेन्द्रसिंह महीड़ा :
श्री प्र० चं० बरुग्रा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लौह ग्रयस्क के सौदे के बारे में भारत सरकार के हस्तक्षेप के बारे में एक जापानी उद्योगपति, श्री रिंजिस काकू, द्वारा दिये गये वक्तव्य की ग्रोर ग्राकृष्ट किया गया है ; और

(ख) क्या इस वक्तव्य में कोई सत्यता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां। (ख) जी हां श्री काकू ने स्वयं बताया हैं कि उनकी बात को गलत ढंग से प्रकाशित किया गया है।

गत कुछ महीनों में भारत और जापान के बीच लौह ग्रयस्क खरीदने तथा बेचने के बारे में बातचीत की जा रही है।

श्री बिशनचन्द्र सेठ : ग्रायरन ग्रोर की हमारे कंट्री को बहुत ज्यादा जरुरत है। ऐसी हालत में क्या यह इस वक्त मुनासिब होगा कि दूसरे कंट्ररियों को इसका एक्सपोर्ट किया जाये ?

†**श्री मनुभाई शाह** : वह पुरानी बात हो गई है। हमारे पास ग्रायरन ग्रोर जरुरत से ज्यादा है। इसलिए ग्रायरन ग्रोर स्टील में भी चलता है और बाहर भी भेजा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या मध्य प्रदेश के बेलाडीला के लौह अयस्क का जापान आयात कर रहा है ? इसके अतिरिक्त क्या सरकार के सामने कोई ऐसा प्रस्ताव है कि जापान को लौह अयस्क का निर्यात किया जाय ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां, गोआ से हो रहा है । सच यह है कि हम ऐसा और करने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैंने बेलाडीला के बारे में पूछा था ।

†**श्री मनुभाई शाह** : बेलाडीला ? जी हां ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या लौह अयस्क के संभरण के लिए जापान से दीर्घकालीन समझौता करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । इस वर्ष की अवधि के लिए जापान से दो स्थाई समझौते कर लिये गये हैं । तीन दिन पहले ही जापान से १८ व्यक्तियों का एक उच्चाधिकारयुक्त दल भारत आया है । हमने एक वर्ष में १० लाख टन का दीर्घ कालीन समझौता करने के लिए बातचीत आरम्भ कर दी है ?

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : सभी विदेशों को कुल कितने लौह अयस्क निर्यात किये जाते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न जापान को निर्यात के बारे में है ।

डा० गोविन्द दास : लोहे का जो ओर बाहर जा रहा है हमारे देश से, उसमें सब से अधिक किस राज्य से जा रहा है, मध्य प्रदेश से जा रहा है या कहीं और से जा रहा है ? मध्य प्रदेश से जो जा रहा है, उसमें क्या कोई बढ़ोतरी हो रही है या कमी हो रही है ?

श्री मनुभाई शाह : इसके एक्सपोर्ट में सब जगह से वृद्धि हो रही है । सब से ज्यादा गोआ से जाता है । दूसरा नम्बर होस्पेट, बेल्लारी , मैसूर एरिया का है और तीसरा नम्बर मध्य प्रदेश का आता है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : गोआ के आयरन ओर और मध्य प्रदेश के आयरन ओर के ग्रेड में क्य अन्तर है ?

श्री मनुभाई शाह : हर जगह पर अलग अलग ग्रेड हैं । लेकिन सब से लो ग्रेड गोआ के आयरन ओर का है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वर्तमान संकटकाल के कारण लौह अयस्क का निर्यात करने के निर्णय में फेर बदल करने का सरकार का विचार है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसका उत्तर दिया जा चुका है । माननीय सदस्य ध्यान नहीं देते हैं । वह केवल अपने अनुपूरक प्रश्नों का ही ध्यान रखते हैं ।

†**श्री जसवन्त मेहता** : तीन दिन पहले जापान ने जो प्रस्ताव भेजा है उसमें क्या बातें हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह दल उड़ीसा राज्य के दायतारी-टेल्का क्षेत्र के विकास के लिए आया है जिसमें १९६५ तक ३० लाख टन लौह अयस्क का तथा १९७० तक ५० से १०० लाख टन लौह अयस्क का निर्यात होने लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री प्र० के० देव :** क्या दायतारी-टेल्का से लौह अयस्क परदीप पत्तन से निर्यात होंगे और यदि हां, तो उसके विकास के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ९८ मील का राजपथ बनाया जा रहा है। सरकार ने मध्यम प्लान बनाने का पहला क्रम स्वीकार कर लिया है और रेत को हटाने के लिए तीन करोड़ रुपये स्वीकार कर लिए गये हैं जो काम हो रहा है। सभी प्रकार के प्रयत्न किये जा रहे हैं। जापानी दल से इस समझौते पर बातचीत होने पर काम आरम्भ हो जाये ।

अलौह धातु उद्योग

+

†*३५५. { **श्री प्र० के० देव :**
श्री प्र० कु० घोष :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलौह धातु उद्योग के विकास के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि इसमें देश को आत्म निर्भर बनाया जा सके ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८३]**

†**श्री प्र० के० देव :** विवरण से मालम होता है कि देश में बड़ी मात्रा में बौक्साइट अयस्क है और फिर भी हम कंडक्टर ग्रेड के एल्युमीनियम का निर्यात कर रहे हैं। क्या एलुमीनियम संयंत्र की स्थापना के लिए कोई नया लाइसेंस जारी किया गया है और यदि हां, तो यह नये संयंत्र कब तक चालू होंगे और जब कन्डक्टर ग्रेड के बारे में हम कब तक आत्म निर्भर हो जायेंगे ?

†**श्री कानूनगो :** लगभग दो वर्ष में हम एलुमीनियम के सम्बन्ध में आत्म निर्भर हो जायेंगे क्योंकि तब तक वह सभी त्रसंयंत्र चालू हो जायेंगे जिनके लिए लाइसेंस दिये गये हैं। परन्तु कन्डक्टर ग्रेड के सम्बन्ध में अभी सन्देह है और मेरा विश्वास है कि कुछ वर्षों में हम ऐसा करने में सफल हो जायेंगे ।

†**श्री प्र० के० देव :** यह संयंत्र किन क्षेत्रों में लगाये जायेंगे और क्या कोई संयंत्र मेरे राज्य में स्थापित होगा ?

†श्री कानूनगो : जी अभी नहीं ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** क्या देश में टीन और एन्टीमोनी के लिए भूतत्वीय परिमाप के लिए खोज की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

†**श्री कानूनगो :** लाहौल के पास एन्टीमोनी मिल जाने की संभावना है और मौसम और परिवहन सुविधायें भी अनुकूल नहीं हैं। जांच अभी हो रही है परन्तु ऐसा वर्ष के कुछ महीनों तक हो सकता है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :** टीन का क्या हुआ ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : यह उपलब्ध हीं है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : विवरण में दिया गया है कि "देश में पर्याप्त अयस्क न होने के कारण निकट भविष्य में अलौह धातु के बारे में आत्म निर्भरता प्राप्त करने की संभावना नहीं है । परन्तु एलुमीनियम के बारे में ऐसा नहीं है । ।"

मैं जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के बाद १९४७ से क्या तांबा, जस्ता और रांगे के लिए देश में सर्वेक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकले ?

†**श्री कानूनगो** : सर्वेक्षण किया गया है और किया जा रहा है । इस धातु के अधिक निक्षेप मिलने की आशा नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या सरकार जानती है कि जो अलौह धातु विशेष तांबा उपलब्ध हैं उसके देश में साफ करने वालों, उपभोक्ताओं तथा निर्माताओं के मूल्यों में बड़ा अन्तर है ?

†**श्री कानूनगो** : अधिकांशतः इसका आयात किया जाता है । साफ करने वालों तथा आयात की गई सामग्री के मूल्य में कोई अन्तर नहीं है ।

लौह अयस्क का निर्यात

\+

†*३५६. { **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** :
श्री महेश्वर नायक :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ से होने वाले निर्यात समेत लौह अयस्क के निर्यात बढ़ाने की दिशा में सरकार ने हाल में ही कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनभाई शाह)** : (क) और (ख). जी हां । अर्थ सचिवों की समिति की उपसमिति लौह अयस्क के निर्यात के लिये स्थापित की गई है जो दीर्घकालीन और अल्पकालीन आधार पर के बारे में सुझाव देगी ।

भारत से गोआ समेत इस को बढ़ाने के लिये कार्यवाही की जा रही है । इस में खान और बन्दरगाहों के विकास करने, विभिन्न क्षेत्रों में रेलवे के लदान की क्षमता बढ़ाने, सड़क के निर्माण और उस में सुधार करने तथा जापान समेत अन्य देशों से दीर्घकालीन समझौता करने का काम शामिल होगा ।

†**डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या यह सच है कि गोआ से लौह अयस्क का निर्यात पुर्तगाली कब्जा हटने के बाद से बहुत कम हो गया है और यदि हां, तो गोआ से निर्यात कितना कम हो गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह सच है कि चालू वर्ष के तथा पुर्तगालियों के हटने के बादसे, विश्व में इस्पात बाजार के मूल्य कम हो जाने के बाद गोआ से लौह लिये जाने के बाद तथा गोआ गवर्नर के शासन लेने के बाद कई लाख टन का निर्यात बढ़ गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : आगामी वर्ष में लौह अयस्क का निर्यात का कितना लक्ष्य रखा गया है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : गोआ से अगले वर्ष के ठेके में हुए लगभग ७०लाख टन उठाने जा रहे हैं । गत कई वर्ष से ६० लाख टन औसत उठाया जा रहा है और शेष देश से ४५ लाख टन उठाया जाता है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : गोआ से लौह अयस्क का निर्यात करने के लिये क्या सरकार कोई कार्यवाही कर रही है जिस से निर्माण कार्य के लिये गोआ के अयस्क का उपयोग किया जा सके ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मेरे साथी इस्पात और भारी उद्योग मंत्री बता चुकेहैं कि कह वहां पर कच्चा लोहा के संयंत्र की स्थापना की संभावना है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या जापान के अतिरिक्त और कोई देश भी लौह अयस्क का खरीदार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । सच यह है कि ३८ देश हम से खरीद कर रहे हैं परन्तु जापान सब से बाड़ खरीदार है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या सरकार लौह अयस्क के निर्यात के बारे में पुर्तगाली सरकार के वायदों को पूरा कर रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । हम ने घोषणा कर दी है कि पुर्तगाली जनता ने पहले अथवा बाद में जो वायदे किये हैं उन को हम पूरा करेंगे ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : लौह अयस्क की मांग के कारण क्या सरकार उत्पादन बढ़ाने के लिये कार्यवाही करेगी तथा भूतत्वीय परिमाप से सर्वेक्षन करने के लिये क्या तथा रिपोर्ट पेश करने के लिये कहेगी क्योंकि राज्यों में विशाल भण्डार है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सच यह है कि जब जोशी समिति की रिपोर्ट मिल जायेगी तब मैं उस को सभा पटल पर रख दूंगा । सब से बड़ी समस्या परिवहन है । खानों का विकास संतोषजनक रूप से हो रहा है । विभिन्न राज्यों ने खनिज विकास बोर्ड नियुक्त कर दिये हैं और गैर सरकारी क्षेत्र भी लौह अयस्क की खानों की प्रगति कर रहे हैं । परन्तु सब से बड़ी समस्या परिवहन की है ।

†**श्री रंगा** : गत पांच अथवा छः वर्षों से यही शिकायत है । मैं जानना चाहता हूं कि सड़कों के विकास के लिये सरकार, राज्य सरकारों को क्या विशेष सुविधायें दे रही है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सड़क परिवहन के लिये उदारता से अनुदान दिये गये हैं । मैसूर राज्य में पांडिचेरी तथा बेलाडीला को मिलाने वाले क्षेत्र में सड़कों का विकास हो रहा है । परन्तु सड़क के द्वारा १०० मील से अधिक दूर माल नहीं ले जाया जा सकता है । उचित हल ब्राडगेज रेलवे लाइन, बिजली, डीजल के इंजन और गाड़ियां, वैगन, माल गाड़ियां आदि हैं । इन सभी बातों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

'लीफ स्प्रिंग' का निर्माण

+

†*३५७. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री कपूर सिंह :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'लीफ स्प्रिंगों' के निर्माण के लिये आवश्यक कच्ची सामग्री का सम्भरण कम हो रहा है ;

(ख) जब पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं हैं तब नई निर्माण क्षमता बनाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) गैर सरकारी क्षेत्रों में 'लीफ स्प्रिंगों' के निर्माण की सम्भावनाओं का पता चलाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी हां ।

(ख) इस समय उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम १९६१ के अधीन लाइसेंसों को जारी किया जा रहा है ।

(ग) इस समय गैरसरकारी क्षेत्र में मोटर गाड़ी के 'लीफ स्प्रिंग' बनाये जा रहे हैं और विदेशी मद्रा की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध क्षमता का पूरा उपयोग किया जा रहा है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि इस में से कितना कोटा प्राइवेट कंसर्न्स को और कितना गवर्नमेंट कंसर्न्स को दिया जायेगा ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : अभी गैरसरकारी क्षेत्र में, उत्पादन होने लगा है । महाराष्ट्र राज्य से व्यापार उपक्रम को लाइसेंस दिया गया था परन्तु अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ने कोई ऐसी टीम मुकर्रर की है जो यह पता लगाये कि इस के लिये कितना मैटीरियल अवेलेबल होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : रा मैटीरियल्स के लिये तो कोई चीज नहीं है, लेकिन इस की कितनी खपत होगी इस के बारे में सरकार के पास जानकारी जरूर है ।

†**श्री मानसिंह पृ० पटेल** : क्या सरकार जानती है कि आपतकालीन घोषणा के बाद लीफ स्प्रिंग के मूल्य ३० प्रतिशत बढ़ गये हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हमें इस की जानकारी नहीं है ।

†**श्री श्याम लाल सर्राफ** : क्या इन लीफ स्प्रिंगों के निर्माण के लिये विभिन्न राज्यों में क्षमता बढ़ाई गई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : मैं समझता हूं कि क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया जा रहा है । क्योंकि कच्चे माल का आयात किया गया है और आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धता पर आधारित होता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे इस्पात कारखाने

+

†*३५८. { श्री भक्त दर्शन :
श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह :
श्री भागवत झा आजाद : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में कुछ छोटे इस्पात कारखाने स्थापित करने का विचार कर रही है ?

(ख) सरकार का विचार उन को कहां पर स्थापित करने का है ; और

(ग) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)**: (क) नहीं, श्रीमान । निवेली लिग्नाइट के आधार पर एक संयंत्र को छोड़ कर, जो योजना में पहिले से सम्मिलित है, और कोई संयंत्र तीसरी योजना में स्थापित करने का विचार नहीं है ।

(ख) और (ग). निवेली के बारे में एक परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है जिस में अन्य बातों के साथ स्थान के प्रश्न पर भी विचार किया जायेगा । संभव है कि वर्ष १९६३ के उत्तरार्द्ध में निश्चय किया जायेगा । अन्य स्थानों के बारे में, तीसरी योजना के सम्बन्ध में प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता, यद्यपि इस समस्या पर चतुर्थ योजना के सम्बन्ध में अध्ययन किया जायेगा ।

†**श्री भक्त दर्शन** : परियोजना रिपोर्ट कौन तैयार कर रहा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : हम ने दस्तूर एण्ड कम्पनी से इसे तैयार करने को कहा है ।

†**श्री भक्त दर्शन** : क्या यह जांच नहीं की गई कि छोटे छोटे इस्पात कारखाने अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे कर सकते हैं जबकि रूरकेला और भिलाई जैसे कारखाने भी आत्मनिर्भर नहीं हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : पूर्वानुमान यह है कि रूरकेला और भिलाई आत्म निर्भर नहीं हैं । यह बात ठीक नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : शायद वे पूर्ण क्षमता पर नहीं चल रहे ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : भिलाई पूर्ण क्षमता पर चल रहा है और रूरकेला शीघ्र ही पूर्ण क्षमता पर चलने लगेगा ।

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : इस बात को ध्यान में रख कर कि युद्ध केवल रण क्षेत्र में ही नहीं लड़ा जाता, अपितु आपात काल का ध्यान रख कर उत्पादन-मोर्चे पर भी लड़ा जाता है, क्योंकि हमारे अधिकतर इस्पात का प्रयोग प्रतिरक्षा की आवश्यकताओं के लिये . . . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : पहिले उन्हें प्रश्न पूछना चाहिये और तर्क बाद में देना चाहिये यदि उन्हें इस की अनुमति दे दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा** : क्या सरकार कोठागुडम जैसे स्थानों पर संयंत्र लगाने के प्रस्तावों पर विचार करेगी, जहां लोहा, इस्पात, कोयला और जल उपलब्ध हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही करने के लिये यह सुझाव है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : चीनी आक्रमण से उत्पन्न हुए संकट सम्बन्धी राष्ट्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर क्या मैं जान सकता हूं कि देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : प्रश्न सर्वथा भिन्न है । यह विद्यमान संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के बारे में है । सरकार देश में कुछ छोटे इस्पात कारखाने बनाने पर विचार कर रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनकी इच्छा केवल यह है कि देश में इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जा सके ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : यह हो रहा है । मैं माननीय सदस्य को इसका आश्वासन दे सकता हूं ।

†**श्री कृ० चं० पन्त** : माननीय उपमंत्री ने कहा था कि तीसरी योजना में स्थापित किये जाने वाला केवल छोटा इस्पात संयंत्र निर्वली लिग्नाइट पर आधारित होगा । क्या यह सच नहीं है कि सरकार इस विशेष परियोजना के लिए लिग्नाइट के अतिरिक्त अन्य ईंधनों की जांच कर रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम कुछ कच्चे लोहे के संयंत्रों पर विचार कर रहे हैं । परन्तु उसके अतिरिक्त, हम तीसरी योजना में किसी छोट साइज़ के संयंत्र पर विचार नहीं कर रहे हैं ।

†**श्री रंगा** : क्या यह सच है कि भारत सरकार को आन्ध्र प्रदेश की सरकार से आन्ध्र प्रदेश में कोठागुडियम के पास एक छोटे इस्पात के कारखाने और अन्य स्थानों पर उनके विकास के लिए, जहां कच्चा लोहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, बार बार प्रार्थनायें मिली हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम**: हां, श्रीमान् । इन क्षत्रों के आधार पर कच्चे लोहे के कारखाने बनाने का प्रश्न विचाराधीन है, और वहां एक कारखाना स्थापित करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र को लाइसेन्स दे दिया गया है ।

रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन

†*३५९. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रूरकेला इस्पात संयंत्र के विभिन्न उत्पादन एककों की नवीनतम उत्पादन स्थापित क्या है ; और

(ख) संयंत्र को वर्तमान आपातकालीन उत्पादकता के स्तर पर लाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन काफी बढ़ गया है । अक्टूबर, १९६२ में, कच्चा लोहा का उत्पादन निश्चित क्षमता का ९५ प्रतिशत पर पहुंच गया और इस्पात पिण्डों का उत्पादन क्षमता का ७५ प्रतिशत हो गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) संयंत्र को निर्धारित उत्पादन क्षमता पर यथाशीघ्र चलान के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। संचालन तथा रखरखाव में सुधार करने के लिए कुछ कारखाना सामान, डिब्बे आदि (रोलिंग स्टाक) और पुर्जों का आर्डर दे दिया गया है। कुछ और जर्मन टेक्निशियनों की सेवायें संयंत्र के संचालन तथा रख रखाव के लिए प्राप्त की जा रही है।

†**श्री महेश्वर नायक :** रूरकेला इस्पात कारखाने में मालूम हुए दोनों और अनुभव की गई कठिनाइयों को दूर कर दिया गया है ताकि उत्पादन पढ़कर निर्धारित क्षमता तक पहुंच जाये ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** यह पहिले ही बताया जा चुका है कि पिछले महीने में भी हम कच्चे लोहे के बारे में ९५ प्रतिशत और इस्पात के बारे में ७५ प्रतिशत तक पहुंच गये हैं। दिसम्बर के अन्त तक, आशा है कि हम निर्धारित क्षमता के ९० प्रतिशत तक पहुंच जायेंगे।

†**श्री महेश्वर नायक :** इस संबंध में क्या विस्तार योजना कुछ आगे बढ़ी है या यह अभी आरम्भ की जायेगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हां, श्रीमान्। परियोजना का विस्तार भी हो रहा है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रूरकेला प्लेट मिल में हाल में कोई कार्य-मांग हुआ था, और हां, तो इसका क्या कारण था और वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** एक मोटर का कार्य भाग हो गया था। इसका मोटर है और वह चल रहा है। हम दूसरे मोटर की मरम्मत कराने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** माननीय मंत्री ने इस सभा में बताया था कि रूरकेला दुर्भाग्यवश 'रोगी शिशु' है"। क्या यह दोष दूर कर दिया गया है और अब उत्पादन पूरी मात्रा में हो रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** हां, श्रीमान्। मैं घोषित कर सकता हूं कि यह अब 'रोगी शिशु' नहीं है। यह बहुत ही स्वस्थ शिशु है और बढ़ रहा है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** क्या मंत्री रूरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में उत्पादन के बारे में तुलनात्मक जानकारी दे सकते हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** जैसा कि मैं पहिल बता चुका हूं, भिलाई में उत्पादन पूरी क्षमता पर हो रहा है। रूरकेला में कच्चा लोहे का उत्पादन ९५ प्रतिशत और इस्पात का उत्पादन ७५ प्रतिशत हो गया है। रूरकेला और तुर्गापुर में काफी स्पर्धा है और आशा है कि दोनों ही सफल रहेंगे।

†**श्रीमती सरोजनी महिषी :** जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से कितना अधिक उत्पादन होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम:** यह अतिरिक्त उत्पादन का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न तो उनकी सहायता से निर्धारित क्षमता प्राप्त करना है, यह किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रजी में

प्रतिरक्षा विभाग की ऊनी वस्तुओं सम्बन्धी आवश्यकतायें

+

†*३६०. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतान की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय आपातकाल में प्रतिरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊनी मिलों में उचित व्यवस्था करने की दशा में क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८४]**

†**श्री दी० चं० शर्मा** : ऊन के गोलों के आयात के लिये क्या प्रबंध किये गये हैं और कितन आयात किया जाएगा ?

†**श्री मनुभाई शाह**: हम समुचे उद्योगों को चौबीसों घंटे चलाने के लिये आधे वर्ष से अधिक अवधि की अपनी आवश्यकता का आर्डर दे चुक हैं । मैं आंकड़े बताना नहीं चाहता ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : विवरण में कहा गया है :

"उद्योगों के सभी क्षत्रों को लेने की एक समायोजित योजना, उत्पादन में दोहरेपन को रोकने के लिये बनाई जा रही है ।"

वह समन्वित योजना क्या है और इस योजना में कौन से क्षेत्र आते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : मुख्य क्षेत्र हैं सामाजिक मिलें हैं जो सभी प्रतिरक्षा आवश्यकताओं का निर्माण कर रहे हैं, अमृतसर समीपस्थ-स्थानों में विद्युत करघे, लुधियाना के तथा अन्य स्थानों के होजरी संयंत्र कताई के सयंत्र । प्रतिरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को तेज करने के लिये इन चारों क्षत्रों में समन्वय होगा ।

†**श्री रंगा** : हम सुनते हैं कि आस्ट्रेलिया तथा कुछ अन्य देश ऊनी सामग्री देने को तैयार थे जितनी सरकार उन से मांगती । क्या सरकार ने इस बात के लिय कोई कार्रवाई की है कि इसे देश से माल आयात किया जाए ?

†**श्री मनुभाई शाह** : सब मित्र देशों से कहा गया है और उन का प्रत्युत्तर बहुत अच्छा है ।

†**श्री महेश्वर नायक** : क्या यह सच है कि राज्यों में ऊनी उद्योगों को अपेक्षित सामग्री नहीं मिल रही है ताकि वह पूर्ण उत्पादन कर सकें ? यदि हां, तो क्या सरकार इस बात के लिये सक्रिय कार्रवाई कर रही है कि बाहर से ऊनी कच्चे माल का आयात किया जाए ?

†**श्री मनुभाई शाह** : यह स्थिति आपातकाल से पूर्व थी क्योंकि उन को उच्च प्राथमिकता प्राप्त नहीं थी । अब, जैसा कि मैं ने वक्तव्य में बताया है समूचे उद्योगों को प्रतिरक्षा संबंधी से आवश्यकताओं के लिये तैयार किया गया है और इसे सर्वाधिक प्राथमिकता दी जा रही है ।

†**श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : देश में ऊनी मिल कितने हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लगभग २२ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : इस बात की दृष्टि से कि तिब्बत और खानधार से माल नहीं मिल रहा, क्या सरकार न अन्य साधनों से कच्चे माल का पर्याप्त संभरण बढ़ाने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हमारी वर्तमान मांग हमें मिलने वाली क्रय सामग्री से बहुत अधिक है ।

जंजीवार के लौंग के व्यापारी

†*३६१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री दाजी :
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल में ही जंजीबार के लौंग के व्यापारियों की ओर से भारतीय आयात प्रशुल्क में ढील देने के लिय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) क्या प्रधान मंत्री ने लन्दन में अपनी हाल की यात्रा के दौरान इस प्रार्थना पर अनुकूल रूप से विचार करन का आश्वासन दिया है; और

(ग) इस बार में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) आयात शुल्क में कमी के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) यह बताया गया था कि जंजीबार के लौंगों के निर्यात के संबंध में भारत आने वाले शिष्टमंडल के साथ सहानुभूति दिखाई जाएगी।

(ग) हाल ही में जंजीवार के शिष्टमंडल के साथ हुई बातचीत के परिणामस्वरूप जंजीवार के साथ व्यापार बढ़ाने के लिये कुछ प्रस्ताव रखे जा रहे हैं। ये अभी जंजीबार सरकार के विचाराधीन हैं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि जंजीवार के लौंग पर आयात प्रशुल्क की वर्तमान दर ९२½ प्रतिशत तक है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : लौंग जिस श्रेणी में आत हैं उसकी दृष्टि से यह सर्वथा उचित है। सभा इस बात को अनुभव करेगी कि यह बहुत अत्यावश्यक बस्तु नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या इस आरोप में कोई सचाई है जो समाचार पत्रों में छप रहा है कि क्योंकि भारत जंजीवार के लौंगों के लिये संसार में दूसरे नंबर का बड़ा ग्राहक है, और वह असाधारणतया उच्च आयात प्रशुल्क लगाने के लिये इसका लाभ उठा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रशुल्क हमारे ग्राहकों द्वारा दिया जाता है, उनके द्वारा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्यात क्षेत्र

+

†*३६३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री श्याम लाल सर्राफ :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात के लिये अलग क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्री व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). इस प्रस्ताव की मोटी रूप रेखा यह है :—

(१) विद्यमान औद्योगिक एकांशों में निर्यात के लिये क्षमताओं का नियमित आयोजन तथा निर्यात के लिये उस क्षमता का लाभदायक विस्तार;

(२) मुख्यतः निर्यात के लिये नवीन एकांशों की स्थापना ।

इस प्रस्ताव पर २८-९-६२ को व्यापार मंडल ने विचार किया था और ब्यौरे की छान बीन करने के लिये एक समिति स्थापित करने का फैसला किया गया था ।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** समिति के सदस्य कौन हैं, जो निर्यात की योजना बनाएंगी और क्या इसमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के कुछ विशेषज्ञ शामिल होंगे?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । समिति में डा० गाडगिल, डा० लोकनाथन, श्री सचिन चौधरी, श्री पीतम्बर पंत, भारत सरकार के दो वरिष्ठ औद्योगिक सलाहकार तथा चार उद्योगपति होंगे ।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

ऊनी कपड़ों की कीमतें

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ (श्री गुलशन): क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि ऊनी कपड़ों की कीमतें पिछले मौसम के मुकाबले में इस मौसम में दुगनी बढ़ गयी हैं; और

(ख) ऊनी कपड़ों की बढ़ती हुई कीमतें रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही करने का फैसला किया है और कब से ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** मैं इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं किन्तु मैं उसको दोहराऊंगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री गुलशन : कृपया मंत्री महोदय हिन्दी में उत्तर दें ।

श्री मनुभाई शाह : पिछल थोड़े से महीनों के अंदर इनडिजीनस ऊनी कपड़े के दाम १५ से २५ परसेंट तक बढ़ गये हैं।

जहां तक वर्सटड होजरी यार्न, वीविंग यार्न, ग्र हैंड–निटिंग यार्न और होजरी मैनु–फैक्चरर्स का सवाल है उनके लिए सरकार ने स्टैचुटरी बाकायदा दाम मुकर्रर किये हैं और उन दामों पर छोटी छोटी इंडस्टरीज को उनकी जरूरत का सारा सूत दिया जाता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** उठे . . .

अध्यक्ष महोदय : यह सवाल हो चुका है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या माननीय मंत्री को यह बताया गया है कि ऊन बहुतेरी दुकानों पर खुले बाजारों में नहीं मिल रही है और यह छिपा ली गई है? उनको उपलब्ध करने विशेषकर फर्मों के लिये जिनको इसकी जरूरत है, क्या कदम उठाये गये हैं?

†**श्री मनुभाई शाह** : प्रश्न के पहले भाग के संबंध में मेरी देश को अपील है तथा जनता से, जिसने बहुत उत्तम प्रत्युत्तर दिया है कि ऊन की खरीद कम से कम की जाए क्योंकि बाजार में उपलब्ध सारी ऊन की प्रतिरक्षा कार्यों के लिये आवश्यकता है। दूसरे भाग का उत्तर जो मैं बता चुका हूं हमने समूच उद्योग को चौबीस घंटे चलाने के लिये विदशों से आधे वर्ष से अधिक अवधि की आवश्यकता की ऊन मंगवाने का आर्डर दे चुके हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

निर्यातकों के लिये ऋण सुविधायें

†*३४०. { **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री विशनचन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २९८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यातकों के लिए ऋण सुविधाएं बढ़ाने की योजना के संबंध में इस बीच कोई निश्चय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस मामले की खोज बीन, इस समस्या की जांच करने के लिये नियुक्त की गई मथरानी समिति द्वारा की जा रही है। समिति को अपनी रिपोर्ट पेश करने में कुछ और समय लगने की आशा की जाती है।

पिछली समिति (कपूर समिति) की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात उत्पादन लक्ष्य

†*३६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री १७ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तीसरी योजना के अधीन इस्पात उत्पादन लक्ष्यों के पुनरीक्षण के बारे में इस बीच क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) तीसरी योजना की शेष अवधि में सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में कितने इस्पात का उत्पादन हो जाने की आशा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात के उत्पादन लक्ष्यों का पुनरीक्षण जारी है। यद्यपि उत्पादन संबंधी प्राक्कलनों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है, सभी इस्पात संयंत्रों को १९६३–६४ तक १०० प्रतिशत उत्पादन करने के लिये कहा गया है और वर्तमान संकट काल की दृष्टि से उस वर्ष तथा बाद वाले वर्ष के लिये लक्ष्य १००% क्षमता उत्पादन है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र के तीनों संयंत्रों से तीसरी योजना के अन्तिम तथा उससे पहले वर्ष में कुछ उत्पादन की आशा की जाती है। इनके प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, किंतु मोटे तौर पर कुछ उत्पादन २२० लाख टन तैयार इस्पात होगा जबकि योजना का लक्ष्य २४० लाख टन का है।

नेपा मिल्स

†*३६४. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वाणिज्य लेखा परीक्षा निदेशक (डायरैक्टर आफ कमर्शियल आडिट) ने ३१ मार्च १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के नेशनल न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटड (नेपा मिल्स) के लेखों में बहुत सी अनियमिततायें निकाली हैं ;

(ख) यदि हां, तो अनियमिततायें क्या हैं; और

(ग) इन अनियमिततात्रों को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) यद्यपि इस प्रकार कोई अनियमितता नहीं देखी गई, वाणिज्यिक लेखापरीक्षण के निदेशक के टिप्पण, जो ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखे पेश करते समय प्रविधिक ढंग के थ जो लेखापरीक्षण करते समय किये गये थे; उनका परीक्षण निदेशक मंडल (बोर्ड आफ डायरेक्टर्स) द्वारा किया गया है जिन्होंन अपने निष्कर्ष तथा अपनाई जाने वाली हिदायतें बताई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल

†*३६५. **श्री श्याम लाल सर्राफ :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
डा० पू० ना० खां :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल में बने बिजली के जैनरेटर, आल्टरनेटर, ट्रांसफारमर कन्वर्टर, स्विच गीयर आदि देश की मांग पूरी करने के लिये पर्याप्त होंगे ; और

(ख) यदि हां तो उसको किस प्रकार पूरा करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) भारी बिजली सामान जो भोपाल फैक्टरी में तैयार किया जाएगा, वह देश की अपनी पूरी आवश्यकता पूरा नहीं कर सकेगा ।

(ख) सरकारी क्षेत्र में रुसी तथा चैकोस्लेविकिया के सहयोग के साथ दो और भारी बिजली उपकरण एकांश, स्थापित करके तथा गैरसरकारी क्षेत्र में अतिरिक्त क्षमता स्थापित करके ।

तकुओं का आवंटन

†*३६६. **श्री वारियर :**
श्री विद्याचरण शुक्ल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष के लिये और तकुओं का आवंटन करने का सरकार ने निर्णय कर लिया है और

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिये कोई योजना बनाई गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) लाइसेंस सम्बद्ध राज्य सरकारों से प्राप्त सिफारिशों के आधार पर जारी किये जा चुके हैं ।

भारी उद्योगों में उत्पादन

†*३६७. **श्रीमती सावित्री निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान सीमा संकट का सामना करने के लिये भारी उद्योगों में तीसरी योजना के अधीन उत्पादन के ढांचे में क्या कोई परिवर्तन करने का विचार है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). उत्पादन के स्वरुप में कोई बड़ा परिवर्तन करने का विचार नहीं। हो सकता है कि कुछ छोटे परिवर्तन किए जाएं किन्तु अनिवार्यतः प्रश्न उत्पादन बढ़ाने का है। प्रयत्न एकांशों में उत्पादन बढ़ाने के लिये किया जा रहा है, जो चल रहे हैं और भारी औद्योगिक परियोजनाओं के निर्माण को बढ़ाने के लिये, जो बनाई जा रही हैं।

थाना, बम्बई में कृत्रिम विटामिन 'ए' का कारखाना

†*३६८. **श्री महेश्वर नायक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोल्टास लिमिटेड की भागीदारी में एक स्विस फार्म द्वारा बम्बई के निकट थाना में २ करोड़ रुपये से बनाये गये कृत्रिम विटामिन 'ए' के कारखाने में शीघ्र उत्पादन होने लगेगा ;

(ख) देश की इस उत्पादन की कुल आवश्यकता क्या है और इस कारखाने से यह आवश्यकता किस सीमा तक पूरी हो जायेगी ; और

(ग) इस परियोजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की जरुरत पड़ी तथा उसको किस प्रकार पूरा किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां।

(ख) इस सामग्री की कुल आवश्यकता प्रति वर्ष २० एम० एम० यू० अनुमान है, जिसका ५० प्रतिशत इस संयंत्र द्वारा दिया जाएगा।

(ग) इस परियोजना के लिये अपेक्षित विदेशी मुद्रा, जिसका प्रारम्भ में अनुमान १.६ करोड़ रुपये का था, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय समवाय में लगाई गई विदेशी मुद्रा द्वारा पूरी की जाएगी।

इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त कोयले का आयात

†*३६९. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ज्योति स्वरूप :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त अच्छे किस्म के 'कोकिंग कोल' का आयात करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ; और

(ग) योजना के अन्तर्गत कितने कोयले का आयात होगा और कहां से ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). विदेश से पत्थर का कोयला मंगवाने की संभावना कुछ चौथी योजना के प्रस्तावों के सम्बन्ध में मालूम की गई है और भट्टियों में कच्चा लोहा तैयार करने के सम्बन्ध में किया गया है। तथापि इस मामले में कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय उत्पादकों को ऋण

†७७२. { **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० कुन्हन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सच है कि सरकार ने मशीनरी खरीदने के लिये चाय उत्पादकों को ऋण देने के लिये प्रयोग में लाने के लिये चाय बोर्ड को अतिरिक्त धन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने की क्या कसौटी है ; और

(ग) अब तक सरकार के पास कितनी अर्जियां आई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) जी, हां, उधार-खरीद शर्तों पर चाय सम्पदाओं को सिंचाई का उपकरण देने के लिये ।

(ख) ऋण देने की कसौटी यह है कि प्रार्थित मशीनरी संबद्ध सम्पदा की चाय का उत्पादन एवं गुण प्रकार बढ़ाने के लिये अत्यावश्यक हो और उससे उत्पादन आदि में वृद्धि हो ।

(ग) चाय बोर्ड के पास , चाय मशीनरी उधार-खरीद योजना के अन्तर्गत ३.६९ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनरी एवं उपकरण संभरण के लिये अभी तक २८७ अर्जियां आई हैं ।

केरल का उद्योगीकरण

†७७३. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन १४ बड़ी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनकी मंजूरी केरल के उद्योगीकरण के लिये सरकार द्वारा दी गई है ; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किन १४ बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं । तथापि केन्द्र तथा राज्य के सरकारी क्षेत्रों में केरल की अधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक परियोजनाओं के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है । **(पुस्तकालय में रखा गया—देखिये संख्या एल० टी० ६०७/६२)**

दिल्ली में खादी तथा ग्रामोद्योग भवन

†७७४. **श्री ई० मधुसूदन राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी और ग्रामोद्योग भवन नई दिल्ली ने २ अक्तूबर से १४ नवम्बर, १९६२ को अपनी छूट देने की अवधि में कितनी बिक्री की है ; और

(ख) उक्त अवधि में इस भवन को कुल कितना शुद्ध लाभ हुआ है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

लोहा और इस्पात का आयात

†७७५. **श्री हिम्मत सिंहका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने छोटे उद्योगों के लाभार्थ रुपया भुगतान देशों से सीधे लोहा और इस्पात मंगवाने की अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) अनुमति नहीं दी गई है क्योंकि राजकीय व्यापार निगम के द्वारा बड़े पैमाने पर आयात करना अधिक लाभदायक समझा जाता है ।

राज्यों की लोहा और इस्पात सम्बन्धी आवश्यकतायें

†७७६. **श्री सेझियान** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के लिये विविध राज्यों की लोहा और इस्पात की आवश्यकताएं कितनी हैं ; और

(ख) उक्त अवधि में प्रत्येक राज्य के लिये कितना नियतन किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि०सुब्रह्मण्यम)**: (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ? **(देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८६)**

उड़ीसा में नमक उद्योग

†७७७. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में उड़ीसा राज्य में नमक उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई धन दिया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : नमक विभाग द्वारा तीसरी योजना अवधि में अब तक उड़ीसा में नमक उद्योग के विकास के लिये केवल ६३० रुपये खर्च किये गये हैं ।

उड़ीसा का औद्योगिक विकास

†७७८. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६२–६३ में अब तक राज्य के औद्योगिक विकास के लिये उड़ीसा सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: वर्तमान प्रक्रिया के अधीन, किसी वित्तीय वर्ष के लिये केन्द्रीय सहायता की मंजूरी, राज्य सरकार द्वारा बताये गये पहले नौ महीनों के वास्तविक आंकड़ों तथा अन्तिम तीन महीनों के प्रत्याशित व्यय के आधार पर वर्ष के लगभग

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्त में दी जाती है। उड़ीसा राज्य को १९६२–६३ में औद्योगिक विकास के लिये अब तक दी गई राशि बताने का सवाल पैदा नहीं होता।

उड़ीसा में १९६२–६३ में ग्राम तथा अल्प उद्योगों के विकास के लिये ७० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता की व्यवस्था की गई है।

हीराकुद में सीमेन्ट कारखाना

†७७९. **श्री रामचन्द्र मलिक** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में हीराकुद में एक सीमेंट कारखाना बनाने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क)और (ख). उड़ीसा राज्य के सम्बलपुर जिले में हीराकुद के पास १२०० मीट्रिक टन प्रति दिन या ३९६,००० मीट्रिक टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक सीमेंन्ट कारखाना बनाने के लाइसेन्स के लिए उड़ीसा सरकार का प्रार्थनापत्र उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया गया है। उड़ीसा औद्योगिक विकास निगम लि० कारखाना बनायेगा। यह निगम राज्य सरकार का एक उपक्रम है।

केरल में औद्योगिक बस्ती

†७८०. **श्री अ० व० राघवन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में केरल में प्रस्तावित होने वाली औद्योगिक बस्तियों का स्थान निश्चित कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और(ख). एक विवरण संलग्न है।

विवरण

११ औद्योगिक बस्तियों में से ३ विकास भूमियां और २५ 'वर्क शेड' तीसरी पंच-वर्षीय योजना काल में केरल में बनेंगे, वजाहाकुलम और मंजेरी में दो अर्ध-नागरिक औद्योगिक बस्तियां, कराखड में एक ग्रामीण औद्योगिक बस्ती बनेंगी और २४ वर्कशेड निम्न स्थानों पर बनाये जाने के लिए चुन लिये गये है :—

१. अंचलुम्मूडू
२. पठानापुरम
३. सरायलूर

†मूल अंग्रेजी में

४. अरूर
५. चेराय
६. ऐरूर
७. कुरीची
८. कोट्टूर
९. बडाकेठारा
१०. बालुसेरी
११. मालापुरम
१२. कुट्टिपुरम
१३. कदुवल्ली
१४. मंजेश्वर
१५. पटयान्नूर
१६. इरिक्कुर
१७. कुठुचारम्बा
१८. चित्तूर
१९. नोमारा
२०. पट्टाम्बि
२१. ननकाडा
२२. अन्दाथोडे
२३. अलयूर
२४. कोयलमन्ना

टेक्निकल अनुमोदन के लिये विस्तृत योजनायें अभी राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई ।

चाय बोर्ड योजना

†७८१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारतीय चाय परिषद् के सभापति के उस वक्तव्य की ओर जो १२ सितम्बर, १९६२ के "फाइनेशनल एक्स्प्रेस" में प्रकाशित हुआ था, आकर्षित किया गया है जिसमें उल्लेख है कि चाय बोर्ड की योजनाओं में जिनके अन्तर्गत वित्त उपलब्ध होता है, पात्रता की इतनी कठिन परीक्षा की व्यवस्था है कि प्रथम श्रेणी का तुलनपत्र भी निर्धारित बातों की पूर्ति में असफल रहती है ; और

(ख) यदि हां, तो इन उपबन्धों को थोड़ा कम कड़ा करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) उद्योग से प्राप्त हुए उत्तर और विभन्न योजनाओं के अन्तर्गत बोर्ड जितने प्रार्थनापत्र निपटा सका है उनकी संख्या के आधार पर सरकार का विचार यह नहीं है कि "पात्रता परीक्षा", जिसकी व्यवस्था इन योजनाओं में की गई है, कठिन है ।

सूखा दूध

†७८२. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री ब० कु० दास :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे देश में सूखे दूध की वर्तमान मांग कितनी है ?

(ख) क्या समूची मात्रा का विदेशों से आयात होता है ;

(ग) यदि नहीं तो इसका कितना हमारे देश में बनता है ;

(घ) सूखा दूध बनाने वाले कारखानों के क्या नाम हैं ; और

(ङ) क्या और भी कारखाने बन रहे हैं और क्या वे गैर-सरकारी क्षेत्र में हैं या सरकारी क्षेत्र में ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ). देश में सूखे दूध की वर्तमान मांग लगभग २०,००० टन की है। इसमें से, लगभग ९५ प्रतिशत आयात होता है और शेष का उत्पादन देश में (१) मेसर्स केरा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, आनन्द (गुजरात राज्य) और (२) दिल्ली दुग्ध संभरण योजना, नई दिल्ली के द्वारा होता है। फिर भी, भावी आयात को रोकने के लिये सूखे दूध के उत्पादन के लिये पर्याप्त क्षमता गैर-सरकारी तथा सरकारी दोनों क्षेत्रों में अधिष्ठापित की जा रही है ।

विधेयकों का हिन्दी अनुवाद

†७८३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री जगदेव सिंह सिद्धांती :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संसद् के बहुत से सदस्यों ने एक ऐसा ज्ञापन उन्हें दिया था कि संसद् में प्रस्तुत होने वाले विधेयक अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो यह क्रम कब से आरम्भ हो सकेगा ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधन्द्र मिश्र) : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस प्रयोजन के लिये आवश्यक कर्मचारी भरती करने के लिये कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही ऐसे कर्मचारी भरती कर लिये जायेंगे, विधेयकों के हिन्दी रूपांतर दिये जायेंगे।

धर्मार्थ न्यास

†७८४. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, १८९० के अन्तर्गत कितने गैर-सरकारी धर्मार्थ न्यास रजिस्टर हैं और उनकी आस्तियों का कितना मूल्य है ; और

(ख) वर्ष १९५६–५७ से १९६०–६१ तक प्रति वर्ष कितने न्यास बनाये गये ?

†**विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) और (ख). भारत सरकार के पास जानकारी उपलब्ध नहीं है तथा राज्य सरकारों और संघ प्रशासित राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त करनी होगी। इसके उपलब्ध होते ही, वह सभापटल पर रख दी जायेगी।

आसाम में चाय नीलाम बाजार

†७८५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १४ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच आसाम में एक चाय नीलाम बाजार खोलने के प्रश्न पर निश्चय कर लिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो निश्चय करने में क्या मुख्य कठिनाइयां हैं ; और

(ग) निश्चय किस समय तक होने की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) आसाम सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने जो रिपोर्ट दी है, वह उस सरकार के विचाराधीन है।

(ग) कोई निश्चित सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

आयात व्यापार

†७८६. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल कितनी फर्में आयात व्यापार करती हैं ;

(ख) इनमें से कितनी फर्में प्रयोगकर्ता फर्में हैं ;

(ग) आयात व्यापार में राज्य व्यापार निगम का कितना भाग है ; और

(घ) पिछले पांच वर्षों में इस व्यापार में कितनी नई फर्में आ गई हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (घ). फर्मवार आयात लाइसेंन्सों के आंकड़े आयात व्यापार नियंत्रण संगठन में नहीं रखे जाते। अतः आयात व्यापार करने वाली फर्मों की संख्या उपलब्ध नहीं है वर्ष १९६१–६२ और १९६२–६३

---

†मूल अंग्रेजी में

(१८-८-६२) तक में दिये गये कुल आयात लाइसेंस और वास्तविक प्रयोग कर्ताओं को दिये गये लाइसेंस निम्न हैं :—

वर्ष	दिये गये लाइसेंसों की कुल संख्या	वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को दिये गये लाइसेंसों की संख्या
१९६१-६२ .	३,१९,५७९	४६,४७६
१९६२-६३ (१८-८-६२ तक) . .	४९,६००	६,३५९

पिछले पांच वर्षों में नई फर्मों को दिये गये लाइसेंसों का मूल्य बहुत कम रहा है ।

(ग) वर्ष १९६१-६२ और १९६२-६३ (१८-८-६२ तक) में दिये गये कुल आयात लाइसेंसों के कुल मूल्य पर राज्य व्यापार निगम को दिये गये लाइसेंसों का मूल्य निम्न है :—

वर्ष	राज्य व्यापार निगम को दिये गये लाइसेंसों का मूल्य	दिये गये लाइसेंसों का कुल मूल्य
	(लाख रुपया)	(लाख रुपया)
१९६१-६२	६०,७४	८,४०,८९
१९६२-६३ (१८-८-६२ तक) .	१८,६५	२,९६,८४

कुटीर उद्योग

†७८७. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१-६२ में खादी तथा ग्रामोद्योगों ने विभिन्न कुटीर उद्योगों के लिये अनुदेशकों के प्रशिक्षण देने पर कुल कितना व्यय किया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : १.५६ लाख रु० ।

पश्चिमी तट पर पोतवणिकों का संगठन

†७८८. **श्री बिभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी तट पर पोतवणिकों का संगठन बन गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन के क्या कार्य हैं ;

(ग) क्या सरकार का संगठन से कोई सम्बन्ध है ; और

(घ) क्या सरकार पूर्वी तट पर भी ऐसे ही संगठन की स्थापना को प्रोत्साहन दे रही है ?

†मूल अंग्रजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) हां श्रीमान् ।

(ख) (१)पश्चिमी भारत में विभिन्न भागों में पोतवणिकों को संगठित कहने और निर्यातों के संबंध में उन्हें प्रभावित करने वाली विभिन्न समस्याओं के विचार विमर्श के लिये ;

(२) नौवहन भाड़ा, जहाजों की उपलब्धता, नियमित नौवहन सेवा के बारे में पोतवणिकों द्वारा संगठित कार्य कराना ; और

(३) जहाजी कम्पनियों (शिपिंग लाइनों) के सम्बन्ध में पोतवणिकों के हितों की सुरक्षा के लिये आवश्यक सभी कार्यवाही करना ।

(ग) नहीं, श्रीमान ।

(घ) हां, श्रीमान ।

अलौह धातु उद्योग

†७८९. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रा० नास्कर :
श्रीमती मैमूना सुल्तान :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ५० प्रतिशत प्रति आयात कटौती होने के कारण अलौह धातु उद्योग के उत्पादन में कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस की सूचना सरकार को दे दी गई है ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करेगी ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हरिद्वार के निकट हैवी इलेक्ट्रिकल्स फैक्टरी

७९०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हरिद्वार के निकट बनने वाले हैवी इलेक्ट्रिकल के कारखाने में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यह कारखाना कब तक बन कर तैयार हो जायेगा और इस में कब से उत्पादन आरंभ हो जायेगा ; और

(ग) इस कारखाने की अनुमानित लागत क्या होगी ?

---

†मल अंग्रेजी में

इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) इस प्रायोजना के प्राथमिक कार्यों को हाथ में ले लिया गया है। भूमि प्राप्त कर ली गई है ; संयंत्र स्थल को समतल करने, एक प्रशिक्षण स्कूल तथा २५० रिहायशी मकानों के निर्माण कार्य प्रगति कर रहे हैं।

(ख) कारखाने के १९६५ के अन्त तक तैयार हो जाने और उत्पादन आरम्भ कर देने की संभावना है।

(ग) कारखाने की अनुमानित पूंजीगत लागत ४० करोड़ रुपये है। ठीक अनुमान का पता मई १९६३ में विस्तृत रिपोर्ट की प्राप्ति पर लगेगा।

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट

७९१. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद
श्री हेम राज :

क्या **विधि** मंत्री १३, अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो सिफारिशें की थीं, उन्हें स्वीकार कर के कार्यान्वित करने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर राज्य सरकारों की राय मालूम करने के लिये उसे राज्य सरकारों के पास भेजा गया है। इस सम्बन्ध में अगली कार्यवाही राज्य सरकारों द्वारा प्रकट की गई राय पर विचार करने के बाद की जायगी।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रबड़ सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें

†७९२. **डा० पू० ना० खां :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री नि० रा० नास्कर :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रबड़ बोर्ड का अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ सम्बन्धी अग्रिम परियोजनायें लागू करने के लिये वहां कोई सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सर्वेक्षण स्वयं रबड़ बोर्ड करेगा या अन्दमान तथा निकोबार प्रशासन करेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). रबड़ बोर्ड द्वारा नियुक्त की गई दो व्यक्तियों की एक टीम अन्दमान द्वीपसमह का सवक्षण पहिले ही कर चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यापार नीति

†७९३. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सुदूरपूर्व के बाजारों में मांग पुनः प्राप्त करने या वहां कम से कम स्पर्धा करने के लिये एक प्रभावी व्यापार नीति बनाने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या ब्यौरा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). सरकार अन्य बातों के साथ सुदूरपूर्व के बाजारों को निर्यात बढ़ाने का यथासंभव प्रयास कर रही है और निर्यातकर्ताओं के इस सम्बन्ध में आवश्यक सुविधायें दी जा रही हैं। एक व्यापार शिष्टमण्डल हाल में इण्डोनेशिया, मलाया, सिंगापुर और थाईलैण्ड गया था। इस का उद्देश्य उन देशों को निर्यात बढ़ाने और उन के साथ टेक्नो-आर्थिक सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाना था। शिष्टमण्डल की रिपोर्ट विचाराधीन है।

रूस से डाक्टरी के उपकरण आदि

७९४. **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने भारत को डाक्टरी के औजार और शल्य चिकित्सा के उपकरण देने का प्रस्ताव रखा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में भारत सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) मामला अब भी विचाराधीन है।

रूस को केलों का निर्यात

†७९५. **श्री उमानाथ :**
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री मे० क० कुमारन :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस को इस देश से केलों के निर्यात की वार्ता समाप्त हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो निश्चय की शर्तें क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). रूसी प्राधिकारियों ने सिद्धान्त रूप में भारत से लगभग ४,००० टन ताज़ा केलों का जांच की आधार पर आयात करना स्वीकार कर लिया है। परिवहन तथा संभरण का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूस की सहायता से औषधि-संयंत्र लगाना

७९६. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ अगस्त, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत रूस की सहायता से जो चार औषधि-संयंत्र भारत के विभिन्न स्थानों में स्थापित किये जा रहे हैं, क्या उन की अलग-अलग प्रगति के बारे में एक विस्तृत विवरण सभा-पटल पर रखा जायगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : एण्टीबायोटिक्स प्लांट, ऋषिकेश, सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट, हैदराबाद तथा सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट, मद्रास के लिये देश में बनाई जाने वाली मशीनें प्राप्त करने के लिये कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रूस में प्रशिक्षित किये जाने वाले इंजीनियरों और टैक्नीशियनों के पहले दल का चुनाव किया जा चुका है और आशा है कि दिसम्बर, १९६२ के मध्य तक भारत में उस का प्रारम्भिक प्रशिक्षण शुरू हो जायगा। इस प्रारम्भिक प्रशिक्षण को पूरा करने के बाद अप्रैल, १९६३ में यह दल रूस के लिये रवाना हो जायगा। जहां तक नेरियामंगलम के फाइटो-कैमिकल प्लांट का सम्बन्ध है उस का निर्माण कार्य अभी रोक दिया गया है। इस का कारण यह है कि इस प्लांट में औषधि बनाने के लिये अपनाये जाने वाले प्राद्योगिकीय तरीकों के बारे में सोवियत विशेषज्ञों के परामर्श से और आगे विचार किया जा रहा है।

ऋषिकेश के एण्टीबायोटिक्स प्लांट और हैदराबाद के सिन्थैटिक ड्रग्स प्लांट में १९६६ के आरम्भ में तथा सर्जिकल इन्स्ट्रूमेंट्स प्लांट, मद्रास में १९६५ के आरम्भ में औषधियों का निर्माण होने लगने की आशा है।

मूंदड़ा उपक्रमों का प्रबन्ध

†७९७. **श्री राजेश्वर पटेल :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूंदड़ा दल के उपक्रमों के अंश जीवन बीमा निगम द्वारा खरीदे जाने के फलस्वरूप सरकार जिन उपक्रमों के प्रबन्ध पर अपना नियंत्रण रख रही है, उन के क्या नाम हैं ;

(ख) क्या सरकार प्रबन्ध किसी अन्य व्यक्ति को देने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जो कम्पनियां कुछ समय पहिले श्री एच० डी० मूंदड़ा के नियंत्रण में थीं, और जो अब भी चल रही हैं, उन में से जेसप एण्ड को० लि०, कलकत्ता, रिचार्डसन एण्ड क्रडाज़ लि०, कलकत्ता और दि ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि०, कानपुर मुख्य कम्पनियां हैं। १५ मई, १९५८ से जेसप एण्ड को० लि० का प्रबन्ध एक बोर्ड द्वारा हो रहा है जिसे सरकार ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत नियुक्त किया था। ९ दिसम्बर, १९५७

†मूल अंग्रेजी में

से रिचार्डसन एण्ड क्रडाज़ लि० का प्रबन्ध एक विशेष अधिकारी के हाथ में था और बाद में डाइरेक्टरों के बोर्ड के हाथ में आ गया । यह बोर्ड उच्च न्यायालय ने उस समय नियुक्त किया था जबकि कम्पनी अधिनियम, १९५६ की धारा ३९७ तथा ३९८ के अधीन अभियोग चल रहा था । अतः इन कम्पनियों का प्रबन्ध सरकार के नियंत्रण में होने का प्रश्न, क्योंकि जीवन बीमा निगम ने उन के अंश खरीद लिये हैं, उत्पन्न नहीं होता ।

ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० का प्रबन्ध २३ मई, १९५८ से ३१ अक्टूबर, १९६२ तक उच्च न्यायालय के अधीन था, क्योंकि कम्पनी अधिनियम की धारा ३९७ और ३९८ के अधीन उस न्यायालय में अभियोग चल रहा था । फिर भी, न्यायालय के आदेश पर अंशधारियों द्वारा निर्वाचित डाइरेक्टरों के नये बोर्ड ने १ नवम्बर, १९६२ से प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया । सरकार और जीवन बीमा निगम के कम्पनी में क्रमानुसार २२.५ प्रतिशत और १६.६३ प्रतिशत अर्थात् कुल ३९ प्रतिशत समान अंश हैं । इस सीमा तक ब्रिटिश इण्डिया कारपोरेशन लि० का प्रबन्ध सरकार और जीवन बीमा निगम के हाथ में है ।

(ख) उपरोक्त स्थिति की दृष्टि से, जो जेसप एण्ड को० लि० और रिचार्डसन एण्ड क्रडाज़ लिमिटेड के बारे में प्रश्न पैदा नहीं होता । ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भद्रावती आयरन वर्क्स के लिये स्टील रोल्स

†७९८. **श्री रा० शि० पाण्डेय :**
श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में भद्रावती आयरन वर्क्स के लिए यू० एस० स्टील को० लि० से कुछ स्टील रोल्स खरीदे गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो कितने और किस मूल्य पर रोल्स खरीदे गये ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

प्रदर्शनीय वस्तुओं का क्रय-विक्रय

†७९९. **श्री मुरारका :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१ से फरवरी १९५८ तक विदेशों में प्रदर्शन के लिए प्रदर्शनीय वस्तुओं के खरीदने पर कुल कितना व्यय हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त वस्तुओं के विक्रय से कितना मूल्य प्राप्त हुआ ; और

(ग) स्टाक में पड़ी वस्तुओं का कितना मूल्य है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १८,६२,१२३.०० रु० ।

(ख) ३,७२,३५८.०० रु० ।

(ग) १०,७४,६१९.०० रु० ।

इस्पात का आयात

†८००. **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :
श्री राजेश्वर पटेल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वस्तु विनिमय करारों या रुपया भुगतान के आधार पर कुल कितना इस्पात आयात किया गया है ;

(ख) ये आयात किसके द्वारा किये गये हैं ; और

(ग) यदि सरकार ने इन आयातों के वितरण पर कोई नियंत्रण लगाया है, तो क्या ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) राज्य रज्य व्यापार निगम ने जो वस्तु विनिमय करार किया था उसके अन्तर्गत आयात किये गये इस्पात का कुल मूल्य १५.०६ करोड़ रु० था । राज्य व्यापार निगमें ने रुपया भुगतान के अन्तर्गत कुल ४४,००० टन इस्पात आयात किया है और उसका मूल्य ३.३ करोड़ रु० है ।

(ख) वस्तु विनियम के मामलों में, विदेशी फर्मों से निर्यात विक्रय वार्ता करने वाली फर्में आयात करती हैं । रुपया भुगतान वाले देशों से आयात विदेशी संभरणकर्ताओं के भारतीय एजेन्टों द्वारा किया जाता है । आयात हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, पोलैण्ड और रूस से होता है ।

(ग) वस्तु विनियम के अन्तर्गत आयात किया गया इस्पात लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता द्वारा वितरित किया जाता है । रुपया भुगतान देशों से होने वाले आयात का वितरण जो विशेषकर छोटे उद्योगों के लिए होता है, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास आयुक्त द्वारा किया जाता है ।

जेसप्स इंजीनीरिंग फर्म

†८०१. **श्री मुरारका :**
श्री कृ० चं० पन्त :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जेसपस इंजीनियरिंग फर्मों का प्रबन्ध किसी गैर-सरकारी फर्म को देने के बारे में सरकार से कोई अभ्यावेदन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई निश्चय किया है ; और

(ग) क्या निश्चय किया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). नहीं, श्रीमान् । पिछले वर्ष निर्यात्रण काल में वृद्धि करने का निश्चय करने के बाद नहीं किया गया है ।

लोहा और इस्पात समीकरण निधि[1] द्वारा अधिभार

८०२ **श्री मुरारका :**
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात आयात करने वालों से ३१ अक्तूबर, १९६२ तक लोहा और इस्पात समीकरण निधि को अधिभार की कितनी बकाया रकम वसूल करनी थी ; और

(ख) उसकी वसूली में शीघ्रता करने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ३१ अक्तूबर, १९६२ के अन्त तक लगभग ८९.८८ लाख रुपया ।

(ख) लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता, भुगतान न करने वाले आयातकर्ताओं को नियमित समय समय पर सरकारी पत्र और स्मरणपत्र भेजता रहता है । अधिभार की अदायगी न होने पर बैंक गारंटी मांगी जाती है और अधिभार की अदायगी के लिए आग्रह किया जाता हैं । जहां कहीं संभव होता है, बकाया रकमों की वसूली के लिए आवश्यक समायोजन भी किया जाता है । इससे भी आगे, कई मामलों में किसी अवधि तक व्यापार बंद कर दिये जाने की प्रशासनिक कार्यवाही भी की जाती है ।

मोटर गाड़ियों की बिक्री

†८०३. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :**
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक साल में राजनयिक कर्मचारियों ने कितनी मोटरगाड़ियां बेची और उनमें से कितनी राज्य व्यापार निगन ने खरीदीं ; और

(ख) उनको किस प्रकार और किन कीमतों पर बेचा गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) : राजनयिक व्यक्तियों की कोई मोटरगाड़ियां राज्य व्यापार निगम ने नहीं ली हैं । राज्य व्यापार निगम के अभिकरण के जरिये ऐसी मोटरगाड़ियों की बिक्री की योजना पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Equalisation Fund.

सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग इंस्टिटयूट, हैदराबाद

†८०४. **श्री कोल्ला वेन्केया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२–६३ में कितने व्यक्ति सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग इंस्ट्यूट, हैदराबाद, में प्रशिक्षण ले रहे हैं ; और

(ख) फोर्ड फाउन्डेशन ने कितना अनुदान दिया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) (१) अप्रैल से सितम्बर, १९६२ तक ५८ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है ।

(२) अक्तूबर से मार्च, १९६३ तक ८० व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है ।

(ख) ६ लाख डालर ।

आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के कारखाने

†८०५. **श्री कोल्ला वेन्कैया** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५२–५३ से १९६१–६२ तक आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विस्तार सेवा से कितने छोटे पैमाने के एककों को लाभ पहुंचा है ;

(ख) उपर्युक्त अवधि में आन्ध्र प्रदेश में लघु उद्योगों को कुल कितनी रकम के ऋण दिये गये ; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में किस प्रकार के लघु उद्योग हैं और उनके विकास की क्या गुंजायश है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) लघु उद्योग सेवा संस्था हैदराबाद, दिसम्बर, १९५८ में स्थापित की गयी थी । १९५९–६० से आन्ध्र प्रदेश में औद्योगिक विस्तार सेवा से जिन लघु उद्योगों को लाभ हुआ है, उनकी संख्या इस प्रकार है :—

	१९५९–६०	१९६०–६१	१९६१–६२
(१) उन एककों की संख्या जिन्हें प्रविधिक परामर्श दिया गया . . .	३६१	९३०	८७२
(२) उन पार्टियों की संख्या जिन्हें नये उद्योग चालू करने की राय दी गयी . . .	२३८	१००६	३८०
(३) स्थल पर राय देने के लिए किये गये दौरों की संख्या	६३१	१०७२	१०७४
(४) उन उद्योगों की संख्या जिन्हें अन्य परामर्श दिया गया	५४१	११८७	१४७७

(ख) लघु उद्योगों के विकास के लिए राज्य सरकार को दिये गये ऋणों की कुल रकम इस प्रकार है :—

१९५२–५३	कुछ नहीं
१९५३–५४	कुछ नहीं

†मूल अंग्रेजी में

१९५४–५५	२ लाख रुपया*
१९५५–५६	१ लाख रुपया*
१९५६–५७	४ लाख रुपया*
१९५७–५८	७.६७ लाख रुपया*
१९५८–५९	२२.५० लाख रुपया**
१९५९–६०	२६.११ लाख रुपया**
१९६०–६१	३४.५८ लाख रुपया**
१९६१–६२	२३.२९ लाख रुपया**

*यह ऋण की वह रकम है जो राज्य सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए मंजूर की गयी थी ।

**यह ऋण की वह रकम है जो संशोधित प्रक्रिया के अनुसार राज्य सरकार द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के आधार पर राज्य सरकार को मंजूर की गयी थी ।

(ग) राज्य में लगभग ७,६०० लघु उद्योग हैं जिनमें से लगभग ५,००० कृषि-उद्योग हैं । राज्य के आकार और उसकी जनसंख्या को देखते हुए, छोटे उद्योगों के विकास के लिए, खासकर रासायनिक पदार्थ तैयार करने, लाइट इंजीनियरिंग, मूच्छिल्प और बिजली संबंधी उद्योग आदि के क्षेत्र में, काफी गुंजाइश है ।

पटसन के डंठलों से अखबारी कागज

†८०६. **श्री दाजी :**
श्री मुहम्मद इलियास :
डा० उ० मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटसन की डंठलों से अखबारी कागज तैयार करने की कोई योजना सरकार के सामने हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस प्रयोजन के लिए कोई कारखाना खोलने के लिए कोई कदम उठाये गये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

त्रिपुरा के लिये इमारती सामान

†८०७. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या त्रिपुरा संघीय राज्यक्षेत्र के लिए इमारती सामान सप्लाई करने में कोई देर हुई है; और

(ख) त्रिपुरा के लिए सीमेंन्ट, लोहे की छड़ों और नालीदार लोहे की चादरों की सप्लाई में शीघ्रता करने के लिए क्या कदम उठाने का सरकार का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जी० सी० चादरों की सप्लाई कम है और मौजूदा हालत में वह सप्लाई काफी तादाद में बढ़ाना संभव नहीं है।

पुनर्नवा[1] का वियना को निर्यात

†८०८. { **श्री भागवत झा आजाद** : / **श्री रामेश्वर टांटिया** : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनर्नवा नामक सामान्य भारतीय वनस्पति का निर्यात वियना के इंस्टिट्यूट आफ फार्मेकोलोजिस्टस को किया गया था;

(ख) क्या सोवियत स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अभी हाल में प्रयोग के लिए इस वनस्पति का आयात किया था; और

(ग) क्या सरकार को प्रयोग के परिणामस्वरूप इन दो विदेशों में मालूम की गयी उसकी उपयोगिता के बारे में कोई जानकारी है?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). चूंकि भारतीय व्यापार वर्गीकरण में पुनर्नवा का अलग से कोई उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए इसके बारे में निर्यात आंकड़े प्रस्तुत करना संभव नहीं है।

(ग) विदेशों में चिकित्सा के क्षेत्र में वनस्पति के प्रयोगों के संबंध में जो अनुसन्धान किया जा रहा है उसके बारे में सरकार को जानकारी है।

मोटर के पुर्जों का आयात

†८०९. **डा० उ० मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान २३ सितम्बर, १९६२ के कलकत्ता के दैनिक पत्र "स्वाधीनता" में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जो जाली इन्वायश पर और आयात व्यापार नियंत्रण विनियमों का उल्लंघन कर मोटर के फुटकर पुर्जों के आयात के बारे में था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस मामले में कोई जाँच शुरू की है; और

(ग) उसका क्या नतीजा निकला?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हाँ।

(ख) प्रशुल्क अधिकारियों ने जो भी मामले पकड़े उन सभी में आयात करने वालों को कम कीमत लगाने और आयात व्यापार नियंत्रण विनियम का उल्लंघन करने के लिए दण्ड दिया गया था। प्रशुल्क अधिकारी मोटर गाड़ियों के पुर्जों के आयात पर कड़ी

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Punarnava Boerahavia Diffusa

निगरानी रख रहे हैं और जहां कहीं अनियमितता दिखायी पड़ती है, कार्रवाई बराबर की जाती है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में सहायक एकक

८१०. **श्री प्र० कु० घोष :**
श्री य० ना० सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेर-सरकारी क्षेत्र के सहायक एककों को मशीनों आदि की खरीद के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को पेशगी रकम देनी पड़ती है जो सरकारी क्षेत्र में ऐसे एककों द्वारा दी जाने वाली रकम से कहीं ज्यादा होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा भेदभाव दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८७]**

औद्योगिक लाइसेंस

†८११. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिए सरकार ने अगस्त से अक्तूबर, १९६२ तक कितने लाइसेंस जारी किये;

(ख) इनमें से कितने लाइसेंस राजस्थान को और कितने महाराष्ट्र को दिये गये; और

(ग) राजस्थान से कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). समय समय पर जारी किये गये लाइसेन्सों के ब्यौरे साप्ताहिक पत्रिकाओं "बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रियल लाइसेन्सज, इम्पोर्ट लाइसेन्सेज एण्ड एक्स्पोर्ट लाइसेन्सेज" और "इन्डियन ट्रेड जरनल" और "जनरल आफ इन्डस्ट्री एण्ड ट्रेड" नामक मासिक पत्र में प्रकाशित की जाती है। इन पत्रिकाओं की प्रति सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अधीन लाइसेन्सों के लिए प्रत्येक राज्य से प्राप्त आवेदन पत्रों के आंकड़े नहीं रखे जाते। इसलिए आवश्यक जानकारी तुरन्त उपलब्ध नहीं है।

कस्तूरी का निर्यात

†८१२. **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री रा० शि० पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कस्तूरी मृग भारत में एक संरक्षित पशु है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हाँ, तो कस्तूरी और नाफा के, जो कस्तूरी मृग को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है, निर्यात पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाये गये हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों में भारत से कितनी कस्तूरी और नाफा निर्यात किया गया?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ?

(ख) कस्तूरी मृग और उत्पाद का निर्यात निर्यात-लाइसेंस के अधीन कर दिया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों में नाफा और कस्तूरी का निर्यात इस प्रकार रहा :—

वर्ष	मात्रा किलोग्राम में	मूल्य हजार रुपयों में
१९५९	३६६	२०२१
१९६०	२४०	२८४२
१९६१	७२८	३२९४

हथकरघा डिजाइन केन्द्र

†८१३. **श्री वारियर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के ५ सितम्बर, १९६२ के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि उस राज्य में हथकरघा बोर्ड को एक हथकरघा डिजाइन केन्द्र स्थापित करना चाहिये; और

(ख) यदि हाँ, तो उस विषय में सरकार की क्या राय है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हाँ सुझाव बुनकर सेवा केन्द्र स्थापित करने की उपयुक्तता के बारे में था।

(ख) केन्द्रीय सरकार इसे आवश्यक समझती है। केरल में यथाशीघ्र एक बुनाई और डिजाइन केन्द्र स्थापित करने के लए प्रयत्न किये जायेंगे ।

पाकिस्तान से कपास का आयात

†८१४. **श्री वारियर** :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान ने अभी हाल में भारत को कपास के निर्यात पर ३ प्रतिशत बिक्री कर लगा दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस नये कर के कारण भाव कितना बढ़ गया?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). १९५१ से पाकिस्तान में कपास पर; बिनौले निकालने की दशा में, ३$^{1}/_{4}$ प्रतिशत की दर से बिक्री कर लागू है। पाकितान सरकार ने अभी हाल में अपने बिक्री कर अधिनियम में संशोधन किया है ताकि बिनौले निकालने की दशा के बजाय निर्यात की दशा में कर लगाया जायेगा। इसलिये अब बिनौले निकालने वालों की बजाय निर्यात करने वालों को कर देना होगा।

यह कर भारत–सहित सभी स्थानों को कपास के निर्यात पर लगाया जायगा। इसलिए सभी स्थानों को उनके कपास ले निर्यात के मूल्य पर इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा।

नागपुर के पास इस्पात कारखाना

†८१५. **श्री विद्याचरण शुक्ल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान नागपुर नगर निगम द्वारा स्वीकृत इस संकल्प की ओर, कि पांचवां इस्पात कारखाना नागपुर में या उसके आसपास खोला जाये, दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस स्थानीय की उपयुक्तता के सम्बन्ध में कोई जांच पड़ताल करने का सरकार का विचार है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होणा।

पंजाब में खादी का उत्पादन

†८१६. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१–६२ में पंजाब में कितनी खादी तैयार की गयी ; और

(ख) १९६२–६३ में कितनी खादी तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १२८.५६ लाख वर्ग गज।

(ख) १६३ लाख वर्ग गज।

नंगल उर्वरक कारखाना

†८१७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नया नंगल उर्वरक कारखाने पर प्रारम्भ से लेकर आज तक कुल कितना पूंजी व्यय हुआ ;

(ख) (१) कारखाने के पदाधिकारियों और (२) कारखाने के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर कुल कितना व्यय हुआ ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) साज सामान की खरीद पर कुल कितना खर्च हुआ ; और

(घ) आज तक कुल कितना उर्वरक तैयार किया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) २९२७.७९ लाख रुपया (३०–९–१९६२ तक)

(ख) (१) पदाधिकारी २०·१० लाख रुपया (१–४–६१ से ३०–९–१९६२ तक)
(२) कर्मचारी ८०·४० लाख रुपया (तदैव) ।

(ग) २५१.११ लाख रुपया (१–४–६१ से ३०–९–१९६२ तक) ।

(घ) ३,५४,८६९ टन (३१–१०–१९६२ तक) ।

चाय प्रयोगात्मक केन्द्र

†८१८. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५६ से १९६२ तक किन किन विभिन्न चाय संघों को अपने अपने प्रयोगात्मक केन्द्रों में चाय विकास सम्बन्धी प्रयोगों के लिये कितने कितने अनुदान दिये गये ;

(ख) ये प्रयोगात्मक केन्द्र कहां कहां स्थित है ; और

(ग) उन्होंने कितने सफल प्रयोग किये और चाय बोर्ड द्वारा उनके अपने अधिकरणों के जरिये विभिन्न प्रदेशों में किस प्रकार उन प्रयोगों का प्रचार किया गया ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). (१) चाय बोर्ड ने दक्षिण भारत के युनाइटेड प्लान्टर्स एसोशियेशन, कन्नूर को मद्रास राज्य में अन्नमलाई में वालपराई के पास एक केन्द्रीय प्रयोगशाला और एक फील्ड स्टेशन तथा केरल राज्य में वान्डी पेरियर के पास एक सब स्टेशन बनाने के लिये १९५७–५८ से आरम्भ ११ साल की अवधि के लिये १४,८६,७०० रुपये का पूंजीगत अनुदान दिया था ।

(२) चाय बोर्ड ने आसाम टोकलाई में एक प्रयोगात्मक केन्द्र के लिये १९६१-६२ में भारतीय चाय एसोसियेशन को ४,२०,००० अनुदान दिया था ।

(ग) अन्नमलाई और केरल में दक्षिण भारत के यूनाइटेड प्लान्टर्स एसोसियेशन के प्रयोगात्मक केन्द्र अभी तक चालू नहीं हुए हैं लकिन देवरशोला में उनके वर्तमान अनुसन्धान केन्द्र और टोक्लाई में भारतीय चाय एसोसियेशन के प्रयोगात्मक केन्द्र ने चाय तैयार करने से संबंधित अनेक विषयों पर अनुसंधान जारी रखे हैं । मुख्यत: इन्हीं प्रयोगों के परिणामों के आधार पर चाय बोर्ड अपन फील्ड एडवाइजरी आफिसर के जरिये चाय बागानों को शिल्पिक राय देता है ।

चाय सम्बन्धी आंकड़े

†८१९. **श्री हेमराज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) चाय बोर्ड चाय विषयक अपने वार्षिक आंकड़ों में अमृतसर बाजार में चाय की नीलामी और बिक्री के बाजार भाव क्यों नहीं देता ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन आंकड़ों को नवीनतम बनाने के लिये सरकार या चाय बोर्ड का क्या कदम उठाने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) नीलाम भारत में सिर्फ कलकत्ता और कोचीन में ही किया जाता है । चूंकि अमृतसर में चाय की कोई नीलामी नहीं होती इसलिये चाय बोर्ड के प्रकाशन में कलकत्ता और कोचीन के बाजार भावों की तरह अमृतसर बाजार के भाव देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय बोर्ड प्रतिवेदन

†८२०. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चाय बोर्ड ने किस वर्ष तक के प्रतिवेदन प्रकाशित किये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इसके प्रतिवेदन सदा देर से छपते हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) प्रतिवेदनों को हर वर्ष छापने, जिससे कि संसद में उन पर विचार किया जा सके, जाय बोर्ड क्या कार्यवाही करने का विचार कर रहा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १९६०–६१ ।

(ख) और (ग) विदेशों में चाय बोर्ड के यूनिट स्थापित होने से आंकड़े एकत्र करने में विलम्ब हो जाता है इस लिये प्रतिवेदन छापने में भी विलम्ब हो जाता है ।

(घ) आंकड़े एकत्र करने की व्यवस्था गतिशील बना दी गई है । आशा है कि भविष्य में प्रतिवेदन समय पर छप जाया करेंगे । १९६१–६२ का प्रतिवेदन दिसम्बर, १९६२ में प्रकाशित होने की आशा है ।

निर्यात भवन

†८२१. { **श्री श्याम लाल सर्राफ** :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री बसुमतारी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूची में अब तक कितने "निर्यात भवन" शामिल किये गये हैं ; और

(ख) क्या देश के लगभग सभी औद्योगिक तथा कृष्य उत्पादन केन्द्रों के निर्यात कर्ताओं को सूची में शामिल किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) दस ।

(ख) मान्यता प्राप्त निर्यात भवन दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में स्थित हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला उपनगर प्रशासन

†८२२. **श्री प्र० क० देव:** क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के रूरकेला उपनगर के असैनिक प्रशासन के बारे में उड़ीसा सरकार से कोई मतभेद था ;

(ख) यदि हां, तो वह मतभेद क्या है ; और

(ग) क्या कोई समझौता हुआ है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग). उड़ीसा सरकार ने यह सुझाव दिया था कि पुराने उपनगर और नये उपनगर, जहां इस्पात का कारखाना है, के लिये एक ही अधिसूचित क्षेत्र परिषद् बनाई जाये। इस से हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड पर काफी बोझ पड़ जाता इसलिये राज्य सरकार को यह सुझाव दिया गया कि दोनों उपनगरों के लिये अलग परिषदें रहें। उड़ीसा सरकार ने इस बीच यह प्रस्थापना स्वीकार कर ली है। ब्योरे पर हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड उड़ीसा सरकार के परामर्श से विचार कर रहा है।

हैमिसिन का उत्पादन

†८२३. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिम्परी में हिन्दुस्तान एंटीबायटिक्स द्वारा हैमिसिन का उत्पादन आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) "हैमिसिन" को किस काम के लिये प्रयोग किया जायेगा ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :(क) और (ख). कम्पनी ने उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त किया है जिसके अधीन वह प्रति वर्ष १५ किलोग्राम हैमिसिन तैयार करेगी। इसके उत्पादन की योजना का ब्योरा विचाराधीन है।

(ग) हैमिसिन कीट पतंग नाशक एन्टीबायटिक्स और कुछ रोगों, जैसे मोनिलियसिज़, ओरल थ्रश और डर्मेटाइटाइटस आदि में बड़ी उपयोगी सिद्ध होती है।

ब्रिटिश मूवीटोन न्यूजरील्स का आयात

†८२४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में ब्रिटिश मूवीटोन न्यूजरील्स (समाचार चित्रों) के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : भारतीय व्यापार श्रेणीकरण में 'न्यूजरील्स' (समाचार चित्र) कोई अलग मद नहीं है अतः ब्रिटिश मूवीटोन समाचार चित्रों के आयात सम्बन्धी आंकड़े उपलब्ध नहीं है। ब्रिटेन से आयात की जाने वाली

---

†मूल अंग्रेजी में

सिनेमा की फिल्मों, एक्सपोज़ की हुई—चाहे वह डिवैलप की गई हों अथवा नहीं— के मूल्य भारत के विदेशी व्यापार के मासिक आंकड़े (मंथली स्टैटिस्टिक्स आफ फारन ट्रेड आफ इंडिया) में छपते हैं जो कि नीचे उद्धत हैं :—

वर्ष	मूल्य हजार रुपये में	
	स्टैंडर्ड ३५ एम० एम०	सब-स्टैंडर्ड
१९६१–६२ . . .	१२५५	२९४
१९६२–६३ (अगस्त १९६२ तक)	३०२	३१

त्रिपुरा में खादी ग्रामोद्योग केन्द्र

†८२५. **श्री दशरथ देब** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र नाम की कोई पंजीबद्ध संस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी कार्यपालिका समिति के सदस्य त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के भी सदस्य हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इन निकायों के कृत्य क्या-क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) एक सदस्य के अतिरिक्त खादी तथा ग्रामोद्योग केन्द्र की कार्यपालिका समिति के शेष सभी सदस्य त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के भी सदस्य हैं ।

(ग) त्रिपुरा खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एक परामर्शदात्री संस्था है जो मुख्यतः योजना बनाने के लिये उत्तरदायी है इसलिये इसका कार्य त्रिपुरा प्रशासन को खादी तथा ग्रामोद्योग विकास के बारे में मंत्रणा देने तक ही सीमित है । त्रिपुरा खादी ग्रामोद्योग केन्द्र वह संस्था है जो समिति पंजीयन अधिनियम, १८६० के अन्तर्गत पंजीबद्ध है और इसका काम त्रिपुरा में खादी तथा ग्रामोद्योग के विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है जिसमें वह खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की सहायता से काम करती है ।

त्रिपुरा में खादी तथा ग्रामोद्योग

†८२६. **श्री दशरथ देबः** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने १९५८–५९, १९५९–६०, १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में त्रिपुरा को कुल कितनी राशि दी ;

(ख) यह राशि किन योजनाओं और शीर्षों के अन्तर्गत दी गई ;

(ग) क्या दिये गये इस धन का उपयोग सन्तोषजनक था ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

जापान से मोटी प्लेटों की खरीद

†८२७. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपनी मोटी प्लेटों की जरूरत को उन्हें जापान से खरीद कर पूरा करने के लिये उस देश से बातचीत कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा खरीदने का विचार है ;

(ग) यह सौदा किन शर्तों पर तय किया जा रहा है ; और

(घ) सौदा तय करने में क्या कठिनाइयां हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

निर्यात करने वाले उद्योगों को लाइसेंस देना

†८२८. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्यात करने वाले उद्योगों को अबाध रूप से लाइसेंस देने की नीति को छोड़ कर कुछ चुने हुए उद्योगों को लाइसेंस देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह कार्यवाही करने की क्या जरूरत पड़ी ; और

(ग) नई योजना का ब्योरा क्या है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) सरकार की यह नीति कभी भी नहीं थी कि निर्यात करने वाले उद्योगों को अबाध रूप में लाइसेंस दिये जायें ।

(ख) और (ग) सरकार की सदा यह नीति रही है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस देने से पूर्व निर्यात की संभावनाओं और अन्य सभी पहलुओं पर विचार कर लिया जाये और इसके बाद ही उपकरण का आयात करने का लाइसेंस दिया जाता है । चुन कर लाइसेंस देना इसलिये जरूरी है कि निर्यात के उद्देश्य से स्थापित किये गये उद्योग मितव्ययतापूर्ण निर्यात जारी रख सकें ।

लंका के साथ व्यापारिक करार

†८२९. **श्री राम रतन गुप्त :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार को बढ़ाने के विचार से भारत और लंका के व्यापारिक करार का पुनरावलोकन किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) भारत–लंका करार की कार्यान्विति का शीघ्र ही पुनरावलोकन करने का विचार है ।

(ख) पुनरावलोकन होने के बाद ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

मलाया से रबड़ का आयात

†८३०. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मलाया भारत में निर्मित वस्तुओं से अकृत्रिम रबड़ की अदलाबदली के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का क्या ब्यौरा है ; और

(ग) इस समझौते के अन्तर्गत रबड़ की कितनी मात्रा के आयात की संभावना है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

एल्यूमीनियम परियोजनायें

†८३१. **श्री कोला वेंकय्या :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री राम रतन गुप्त :
श्री सुरेन्द्र पाल सिंह :
श्री बूटा सिंह :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी योजना अवधि में कितनी एल्यूमीनियम परियोजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी ;

(ख) ये कब स्थापित किये जायेंगे ;

(ग) प्रत्येक परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है ;

(घ) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानित लागत कितनी है ; और

(ङ) क्या इसके लिये विदेशी सहायता की आशा है और यदि हां, तो कितनी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ङ) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९४१ के अधीन निम्नलिखित चार मामलों में एल्यूमीनियम इनगाट्स के लिये अतिरिक्त क्षमता के लिये लाइसेंस जारी किये गये हैं । क्षमता, परियोजना की अनुमानित लागत आदि के सम्बन्ध में ब्यौरा भी बताया गया है इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा

---

†मूल अंग्रेजी में

आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है अथवा दीर्घकालीन ऋण और विदेशी पूंजी के सहयोग को आंशिक रूप से इनकी पूर्ति करने का विचार है ।

क्रम संख्या	जिस परियोजना के लिये लाइसेंस दिया गया है	क्षमता (१० लाख टन में पी०ए०)	अनुमानित लागत	कब तक प्रतिष्ठापित होने की आशा है
			(करोड़ रुपये)	
१	अलवाय में स्मैल्टर का विस्तार (केरल) मैसर्स इण्डियन एल्यूमीनियम कंपनी	५,०००	२.३४	१९६४ के मध्य
२	पैत्तूर में नया स्मैल्टर (मद्रास) मद्रास एल्यूमीनियम कम्पनी .	१०,०००	१२	१९६४ के अंत तक
३	कोयना क्षेत्र में नया स्मैल्टर महाराष्ट्र में मैसर्स कोयना एल्यूमीनियम कम्पनी	२०,०००	२१	समवाय की रचना आदि की प्राथमिकताओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है । तीसरी योजना के अंत अथवा चौथी योजना के प्रारम्भ तक कार्यान्वित होने की आशा ।
४	मैसूर राज्य में नया स्मैल्टर मुरारजी वैद्य	३०,०००	३९	

उपरोक्त मामलों के अतिरिक्त मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड के मैसर्स हिन्दुस्तान एल्यूमीनियम कारपोरेशन लिमिटेड (मिर्जापुर जिला—उत्तर प्रदेश) के रिहन्द स्मैल्टर को २०,००० से ५०,०००, दस लाख टन प्रतिवर्ष बढ़ाने का भी प्रस्ताव है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

रुई का आयात

†८३२. **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रुई के आयात के लिये अदलाबदली के लिये कुछ देशों से समझौता किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या इस अदलाबदली के सौदों से अमेरिका के रुई के आयात में किसी भांति सुविधा मिलेगी ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). अभी तक चीनी के बदले में ८१ लाख रुपये के मूल्य की रुई की ११,००० गांठों और मेंगनीज अयस्क और फेरो मेंगनीज के निर्यात के बदले १·७५ करोड़ रुपये के मूल्य की २५,००० गांठों के आयात की व्यवस्था की गई है। इन समझौतों के अधीन आयात की गई रुई की गांठों का कुछ अंश अमेरिका द्वारा दिये जाने की आशा है।

इस वर्ष के प्रारम्भ में चीनी के निर्यात के बदले रुई की २५,००० गांठों के आयात के लिये अमेरिका से भी समझौता किया गया है। इस प्रबंध के अधीन रुई का आयात हो रहा है।

सूती और ऊनी कपड़ा मिलें

†८३३. **श्री बाल्मीकी:** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितनी सूती और ऊनी मिलें बंद हैं ;

(ख) उक्त मिलें किन किन राज्यों में स्थित हैं ; और

(ग) इन मिलों को चालू करने के लिये सरकार ने क्या क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग) सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार कोई ऊनी मिल बन्द नहीं है। जहां तक सूती कपड़ा मिलों का सम्बन्ध है अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८८]**

स्कूटर मीटरों की कीमत

†८३४. **श्री हेम राज** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्कूटर मीटर किन कीमतों पर आयात किये जा रहे हैं ; और

(ख) उन्हें बाजार में किन कीमतों पर बेचने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख) भारतीय व्यापार वर्गीकरण तथा आयात व्यापार नियंत्रण अनुसूची में 'स्कूटर मीटर' का पृथक् वर्गीकरण नहीं किया गया है, अत: जानकारी उपलब्ध नहीं है।

लोहे और इस्पात की आवश्यकता

†८३५. **श्री बूटा सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उत्पादित लोहा और इस्पात का कच्चा माल हमारी वार्षिक आवश्यकता से कम रहता है और यदि हां, तो कितना ; और

(ख) आगामी वर्ष सरकार इस कमी को किस प्रकार पूरा करने का विचार रखती है—कितना अंश उत्पादन में वृद्धि और कितना अंश आयात द्वारा पूरा किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). लोहा और इस्पात उत्पादन के लिये बुनियादी कच्चे माल की नितान्त कमी नहीं है, इसमें केवल यह स्थिति अपवाद है कि इस्पात उत्पादन के लिये अपेक्षित समुचित किस्म का कोकिंग कोल और चूने का पत्थर सदा उपलब्ध नहीं रहता है । गहन खोज और खुदाई द्वारा उचित किस्म के पदार्थों को और विकसित करने के लिये पहले ही कदम उठाये जा रहे हैं ।

तेजाबी रंग और सल्फा औषधियां

†८३६. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हम प्रति वर्ष कितनी मात्रा में तेजाबी रंग और सल्फा औषधियों का उपयोग करते हैं उनका हम कहां से आयात करते हैं और कितनी लागत पर ;

(ख) देशी उत्पादनकर्ताओं से देश की कितनी मांग पूरी की जाती है ; और

(ग) देश में ही इन वस्तुओं के बनने पर प्रति वर्ष कितनी बचत होगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) देश में आजकल तेजाबी रंग और सल्फा औषधियों का उपयोग लगभग क्रमश: ६५० टन और ७०० टन प्रति वर्ष है । उसकी पूर्ति स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों ही साधनों से होती है । आयात ब्रिटेन, अमेरिका, रूस तथा अन्य देशों से किया जाता है। १९६१–६३ में तेजाबी रंगों का आयात ७९.४१ लाख रुपये तक था जब कि सल्फा औषधियों का आयात लगभग ९३.८४ लाख रुपये था ।

तेजाबी रंग और सल्फा औषधियों की क्रमश: ५५ प्रतिशत और २७ प्रतिशत मांग देशी उत्पादन-कर्ताओं द्वारा पूरी की जाती है ।

यदि इन वस्तुओं को भारत में ही निर्मित किया गया तो तेजाबी रंगों के मामले में लगभग ५० लाख रुपये और सल्फा औषधियों के बारे में लगभग ७०–८० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है ।

नारियल जटा का तैयार सामान का निर्यात

†८३७. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नारियल जटा से तैयार वस्तुएं प्रति वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की निर्यात की जाती हैं ;

(ख) क्या नारियल जटा से तैयार वस्तुओं की सप्लाई मांग से अधिक है ;

(ग) यदि हां, तो कितना स्टाक विदेशी खरीददारों के अभाव में व्यर्थ पड़ा है ; और

(घ) नारियल जटा से उत्पादित वस्तुओं के निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) विगत तीन वर्ष में नारियल जटा से उत्पन्न वस्तुओं के निर्यात की मात्रा और मूल्य बताने वाला विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ८९]**

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) नारियल जटा और उससे उत्पादित वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये जो कदम उठाये गये हैं उनमें विदेशों में आयोजित प्रदर्शनियों में भाग लेना, विदेशों में भारतीय दूतावासों और कंसुलेट्स से सम्बद्ध प्रदर्शन कक्षों में प्रदर्शन, प्रचार साहित्य का प्रसार, प्रतिनिधि भेजना, विदेशों में विपणन सर्वेक्षण करना, और कच्चा माल जैसे सीसल धागा, रंग, रसायन उपलब्ध करा कर निर्यात संवर्द्धन करना और निर्यात बढ़ाने की योजना के अन्तर्गत नारियल जटा निर्मित वस्तुओं के निर्यात के बदले अत्यावश्यक मशीनें मांगना है ।

हथकरघा उद्योग

†८३८. **श्री प्र० कु० घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू पंचवर्षीय योजना के आरम्भ के दो वर्षों में हथकरघा उद्योग ने कौन कौन सी मुख्य विकास योजनायें शुरू कीं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ९०]**

पंजाब की लोहे और इस्पात की आवश्यकता

†८३९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में पंजाब की लोहे और इस्पात की कुल कितनी आवश्यकता है ; और

(ख) अभी तक उसे कितना लोहा और इस्पात दिया गया ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** :

इस्पात :

(क) और (ख). केवल उसी किस्म के इस्पात का आवंटन किया जाता है, जिसकी सप्लाई कम होती है, जैसे १४ गेज से पतली बी० पी० शीट्स और जी० पी० तथा जी० सी० शीट्स । १९६२–६३ के पहले ६ महीनों में जी० पी०/जी०सी० शीट्स का कोई आवण्टन नहीं किया गया । तीनों किस्म के इस्पात की कुल मांग ७६,५१५ टन थी । इस अवधि में ११,७११ टन सामान भेजा गया । इसमें केन्द्रीय कोटा और राज्य कोटा तथा नियंत्रण वाले स्टाकिस्टों की चालू मांग या पुरानी मांग का सामान था । १९६१–६२ के वर्ष के बाद वाले ६ महीनों के लिए अभी आवण्टन नहीं किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चा लोहा :

(क) चूंकि कच्चे लोहे के सम्बन्ध में कोटा प्रणाली नहीं है, अतः कोई आवण्टन नहीं किया गया । पंजाब राज्य के औद्योगिक कारखानों से प्राप्त ५५,३९७ मीट्रिक टन के इंडेंट्स की योजना १९६२ में (२३ अक्तूबर, १९६२ तक) कर दी गई है ।

(ख) ३१,००१ मीट्रिक टन (अप्रैल से सितम्बर, १९६२) ।

कांगड़ा में सीमेन्ट का कारखाना

†८४०. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री ८ अगस्त, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेलवे के परामर्श से उक्त सीमेन्ट कारखाने के लिये स्थान चुन लिया गया है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : जी नहीं । अभी तक नहीं । पंजाब सरकार ने इस बीच यह कहा है कि यह कारखाना कांगड़ा जिले में समलोटी में बनाया जाये जैसा कि शुरु में प्रस्ताव था । पठानकोट और समलोटी के बीच सड़कों द्वारा कच्चा माल पहुंचाने तथा तैयार माल भेजने से इस योजना में कितनी बचत होगी, इस बात पर विचार हो रहा है ।

अल्युमीनियम कन्डक्टर उद्योग

†८४१. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अल्युमीनियम कन्डक्टर उद्योग में छोटे पैमाने के कारखानों को बड़े लाभप्रद कारखाने बनाने के लिये क्या सुविधायें दी जा रही हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : सामान्यतया ऐसे समझा गया है कि ए० सी०एस० आर० और ए० ए० कन्डक्टर उद्योग छोटे पैमाने के विकास के लिये उपयुक्त नहीं है क्योंकि छोटे पैमाने पर इसे लाभप्रद ढंग से नहीं चलाया जा सकता । अतः उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आगे लाइसेंस देने की क्षमता उपलब्ध हो जाती है, तो छोटे पैमाने के कारखानों द्वारा किये गये अंशदान को समुचित महत्व देते हुये उस पर विचार किया जाता है और जिन-जिन कारखानों को बड़े कारखाने के रूप में विकसित करने की सम्भावना होती है, उनको लाइसेंस देने के प्रश्न पर विचार किया जाता है । परन्तु हर आवेदन पत्र को उसके अपने गुण-दोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये इस्पात

†८४२. { **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह :**
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती मैमूना सुलतान : }

क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान राष्ट्रीय आपात को ध्यान में रखते हुये प्रतिरक्षा मन्त्रालय की इस्पात की आवश्यकता का नये सिरे से अनुमान लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये कुल कितने इस्पात की जरुरत है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या पुनरीक्षित प्राक्कलनों को ध्यान में रखते हुये सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में उत्पादन बढ़ा दिया गया है ?

†इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). प्रतिरक्षा मन्त्रालय ने अपनी तत्कालिक प्रत्यक्ष मांग बता दी है जिसे पूरा करने के लिये इस्पात उद्योग ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। यह उद्योग जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त मांग भी, जहां तक सम्भव होगा, पूरी करेगी।

अलौह धातुएं

†८४३. श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने संघ सरकार से मांग की है कि उसका अलौह धातुओं का कोटा बढ़ा दिया जाये ;

(ख) क्या संघ सरकार ने उस राज्य की इस मांग पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो अलौह धातुओं का बढ़ा हुआ कोटा कितना होगा (इस राज्य के लिये इस समय कितना कोटा नियत है) ?

†वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण अलौह धातुओं का आवण्टन बढ़ा पाना सम्भव नहीं हो पाया है। अप्रैल सितम्बर १९६२ में किया गया आवण्टन इस प्रकार है :—

	अप्रैल—सितम्बर, १९६२
	टन
तांबा .	५३७
जस्त . .	४५०
अल्युमीनियम .	६८
सीसा	६

वर्तमान अवधि के लिये अभी आवण्टन नहीं किया गया है।

'मोपेड'[1] का निर्माण

†८४४. श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह : क्या इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने 'मोपेड' के निर्माण के लिये ग्वालियर (मध्य प्रदेश) की पांच फर्मों को लाइसेंस दिया है ;

(ख) इन पांचों फर्मों की प्रतिवर्ष उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(ग) इनमें उत्पादन कब शुरू किया जाने वाला है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

1. Mopedes.

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) 'मोपेड' का निर्माण करने के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत पांच फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं। इनमें से केवल एक लाइसेंस में ग्वालियर (मध्य प्रदेश) में औद्योगिक उपक्रम बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

(ख) हर फर्म को प्रतिवर्ष ३,००० मोपेड क्षमता का लाइसेंस दिया गया है। जिन फर्मों ने सन्तोषजनक प्रगति दिखाई है, उनकी क्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

(ग) पांच में से दो फर्म अगले वर्ष से उत्पादन शुरू करने वाली हैं।

मध्य प्रदेश के अल्युमीनियम संयंत्र

†८४५. **श्री बीरेन्द्र बहादुर सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में एक अल्युमीनियम सन्यन्त्र लगाने के सम्बन्ध में हंगरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने क्या निर्णय किया है ; और

(ग) यह सन्यन्त्र कब और कहां लगाया जायेगा ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) से (ग) मध्य प्रदेश में एक अल्युमीनियम सन्यन्त्र स्थापित करने के सम्बन्ध में हंगरी के विशेषज्ञों की रिपोर्ट सरकार के सामने विचाराधीन है।

नये आविष्कार

†८४६. **श्री बड़े** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ और १९६२ में आविष्कार सम्वर्द्धन बोर्ड को कितनी खोजें निरीक्षण तथा रजिस्ट्री के लिये प्राप्त हुईं ;

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त बोर्ड को 'रेंज फाइंडर" नाम की एक नई खोज निरीक्षण के लिये प्राप्त हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त यन्त्र प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये कितना उपयोगी है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मत्री (श्री कानूनगो)** : (क) वर्ष १९६०-६१ और १९६१-६२ में क्रमशः ३४७ और ५१८ नई खोजें प्राप्त हुईं।

(ख) जी हां।

(ग) अभी तक आवेदनकर्त्ता ने उस यन्त्र के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं भेजी है; इस जानकारी के अभाव में यह नहीं पता लगाया जा सका कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये उसकी कितनी उपयोगिता है।

मूल अंग्रेजी में

वनस्पति तेल का निर्यात

†८४७. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). क्या यह सच है कि यद्यपि १९६२ में वनस्पति तेल का निर्यात दुगुना हो गया है किन्तु उसके निर्यात से उत्पन्न आय में केवल सामान्य वृद्धि ही हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). जनवरी-अगस्त, १९६२ में गत वर्ष इसी अवधि की तुलना में वनस्पति तेल के निर्यात में पर्याप्त सुधार हुआ है किन्तु विदेशी मुद्रा की आय में उसी अनुपात में वृद्धि नहीं हुई है क्योंकि गत वर्ष समनुवर्ती अवधि की अपेक्षा इस वर्ष वनस्पति तेल की कीमतें विश्व के बाजार में कम रही हैं। इसका मुख्य कारण अमेरिका से सोयाबीन का निर्यात और अर्जेंटीना तथा अन्य देशों से कम कीमत पर वृहद् मात्रा में वनस्पति तेल का निर्यात है।

साड़ियों की लम्बाई

†८४८. **श्री सेझियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार साड़ियों की लम्बाई की अधिकतम सीमा केवल ५ गज निर्धारित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) क्या साफे का कपड़ा, धोतियां तथा अन्य परिधानों की लम्बाई के सम्बन्ध में भी उक्त 'कटौती' लागू की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). इस आशय के कोई प्रस्ताव नहीं हैं।

मैसूर राज्य के उद्योग

†८४९. **श्री सं० ब० पाटिल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मैसूर राज्य में विभिन्न किस्म के उद्योगों की स्थापना के लिये १९६१-६२ में कितने लाइसेंस जारी किये गये थे ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में विदेशी फर्मों के साथ कितने उद्योगों ने सहयोग करने का निर्णय किया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) समय-समय पर जारी किये गये लाइसेंसों का ब्यौरा "बुलेटिन आफ इण्डस्ट्रियल लाइसेंसेज, इम्पोर्ट लाइसेंसेज और एक्सपोर्ट लाइसेंसेज" और "इण्डियन ट्रेड जर्नल"—दोनों साप्ताहिक प्रकाशन हैं तथा जर्नल आफ इण्डस्ट्री एण्ड ट्रेड—मासिक पत्र में प्रकाशित किये जाते हैं, इनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) १९६१ में विदेशी सहयोग के कुल ४०२ मामले और जनवरी-सितम्बर, १९६२ में २४६ मामले मंजूर किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूरकेला स्टील वर्क्स में प्लेट मिल का बन्द होना

†८५०. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : : क्या **इस्पात और भारी उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूरकेला स्टील वर्क्स की प्लेट मिल को जनरेटर का काम भंग होने के कारण हाल ही में बन्द करना पड़ा ;

(ख) क्या काम भंग होने और काफी समय तक ऐसा बने रहने के कारणों की जांच की गई है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप उत्पादन में कितनी हानि हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्लेट मिल केवल दो दिन तक बन्द रही । उत्पादन की हानि बाद में पूरी कर दी गई ।

मैसूर राज्य में सीमेंट की कमी

†८५१. **श्री स० ब० पाटिल** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में सीमेंट का तीव्र अभाव है ;

(ख) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि यह केवल चोर बाजार की कीमतों पर ही उपलब्ध है ; और

(ग) क्या स्थिति की जांच करने और उसे सुलभ करने के लिये कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सारे देश में कुल मिला कर सीमेंट की कमी है और राज्यों को दिया गया आवंटन बाजार की मांग से कम है । १९६२ के पहले नौ महीने में मैसूर राज्य को कुल आवंटन १,८१,७०० टन भेजा गया था । चालू वित्तीय तिमाही में इस आवंटन में कोई कमी नहीं की गई है । राज्य के कोटे में से वैयक्तिक उपभोक्ताओं को आवंटन करना मैसूर सरकार का उत्तरदायित्व है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) उत्पन्न नहीं होता ।

विशाखपत्तनम में कच्च लोहे का संयंत्र

†८५२. **श्री कोला वैंकय्या** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखपत्तनम में कच्चे लोहे का कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार ने विचार किया है ;

(ख) कच्चे लोहे के उत्पादन के लिये बुनियादी माल का स्रोत क्या है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) एक टन लौह अयस्क को छोड़ कर एक टन कच्चे लोहे के निर्यात से कितनी आय है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) विशाखपत्तनम क्षेत्र में कच्चे लोहे का संयन्त्र स्थापित करने का प्रश्न और उसके लिये कच्चे लोहे के स्रोत पर चतुर्थ योजना को दृष्टिगत करते हुए विचार किया जा रहा है। कच्चे लोहे का निर्यात मूल्य किस्म के अनुसार भाड़े सहित २०० रुपये से २५० रुपये तक प्रति मीट्रिक टन है। जबकि लौह अयस्क का निर्यात मूल्य भाड़े सहित ५० रुपये से ५५ रुपये तक अलग अलग है; यह उसमें लौह तत्व पर निर्भर है।

जम्मू स्थित प्रादेशिक औषध अनुसंधान प्रयोगशाला

†८५३. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू की प्रादेशिक औषध अनुसन्धान प्रयोगशाला में निर्मित औषधियों की किस्में क्या क्या हैं ;

(ख) देश में इन औषधियों की कितनी मांग है ; और

(ग) उनका उत्पादन बढ़ाने के लिये और क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आयात लाइसेंस

†८५४. **श्री अब्दुल गनी गोनी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्योग निदेशकों द्वारा प्रारम्भ जम्मू और काश्मीर और दिल्ली राज्यों से आयात लाइसेंस के कितने आवेदन पत्र अप्रैल से सितम्बर, १९६२ की अवधि में उनके मन्त्रालय में प्राप्त हुए हैं और आयात लाइसेंस जारी करने के लिये कितने आवेदन विचाराधीन हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भिलाई स्टील वर्क्स में होटल

†८५५. **श्री ज्योति स्वरूप** : क्या **इस्पात और भारी उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दर्शकों के लिये भिलाई स्टील वर्क्स में एक होटल चलाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो यह होटल कितनी लागत पर बनाया गया है ; और

(ग) ३१ मार्च, १९६२, १९६१ और १९६० तक समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में दर्शकों से निवास शुल्क के रूप में कुल कितनी आय हुई है ?

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) रूसी विशेषज्ञों के लिये भिलाई होटल चलाया जा रहा है, संविदे की शर्तों के अनुसार वे निःशुल्क फर्नीचर सहित आवास व्यवस्था के अधिकारी हैं। अन्य दर्शक भी इसे प्रयुक्त करते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यह होटल ५६.४० लाख रुपये की अनुमानित लागत से बनाया गया था।

दर्शकों द्वारा निवास शुल्क के रूप में दी गई कुल आय निम्न प्रकार है :

३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये	. ३०,५५८ रुपये
३१ मार्च, १९६१ को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये	. ३२,९२३ रुपये
३१ मार्च, १९६० को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये	. १६,६३० रुपये

बरेली में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी

†८५६. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरेली में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी की स्थापना के बारे में क्या प्रगति है ; और

(ख) इस कारखाने में कब तक उत्पादन प्रारम्भ होने की आशा है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). बरेली में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी लगभग पूरी हो रही है। अलकोहल, पानी, बिजली आदि इस परियोजना को देने के लिये उपयुक्त व्यवस्था कर दी गई है। आवास बस्ती का निर्माण और विविध सिविल कार्य अनुसूची के अनुसार किये जा रहे हैं। उपकरणों की जांच हो रही है। आशा है कि यह पार्टी फैक्टरी के आरम्भ करने और परीक्षण उत्पादन दिसम्बर, १९६२/जनवरी, १९६३ तक कर सकेगी और नियमित उत्पादन फरवरी/मार्च १९६३ तक किया जायेगा।

स्टील एण्ड एलाइड प्राडक्टस लिमिटेड, कलकत्ता

†८५७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स स्टील एण्ड एलाइड प्राडक्ट्स, लिमिटड, कलकत्ता को विकास और विस्तार योजनाओं के लिये सरकार की ओर से ऋण मंजूर किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना ऋण मंजूर कर दिया गया है;

(ग) ऋण किन प्रयोजनों के लिये दिया गया है; और

(घ) क्या इसमें विदेशी मुद्रा अन्तर्ग्रस्त है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी नहीं। भारत सरकार ने इस समवाय को कोई ऋण नहीं दिया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

चीनियों के आक्रमण के सिलसिले में प्रचार

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** मैं चीनियों के आक्रमण के सिलसिले में प्रचार सम्बन्धी एक टिप्पण सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गया। देखिये संख्या एल० टी० ५७३/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उस पर सरकारी समीक्षा

†**इस्पात और भारी उद्योग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी०—५८९/६२]

ऊनी कपड़े (उत्पादन तथा नियंत्रण) आदेश

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ नवम्बर, १९६२ की अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४२५ में प्रकाशित ऊनी कपड़े (उत्पादन तथा वित्त नियन्त्रण) आदेश, १९६२ ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—५९०/६२]

(दो) चाय बोर्ड का वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ५८६/६२]

हिन्दुस्तान एंटी बायोटिक्स लिमिटेड आदि

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायो टिक्स लिमिटेड, पिम्परी—पूना का वर्ष १९६१–६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखा परीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ए० टी० ५९१/६२]

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम एक्ट, १९५६ की धारा ६१९क की उपधारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५९२/६२]

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष १९६१-६२ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियन्त्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५९३/६२]

(चार) व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री का ३१ मार्च, १९६२ को समात होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या ए० टी० ५९४/६२]

(पांच) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उपधारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वर्ष १९६०-६१ का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५९५/६२]

खान तथा खनिज अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**खान तथा इंधन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा १८ की धारा (१) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

(एक) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८६ ।

(दो) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० सख्या १४८७ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ५९६/६२]

सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

†**वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत डाक-घर बचत प्रमाणपत्र नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२५ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(दो) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३५५।

(तीन) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०२।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ५९७/६२]

राज्य सभा से सन्देश

†**सचिव** : मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह सन्देश मिला है कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६२ को पारित विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

प्राक्कलन समिति

ग्यारहवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर): मैं अनुदानों की मांगों के स्वरूप और विषयवस्तु के पुनरीक्षण के बारे में वित्त मन्त्रालय (आर्थिक-कार्य विभाग) के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं घोषणा करता हूं कि सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२ से आरम्भ होने वाले सप्ताह में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जायेगा—

(१) आज के क्रमपत्र से आगे लायी गयी काम की किसी मद पर विचार

(२) निम्नलिखित पर विचार तथा उन्हें पास करना :—
भाण्डागार निगम विधेयक, १९६२।
कामगर प्रतिकर (संशोधन) विधेयक, १९६२
बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) विधेयक, १९६२
परिसीमन आयोग विधेयक, १९६२
उपहार-कर (संशोधन) विधेयक, १९६२।
करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६२।
श्रमजीवी पत्रकार (संशोधन) विधेयक, १९६२
अखिल भारतीय सेवायें (संशोधन) विधेयक, १९६२।

(३) सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२ को २.३० म० प० बजे श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर चीनी के उत्पादन के आधार पर गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के बारे में चर्चा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मेरा निवेदन है कि अगले सप्ताह में चीन के अन्तिम टिप्पण पर चर्चा के लिये समय मिलना चाहिये ताकि हम विचार कर सकें कि उसे स्वीकार करने पर हमारी नीति में कितनी तबदीली आ जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, पिछले सेशन में भी और अभी कुछ दिनों पहले इस सदन में मैंने आपकी मार्फत सरकार का ध्यान दिल्ली के ला एण्ड आर्डर की समस्या के बारे में दिलाया था और मांग की थी कि इस सदन में उसकी चर्चा हो। इसके अलावा झुग्गी झोंपड़ी वालों के सिलसिले में भी आध घंटे का डिस्कशन रक्खा हुआ था। यह दो अहम मसले दिल्ली के हैं और इनके बारे में इसी सेशन में हाउस में जरूर बहस होनी चाहिये। आये दिन दिल्ली में बम फटते रहते हैं और कुछ न कुछ गड़बड़ होती रहती है इसलिये इन दोनों मसलों पर लोकसभा में ज़रूर चर्चा होनी चाहिये।

†**श्री दाजी** (इंदौर): मुझे बताया गया था कि प्रस्तुत किये जाने वाले प्रस्तावों में मूल्यों का प्रस्ताव भी है। उस के लिये कुछ समय मिलना चाहिये।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): मैं श्री कामत का समर्थन करता हूं। श्री वी० टी० कृष्णमाचारी के प्रतिवेदन पर भी चर्चा होनी चाहिये।

श्री यशपाल सिंह (कैराना): मेरी अर्ज यह है कि मैंने करीब ४२५ क्वैश्चंस दिये थे जो कि खत्म कर दिये गये। अब या तो मुझे वे क्वैश्चंस वापिस दिये जायें या फिर उन के जवाब दिये जायें।

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं इन सब सुझावों पर कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा करूंगा।

श्री यशपाल सिंह : अगर मुझे कहें तो मैं यह तमाम प्रश्न दान करने को तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न दान करना है तो इस के लिये मुझ से बात करिये।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रधान मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे युद्ध स्थिति के बारे में वक्तव्य दें।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय कंसीडर ही करते रहेंगे या इस के लिये समय भी प्रोवाइड करेंगे ताकि इन मसलों पर इसी सैशन में चर्चा की जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : अब इस वक्त एकदम कैसे कह सकते हैं कि समय देना है या नहीं, इस पर सोचकर बाद में वे बतलायेंगे। निस्संदेह सभा का यह मत था कि वे जब उचित समझें वक्तव्य दे दिया करें। अतः वे उपयुक्त समय पर जानकारी दे देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अध्यक्ष महोदय, आप ने कहा है कि गतिविधियों के बारे में मुझे सभा को सूचित करते रहना चाहिये।

कल तक कोई विशेष कहने लायक घटना नहीं हुई थी। चीनियों की ओर से जहां तक मुझे पता है युद्ध विराम जारी है, किसी की ओर गोली नहीं चलाई गई।

जहां तक सीमा के प्राणवान होने का प्रश्न ह सीमा प्राणवान ही है। हम उस में रुचि ले रहे हैं और वहां के लोग इस से भी अधिक रुचि ले रहे हैं। किन्तु कहीं भी दुबारा लड़ाई शुरू नहीं हुई।

श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता हूं। प्रधान मंत्री ने कहा कि कम्युनिस्ट चीन द्वारा युद्ध विराम होने के बाद उधर से कोई फायरिंग नहीं हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस युद्ध-विराम का असर हम पर भी पड़ा है और क्या हम लोगों ने भी युद्ध-विराम कर दिया है ।

†**श्री प्रिय गुप्त** (कटिहार) : माननीय प्रधान मंत्री का इस से क्या अभिप्राय है कि उपूसी में हमारी सेनायें अपने अड्डों पर हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : प्रधान मंत्री ने कहा था कि चीनी फुटहिल्स से परे हैं, यह नहीं बताया कि उनकी स्थिति क्या है ?

†**श्री रंगा** (चित्तूर) : माननीय प्रधान मंत्री को दो बड़े देशों से आये शिष्ट मंडलों के बारे में सूचित करना चाहिये था ।

†**श्री फ्रेंक एन्थनी** (नामनिर्दिष्ट—आंग्ल-भारतीय): यह समाचार कहां तक सच है कि युद्धविराम के बाद भी चीनी आगे बढ़ रहे हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है । मैं समझता हूं कि वे आगे नहीं बढ़े ।

श्री हेम बरुआ जानना चाहते थे कि सेनायें कहां कहां पर हैं । सेनायें फैली हुई हैं और मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि चीनी सेनायें बोमडिला और फुटहिल्स के बीच हैं । कहीं कहीं बिखरी हुई हैं और कहीं कहीं रुक गई हैं । उन के वक्तव्य के अनुसार चीनी १ दिसम्बर से लौटना शुरू करेंगे । उन के कहीं बढ़ने का समाचार नहीं मिला और लद्दाख या कहीं भी गोली नहीं चलाई गई ।

करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: मैं प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, १९६१ और धनकर अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम, १९६१, और धन कर अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में बड़े पत्तनों के लिये पत्तन प्राधिकार बनाने और इन प्राधिकारों को ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबन्ध का अधिकार देने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत में बड़े पत्तनों के लिये पत्तन प्राधिकार बनाने और इन प्राधिकारों को ऐसे पत्तनों के प्रशासन, नियंत्रण तथा प्रबन्ध का अधिकार देने तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं :

संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) विधेयक १९६२

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

चीनियों के आक्रमण के सम्बन्ध में प्रचार पर टिप्पण के बारे में

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं निवेदन करता हूं कि चीनियों के आक्रमण के सिलसिले में प्रचार सम्बन्धी टिप्पण पर जिसे सूचना और प्रसारण मंत्री ने सभा पटल पर रखा है, सभा में चर्चा करनी चाहिये ।

वस्त्र समिति विधेयक

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वस्त्रों की किस्म और कपड़ा मिलों की मशीनरी सुनिश्चित करने के लिये एक समिति स्थापित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वस्त्रों की किस्म और कपड़ा मिलों की मशीनरी सुनिश्चित करने के लिये एक समिति स्थापित करने और तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मनुभाई शाह** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब २१ नवम्बर, १९६२ को श्री अ० कु० सेन द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी :

> "कि जनता की सुरक्षा तथा हित, भारत की प्रतिरक्षा और नागरिक प्रतिरक्षा को सुनिश्चित करने तथा कुछ अपराधों पर मुकदमे चलाने के लिये विशेष उपायों तथा तत्संबंधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : कार्यवाही आरम्भ करने से पूर्व मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है । अतः इस का समय बढ़ा कर १२ घंटे कर दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हम ने कल ही समय बढ़ा कर १० घण्टे किया है ।

†**श्री हेम बरुआ** (गौहाटी) : देश में कुछ लोग बड़े गुप्त ढ़ंग से चीनीयों के प्रस्ताव के बारे में प्रचार कर रहे हैं कि ये सदिच्छापूर्ण हैं । इस से युद्ध सम्बन्धी तैयारियों को बहुत हानि पहुंचेगी । मुझे कुछ लोगों ने टेलीफोन किया हैं कि सरकार को ये चीनी प्रस्ताव स्वीकार कर लेने चाहियें और हमें उन प्रस्तावों का समर्थन करना चाहिये । ऐसे टेलीफोन मुझे ही नहीं श्री फ्रेन्क एन्थनी को भी मिले हैं ।

मेरा निवेदन है कि सरकार को इन प्रस्तावों का भली प्रकार अध्ययन करना चाहिये और फिर निश्चय करना चाहिये । मुझे असम से तार मिला है जिस में लिखने वाले ने कहा है कि वह मेरे विचारों का घोर विरोध करता है और कि मुझे सरकार से चीनी प्रस्तावों को मनवाना चाहिये ।

देश में एक और धारणा भी फैल रही ह कि चीन अजय है । ऐसी मनोदशा देश के लिये हानिकर है ।

मैं ने सभा में कहा था कि हमें समग्र युद्ध करना चाहिये और उस के लिये मित्र राष्ट्रों से पूरी सहायता करनी चाहिये । मेरे इसी विचार का तार में विरोध किया गया है ।

भारत के साम्यवादी दल ने अपने अन्तिम संकल्प में कहा है कि हमें वाणिज्यिक आधार पर शस्त्रास्त्र लेना चाहिये और मित्र राष्ट्रों से सेनायें नहीं लेनी चाहियें । इस का तो यह अभिप्राय है कि विदेशी मुद्रा के अभाव के कारण हम शस्त्रास्त्र न ले सके और फिर यदि शस्त्रास्त्र मिल जायें तो विशेषज्ञों के अभाव के कारण हम उन का प्रयोग न कर सकें । इस प्रकार देश में दो वर्ग पैदा हो गये हैं । एक वे जो चीनियों के प्रस्ताव के समर्थक हैं और दूसरे वे जो देश की रक्षा के लिये प्रयत्नशील हैं ।

कुछ साम्यवादियों की गिरफ्तारी पर श्री मुकर्जी ने बहुत विरोध प्रकट किया है किन्तु देश की स्वतन्त्रता की खातिर प्रतिरक्षा विरोधी काम करने वाले लोगों के लिये कानून का सहारा लेना होगा । असम में साम्यवादी लोग सरकार के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं । इस में उन का उद्देश्य यही है कि असम और पश्चिम बंगाल में साम्यवादी विचारधारा फैल सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हेम बरुआ]

सरकार को प्रेस मंत्रणा परिषद् की सहायता से समाचारों पर नियंत्रण रखना चाहिये ताकि सामरिक महत्व के समाचारों का प्रचार न हो ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री को दृढ़ निश्चयी रहना चाहिये और चीनी प्रस्तावों की उपेक्षा करनी चाहिये ।

†**श्री अ० चं० गुह** (बारसाट) : सभी लोग इस विधेयक के पक्ष में हैं और सब जानते हैं कि हमें अपने अधिकारों का बलिदान करना है ।

प्रोफेसर मुकर्जी ने कहा कि ऐसा विधेयक लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है । किन्तु इस के अन्तर्गत जो नियम बानये जायेंगे वे संसद् के समक्ष रखे जायेंगे अतः लोकतन्त्र की भावना जीवित रहेगी ।

इस विधेयक का निर्माण इस कारण नहीं किया जा रहा कि लोगों पर अविश्वास है बल्कि इसलिये कि लोगों का विश्वास प्राप्त है । प्रोफेसर मुकर्जी ने साम्यवादियों द्वारा किये जा रहे सहयोग की बात कही परन्तु साम्यवादी दल इस प्रश्न के बारे में इतने लम्बे समय तक क्यों निर्णय नहीं कर सका था । संभवतः वे इस बात से सहमत होंगे कि साम्यवादियों में देशभक्ति गाली समझी जाती है । अब यदि वे इसे एक गुण मानने लगे हैं तो यह कमी की बात है ।

हमें विधेयक पर वास्तविकताओं के आधार पर विचार करना चाहिये । चीनियों के आक्रमण के अलावा अंदरूनी स्थिति को भी सुदृढ़ बनाने के लिये ही यह विधेयक है ।

अन्तर्राष्ट्रीय साम्यवाद अभी तक जीवित सिद्धांत है । पिछले कुछ वर्षों में कुछ देशों में साम्यवादी बंदूक के जोर पर लाया गया है । साम्यवादियों का यह सिद्धांत है कि किन्हीं भी साधनों से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की जाए । सरकार को एक बात के संबंध में सतर्क रहना वाहिए कि साम्यवादियों के अड्डे सरकारी विभागों, युद्ध सामग्री कारखानों और स्कूलों तथा कालिजों में भी हैं । जो व्यक्ति राष्ट्र के हित के विरुद्ध इन स्थानों में काम करते हैं उन को इस अधिनियम के अन्तर्गत काबू में रखना चाहिये ।

कुछ पड़ोसी देशों का रवैया भारत के प्रति मैत्रीपूर्ण नहीं है । उन देशों के राष्ट्रजन और समर्थक आसाम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर आदि सीमान्त आदि राज्यों में सक्रिय हैं । उनके सम्बंध में सरकार को जागरूक रहना चाहिये ।

भारत को चालकों जो कलकत्ता पत्तन पर विदेशी नागरिक हैं, के रवैये और इरादों के संबंध में बहुत सावधान रहना चाहिये ।

युद्ध विराम की जो पेशकश है वह पहले की तरह से धोखेबाजी की है । एक और महत्वपूर्ण बात है । जब चीनी हमारे अधिकृत क्षेत्र को छोड़ कर चले जाएंगे तब भी खतरा बना रहेगा । वे या तो वहां हथियार बांट जाएंगे या छोड़ जायेंगे जिन को असन्तुष्ट लोग हमारे लिये संकट उत्पन्न करने के काम में लायेंगे ।

नागरिक सुरक्षा संचालकों की नियुक्ति राज्यों पर नहीं छोड़नी चाहिये । केन्द्रीय सरकार की मंजूरी से उनकी नियुक्ति होनी चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री उस्मान अली खां** (अन्तपुर) : प्रतिरक्षा विधेयक सरकार को जो आपातकालीन शक्ति प्रदान करेगा उस शक्ति का देश समस्त उपलब्ध संसाधनों को संकट का सामना करने के लिये जुटाने में सही एवं उस का पूर्ण उपयोग करना चाहिये ।

हम उन मित्र देशों के आभारी हैं जिन्होंने हमें सहायता दी है । परन्तु हमें अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिये । हमें संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करना चाहिये ।

सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उत्पादन संसाधनों का पूर्ण प्रयोग होना चाहिये ।

अपने संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिये अनेक कार्य किये जा सकते हैं । कारखानों में पूर्ण उत्पादन होना चाहिये । 'यार्डों' में माल डिब्बे बेकार नहीं रहने चाहियें । जो सिंचाई क्षमता उत्पन्न हो गई उसे पूरी तरह से प्रयोग में लाना चाहिये ।

दो करोड़ समर्थ बेरोजगार व्यक्ति हैं । उन का पूरा उपयोग उठाना चाहिये ।

अपने उपलब्ध संसाधनों को प्रयोग के साथ साथ जो सहायता विदेशों से मिल रही है उस का भी प्रयोग करना चाहिये ।

†**श्री हेडा** (निजामाबाद) : चीनियों का भारत पर आक्रमण एक अचानक घटना नहीं है । चीनी अतिक्रमण सुनियोजित है । ऐसा विचार था कि जाड़े का आगमन हमारे लिये अच्छा रहेगा क्योंकि चीनियों को सर्दी में लड़ना कठिन होगा । हमें तैयारी करने का समय मिल जाएगा । चीनी सैनिक तो तिब्बत के लोगों से भी अधिक इस सर्दी के अभ्यस्थ हैं ।

चीन में आर्थिक स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है । वे सदैव किसी न किसी तरीके से किसी देश के साथ युद्ध छेड़ कर चीन की जनता का ध्यान इस चिन्ताजनक स्थिति से हटाना चाहते हैं ।

वे यह भी नहीं चाहते कि भारत एशिया का नेता बन जाए और प्रजातन्त्र को अपने देश में सफल बना कर एशिया में अपना प्रभाव बढ़ा ले । हमारी आर्थिक प्रगति भी उस की आखों में खटक रही थी ।

वे रूस से अधिक से अधिक सहायता लेनी चाहते थे । भारत और रूस में मित्रता बढ़ रही थी । इस अतिक्रमण से चीन भारत और रूस की मित्रता समाप्त करना चाहता था । इस मामले में भी सफल रहे हैं ।

भविष्य दोनों बड़े देशों रूस और अमेरिका के रवैये पर निर्भर है । यदि रूस अपनी तटस्थ नीति को जारी रखे और चीन को तेल तथा शस्त्र का संभरण न करे तो चीन की भद्दी नीति को रोका जा सकता है । आशा है कि अमरीकी सहायता से हम अपना खोया हुआ क्षेत्र शीघ्र वापस ले सकेंगे । हमें लंम्बे युद्ध के लिये तैयारी करनी है । उस के लिये यह विधेयक बहुत जरूरी है ।

श्री भू० ना० मंडल (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, चीन ने भारत पर आक्रमण करके जो विशेष स्थिति पैदा कर दी है, उस स्थिति में हिन्दुस्तान के राष्ट्रपति ने यहां पर स्टेट आफ एमरजेंसी घोषित करने के साथ साथ एक डिफेंस आफ इंडिया आर्डिनेंस भी लागू कर दिया है । आज इस हाउस में जो डिफेंस आफ इंडिया बिल उपस्थित किया गया है, वह उसी आर्डिनेंस, डिफेंस आफ इंडिया आर्डिनेंस का स्थान लेने के लिये किया गया है ।

यह जो बिल पेश किया गया है इसे हम लोगों को अपनी मंजूरी देनी है, इस में तो कोई संदेह ही नहीं है । लेकिन मंजूरी देते हुए भी कुछ बातों की ओर मैं इस सदन का ध्यान खींचना चाहता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री भू० ना० मण्डल]

मैं समझता हूं कि आज की जो सरकार है इसी सरकार की कार्रवाई के चलते आज हम को देश में स्टेट आफ एमरजेंसी घोषित करने की जरूरत पड़ी है। अगर १९५० में जिस समय चीन ने तिब्बत पर हमला किया था, उस समय तिब्बत पर चीनी सुज़रेनटी को अगर कबूल नहीं किया जाता तो शायद आज कोई दूसरी ही स्थिति होती। फिर १९५४ में जो समझौता चीन की सरकार ने भारत की सरकार के साथ किया, उस के अनुसार हिन्दुस्तान के जो भी हक, जो भी अधिकार तिब्ब में थे, सेना रखने का था, या वहां पर टेलीफोन या टेलीग्राफ रखने का था या दूसरे जो अधिकार थे, अगर उनको सुरक्षित रखा जाता तो शायद आज स्थिति वैसी भयावह न होती जैसी हो गई है। इसके अलावा हिन्दुस्तान की सेना भी वहां पर थी, हिन्दुस्तानी लोग जो तिजारत करते थे, वे भी वहां थे, लेकिन हमने अपनी सेना को हटा लिया और इन तिजारत करने वालों की सुरक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं किया। उसके बाद भी फिर जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया और तिब्बत को अपने कब्जे में कर लिया उस समय भी हिन्दुस्तान को जो अपनी आवाज उठानी चाहिये थी, उस आवाज को नहीं उठाया। इन सब कारणों में तथा हमारी विदेश नीति की भलों की वजह से तिब्बत की सीमा हिन्दुस्तान की सीमा के साथ सट गई और सटने के साथ साथ जो कुछ लुक छिप कर आक्रमण हिन्दुस्तान की भूमि पर चीन की तरफ से होते रहे, उस संबंध में भी जो नीति हिन्दुस्तान की सरकार ने अपनाई, उसी कमजोर नीति की वजह से आज हिन्दुस्तान के ऊपर चीन ने खुल्लम खुल्ला आक्रमण कर दिया है। इस आक्रमण में यह भी देखने में आया है कि जो इतने दिनों का अनुभव हिन्दुस्तान की सरकार के पास था और जिस को लेकर हिन्दुस्तान की सरकार को चीन के साथ लड़ाई के लिये तयारी करनी चाहिये थी वह तयारी इसने नहीं की और इसका यह परिणाम हुआ कि इस खुल्लम खुल्ला लड़ाई में हिन्दुस्तान को एक हार के बाद दूसरी हार खानी पड़ी और हिन्दुस्तान को संसार के सामने मुंह दिखाने का भी हक नहीं रह गया है।

लेकिन हिन्दुस्तान की जनता ने इस बीच में जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया देश की रक्षा के लिये जाहिर की है, वह भी एक अभूतपूर्व बात इस देश में हुई है। इसको देखते हुए हम लोगों को इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लड़ाई हो रही है, इस में अंतिम विजय हमारी होगी। लेकिन इस बात से हम को सावधान रहना है कि आज जो सरकार है वह वही सरकार है जिसके चलते यह सब कुछ हुआ है और उसी सरकार के हाथ में हम अब एक नया अस्त्र, डिफेंस आफ इंडिया एक्ट देने जा रहे हैं। संसद को हमेशा इस बात के लिये काशस (सतर्क) रहना है, इस बात के लिये एलर्ट रहना है कि इस डिफेंस आफ इंडिया एक्ट को पास करने के बाद भी और इस सरकार को इस एक्ट को इम्पलीमेंट करने का अधिकार देने के बाद भी वह काम हो सकेगा या नहीं जिस के लिये यह एक्ट बनाया गया है। इस लिये संसद को विशेष तौर से इसकी निगरानी रखनी होगी, विशेष सावधानी बरतनी होगी कि आज जो इस सरकार को चलाने वाले हैं और जिस ढंग की कमजोरी दिखा कर उन्होंने देश के सिर को नीचे झुकाया है, वे आगे से ऐसा न कर पायें। आगे जो युद्ध की तैयारी होनी है, उस में इनकी ढिलाई न हो और सिर्फ युद्ध की तैयारी ही नहीं बल्कि युद्ध के सिलसिले में जो समझौता या जो कुछ बातें भी अपने दुश्मन से करने की होंगी, उनमें झुक कर कोई काम न कर दें, इसके लिये भी इस हाउस को निगरानी करने की जरूरत है और सतर्क रहने की जरूरत है।

अभी तक सरकार की जितनी भी कार्यवाही हुई, उस सब को देखने से पूरा विश्सास नहीं होता है कि आज जिस स्थिति में हम लोग पड़े हुए हैं, उस में हमारे देश के जो प्रधान मंत्री हैं, और इस सदन के जो नेता हैं, जैसी उनकी पापुलरिटी है उस में ऐसा भी नहीं किया जा सकता समय आ गया है कि उनका नेतृत्व इस युद्ध के जमाने में न रहे। हां, इस युद्ध के जमाने में इनकी

अगर और कमजोरी देखने में आएगी तो शायद उनको भी मेनन की तरह से निकलना पड़े, तो यह एक दूसरी बात होगी। लेकिन अभी की स्थिति में वैसी कोई बात नहीं है। हम चाहते हैं कि उनमें साहस हो, उनमें बुद्धि हो, उनमें सूझ हो ताकि वह हिन्दुस्तान की डिफेंस के काम को चला सकें और देश को विजयी बना सकें। ऐसी कोई व्यवस्था अगर वह कर पायेंगे ऐसी कोई तरकीब अगर वह निकाल पायेंगे, तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी।

कल श्री हिरेन मुकर्जी ने कहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। यहां की एक लेडी श्रीमती सुभद्रा जोसी (कांग्रेस) ने भी कहा कि जिस तरह से कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी हो रही है उस तरह से नहीं होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं एक बात कहना चाहता हूं। जो कम्यूनिस्ट पार्टी के लोग हैं उन को एक बात समझ लेनी चाहिये कि जब कि उनका कोमिनफार्म से संबंध है, जबकि जिस पार्टी के वे लोग हैं उसी पार्टी की सरकार ने हमारे देश पर आक्रमण किया है, ऐसी हालत में अगर उनके ऊपर देश के लोगों का या देश की सरकार का सन्देह होता है, तो इस से उन को घबराना नहीं चाहिये। उनका एक ही काम होना चाहिये कि वे अपनी देशभक्ति का परिचय दें, उनको इसका सबूत देना चाहिये कि वास्तव में उनमें देशभक्ति है वे देश के प्रति लायल हैं। इस लड़ाई के पहले कम्यूनिस्ट पार्टी के जितने नेता चीन गये हैं, उन्होंने वहां जाकर कौन सी बात चीत की है, इस को कौन कह सकता है? हो सकता है कि अगर लड़ाई की परिस्थिति संगीन हो तो उस समय उन का रुख बदल जाय। इस चीज के लिये आज कौन जिम्मेदारी ले सकता है? इस लिये अगर आज देश की सरकार इस बात को देखते हुए कम्यूनिस्ट पार्टी के कुछ लोगों के ऊपर शक करती है और उनको गिरफ्तार करती है तो इस के लिये सरकार को कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। इस से जो हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। बल्कि देशभक्ति के नाम पर अगर वे जेल में जा कर रहे तो अच्छा है ताकि देश में कोई कन्फ्यूजन न फैलने पाये।

इस लड़ाई की जो तैयारी हो रही है उस सिलसिले में जो डिफेंस कौंसिल बनी है उस डिफेंस कौंसिल को देखने से ऐसा नहीं मालूम पड़ता है कि यह डिफेंस कौंसिल कोई असली डिफेंस काउंसिल बनाई है। देश में अलग अलग पार्टियों के जो चोटी के नेता हैं उनको इसमें नहीं लिया गया है। इसमें श्री राजगोपालाचारी को नहीं लिया गया है, इसमें जयप्रकाश नारायण को नहीं लिया गया है, इसमें डा० राम मनोहर लोहिया को नहीं लिया गया है। जो देश के सर्वमान्य नेता हैं उनको इस डिफेंस कौंसिल में नहीं लिया गया है। दूसरे लोगों को लिया जाय, इससे मेरा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन आज देश के ऊपर जो इतनी बड़ी आपत्ति आई हुई है, वैसी हालत में जो देश के सर्वमान्य नेता हैं उनको डिफेंस कौंसिल में न लेना, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं समझता हूं कि यह गलती सुधारी जायेगी।

मैं एक बात और कह देना चाहता हूं। इस लड़ाई के सिलसिले में आज देश में सोने की जरूरत है। सोने के लिये आज सरकार कोशिश कर रही है कि वह आये। लेकिन हमारे देश में जो राजे महाराजे और नवाब हैं उनके पास पुश्तों से सोना जमा है। उनके पास कितना सोना जमा है इस का कोई फिगर सरकार के पास है या नहीं, यह मैं नहीं जानता हूं। अगर इस बात का पता उनको नहीं है तो उन्हें पता लगाना चाहिये और जब इस लड़ाई के जमाने में देश को सोने की जरूरत है तो सबसे पहले उन लोगों से सोने की मांग करनी चाहिये। अगर वह अपनी खुशी से दें तो अच्छा, लेकिन अगर खुशी से न दें तो उसको कैसे लिया जा सकता है, इसका इन्तजाम भी सरकार को सोचना चाहिये।

[श्री भू० ना० मण्डल]

आज देश के ऊपर जो संकट आया हुआ है, उसके सम्बन्ध में मैं देश की सरकार से एक बात कहना चाहता हूं। जो भी संसार भर के स्वतन्त्र देश हैं, उन स्वतन्त्र देशों में एक बात होती है कि लड़ाई के जमाने में वहां जन सेना कायम की जाती है। जन सेना का मतलब यह होता है कि सम्मुख आयु के, चाहे वह २५ वर्ष हो या २६ वर्ष हो, सब व्यक्तियों को रिक्रूटिंग स्टेशन आने के लिये कहा जाता है, और वहां पर जो चुनने वाले लोग रहते हैं वे एक तरफ से सभी को देखते हैं और जितने लोगों की जरूरत होती है, उनको वे अलग कर लेते हैं और सेना में भरती कर लेते हैं। जिस तरह से दूसरी जगहों पर जन सेना होती है उस तरह की जन सेना इस देश में अभी कायम नहीं हुई है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई को आगे चलाने के लिये, इस लड़ाई को जन युद्ध का रूप देने के लिये यहां पर जन सेना कायम की जाय। अभी यहां पर जो सेना का संगठन है वह वही पुराना संगठन अंग्रेजों के जमाने का मौजूद है। जो इस तरह की सेना होती है वह सेना नौकरी करने वालों की सेना होती है। देशभक्ति की उमंग में आकर देशभक्ति की भावना में आकर जान देने वाली जो सेना होती है, उस सेना को जैसा होना चाहिये उस तरह पर देश की सेना को ढालना चाहिये। इस लिये मैं इस सम्बन्ध में ऐसा.....

श्री लहरी सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह अल्फाज कहना कि हमारे यहां नौकरी करने वाली सेना होती है, यह ठीक नहीं है। हमारे सिपाही बड़े बहादुर हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से इत्तफाक करता हूं कि यह कहना हमारे लिये शोभा नहीं देता। यह बात बहुत गलत है। मेरा ख्याल इस तरफ नहीं था। यह बात गलत है और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य भी यह नहीं कहना चाहते थे कि वह सिर्फ नौकरी करने वाले हैं। वह मुल्क की खातिर हैं वरना यह क्या नौकरी है जो उनको मिल रही है ? यह नौकरी कुछ नहीं है जो उन्हें मिल रही है। वे लोग मुल्क की मोहब्बत में अपनी कुर्बानी और खून दे रहे हैं, यह सारा हाउस जानता है। कभी हमें यह बात नहीं कहनी चाहिये। या तो माननीय सदस्य उसे खुद दुरुस्त कर लें या वापस ले लें।

श्री भू० ना० मंडल : आज अपनी सेना की देशभक्ति में हमें कोई सन्देह नहीं है। आज जिस ढंग की सेना है उसके सम्बन्ध में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि जिस तरह से अंग्रेजों के जमाने में रिक्रूटमेंट चलता था वैसे ही आज भी चल रहा है। वह नहीं होना चाहिये, दूसरे ढंग से होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन आज जो लोग आ रहे हैं वे मुल्क की सेवा के लिये आ रहे हैं।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : इन शब्दों को वाद-विवाद में से हटा देना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : अब तो काफी क्लिअर हो गया।

श्री भू० ना० मंडल : एक बात मैं और कहना चाहता हूं और वह दाम.....

अध्यक्ष महोदय : लेकिन इस तरह से नहीं कहेंगे।

श्री भ० ना० मंडल : इसके सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान की जनता ने जिस तरह से इस लड़ाई के जमाने में अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, उससे हिन्दुस्तान में कम से कम एक बात तो जरूर होनी चाहिये कि आज दाम के सम्बन्ध में ऐसा न हो कि ब्लैक मार्केटिंग और होर्डिंग ज्यादा हो जाय। ऐसे लोगों को दबाने के लिये आज जो डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट पास हो रहा है

†मूल अंग्रेजी में

उसको अच्छी तरह से अमल में लाया जाय और हिन्दुस्तान में होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग जैसी बात नहीं होनी चाहिये और जो प्राइस लाइन है उसको मेनटेन किया जाय ताकि लोगों को अपने जीवन में साधारण जीवन की चीजों को खरीदने में कोई दिक्कत न हो। हाल में मैं अपनी कांस्टिटुएन्सी में गया था। वहां जाकर मैंने देखा कि किरोसिन आयल का अभाव हो गया है, और कई जगहों पर किरोसिन आयल की कमी के कारण लोगों को मोम बत्ती जलानी पड़ रही है। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इन सब बातों को देखे और ऐसी परिस्थिति देश में कायम रक्खे कि युद्ध के कारण लोगों को तकलीफ देने वाली परिस्थिति यहां न पैदा हो, बल्कि ऐसी परिस्थिति हो जिसमें रह कर जो लड़ाई चल रही है उसको हम अच्छी तरह से लड़ सकें।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले रेजोल्यूशन पर भी नहीं बोली, मुझको समय मिलना चाहिये।

†**श्री नरसिंहा रेड्डी** (राजमपेट) : वर्तमान संकटकालीन स्थिति जैसी स्थितियों में सरकार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिये बहुत शक्तियां दी जाती हैं। ध्वंसात्मक कार्यवाइयां सदा प्रकट रूप में नहीं होतीं। वे मधुर मुस्कानों, देशभक्ति के प्रदर्शन एवं चीनियों के विरुद्ध भयानक आक्रोश के पीछे भी छिपा हुआ हो सकता है। सरकार को ऐसे सभी दिखावों के प्रति जागरूक रहना चाहिये।

खण्ड १४ जो राज्य सरकारों को किन्हीं भी अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत मामलों को उच्च न्यायालयों से नीचे के साधारण न्यायाधिकरणों से विशेष न्यायाधिकरणों को स्थानान्तरित करने की शक्ति देता है, एक असाधारण उपबन्ध है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इसमें कुछ कुटिल अर्थ निहित मालूम होता है। यह व्यवस्था बहुत गलत और अनैतिक है।

यह उपबन्ध कि कोई विशेष न्यायाधिकरण बिना अभियुक्त को अन्वीक्षा के लिये उसके पास भेजे गये, अपराधों के सम्बन्ध में हस्तक्षेप कर सकेगा अनावश्यक है और अमानवीय भी।

यह उपबन्ध करके कि उच्च न्यायालय में अपील केवल मृत्यु दण्ड अथवा आजीवन कारावास अथवा कम से कम पन्द्रह वर्ष के कारावास की सजा के मामलों में भी की जा सकेगी, व्यक्ति का अधिकार सर्वथा छीन लिया गया है। उपरोक्त समस्त उपबन्धों में उपयुक्त संशोधन करने की आवश्यकता है।

सरकार द्वारा कृषि नियन्त्रण, जिसमें जोतना भी शाक्ति है, की शक्ति प्राप्त किये जाने का उपबन्ध असाधारण मालूम होता है। यदि मन्त्री महोदय यह आश्वासन दें कि सरकार अनिवार्य सहकारी खेती नहीं लागू करना चाहती, तो मुझे इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कहना है।

सहकारी खेती का किसानों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र की जान भी खत्म हो जाएगी और अव्यवस्था उत्पन्न होगी।

सरकार को वर्तमान स्थिति में विवादास्पद विधेयक सभा के सामने भी लाने चाहियें। भूमि उपकरों के सम्बन्ध में विधान भी अभी स्थगित कर देने चाहियें। वर्तमान संकट में किसानों को सन्तुष्ट रखना परम आवश्यक है।

सरकार को यदि अतिरिक्त धन की आवश्यकता हो, तो वे अपना व्यय कम कर दें। मन्त्रिमण्डलों में मन्त्रियों की संख्या कम कर दें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम** (वेल्लारी) : इस समय स्वतन्त्र भारत को घोर संकट का सामना है और हमारी आजादी, एकता और प्रभुसत्ता को खतरा है। चीन की सरकार ने दो मोर्चों पर सामहिक आक्रमण किया है, एक सैनिक मोर्चे पर और दूसरा प्रचार मोर्चे पर। ऐसा हमारे प्रजातन्त्रीय ढांचे को नष्ट करने तथा अपने विस्तार के मार्ग से बाधा को हटाने के उद्देश्य से किया गया है।

फिर भी आपात से देश में एक विचित्र भावात्मक एकता उत्पन्न हुई है। लोगों का प्रत्युत्तर बहुत उत्साहजनक है।

इस घोर आपात को देखते हुए सरकार ने भारत की प्रतिरक्षा विधेयक प्रस्तुत करना उचित समझा है। आपात के समय आपातकालीन विधेयक लाना स्वाभाविक है। जब हमारे जीवन, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता और एकता को खतरा है। इस लिये हमें अनुभव हो रहा है कि ये कितनी कीमती हैं।

विधेयक के खण्डों में जो उपबन्ध किये गये हैं वे बहुत सख्त और असामान्य हैं, किन्तु वे आपात काल के लिये आवश्यक हैं।

मुझे हर्ष है कि वाणिज्य तथा उद्योग का भारतीय संघ यह प्रयत्न कर रहा है कि मूल्य न बढ़ें और सब उपभोक्ता वस्तुओं का उचित वितरण हो। कपड़े और खाद्यान्न के थोक व्यापारियों को अपने स्टाक हर महीने घोषित करने चाहियें। उचित मूल्य दुकाने अधिक संख्या में खोली जानी चाहियें, विशेष कर ग्रामीण क्षेत्रों में।

न्यायाधिकरणों की व्यवस्था एक बहुत विस्तृत आधार पर होगी। हमने एक ऐसी प्रणाली को जारी करना है, जिसके अन्तर्गत विधान मण्डलों, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के विभिन्न अंगों में सुखद सन्तुलन को लाया जा सके।

श्री यमुना प्रसाद मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ दिन पहले इस महान् सदन ने जो एक महान् प्रस्ताव पास किया, आज जो बिल हमारे सामने है, वह उस प्रस्ताव का एक आपरेटिव पार्ट कहा जा सकता है। जिस तरह उस प्रस्ताव को हम लोगों ने एक स्वर से पास किया है उसी तरह मातृभूमि की रक्षा के लिये प्रस्तुत किये गये इस कानून को भी हम एक स्वर से पास करेंगे और इस पर अपनी पूरी सहमति देंगे। मैं समझता हूं कि इससे बढ़कर और कोई भी खतरा देश के सामने नहीं आ सकता, जबकि इस देश पर एक दग़ाबाज़ दोस्त ने आक्रमण किया है। मेरे विचार में विश्व के इतिहास में ऐसे बहुत कम मौके आए होंगे, जबकि किसी देश ने एक शान्तिप्रिय मित्र देश के साथ इस तरह का विश्वासघात किया हो। हम लोग जानते थे कि उस विचारधारा को मानने वालों के लिये यह कोई नई बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन फिर भी हमने चीन पर बराबर विश्वास किया। लेकिन हमारे बीच में मित्रता और सह-अस्तित्व के आधार पर जो समझौता हुआ था, उसको चीन ने एकाएक ठुकरा दिया।

जब देश की सुरक्षा और स्वतन्त्रता के लिये ख़तरे का सबसे बड़ा अहम सवाल हमारे सामने हो, तो इस स्थिति में इस कानून का लाना बहुत लाज़िमी है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि इस महान् सदन का प्रत्येक सदस्य इस पर अपनी सहमति देगा और यह सदन इस को अपनी युनैनिमस सपोर्ट देगा।

कल माननीय सदस्य श्री हीरेन मुकर्जी, ने अपने भाषण में एसी छोटी छोटी बातें उठाईं, जिन को सुन कर मुझ आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा कि "लाज़ आर नेवर साइलेंट इन टाइम्ज़ आफ़ वार।" मैं

†मूल अंग्रेजी में

निवदन करना चाहता हूं कि जब इस बिल को एक ला का रूप देने के लिये इस महान् सदन के सामने रखा गया है, तो फिर लाज़ के साइलेंट होने की बात प्रोफेसर मुकर्जी को कैसे सूझी, यह हमें पता नहीं चलता । एक छोटी सी बात वह उठा रहे थे कि इसका जो टाइटल है, उसमें नेशनल शब्द नहीं दिया गया है । मैं समझता हूं कि जो सच्चे दिल से देशभक्त हैं जिसमें पैट्रियोटिज्म की सच्ची भावना है, जो अटूट देशभक्त है, वह यह कह सकता है, भारत का बच्चा बच्चा कह सकता कि "इण्डिया" का मतलब होता है, मदरलैण्ड । यह हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि की रक्षा के लिये यह टाइटल रखा गया है । इसमें और एक शब्द जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी ।

इन सब बातों को देख कर सचमुच हमें कुछ ऐसे दोस्तों की तरफ से अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है । यद्यपि उन लोगों ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं होता है । हां हो सकता है कि इक्के दुक्के लोग, दो चार लोग उनमें से इस रेजोल्यूशन को रेजोल्यूट विल से काम में लायें । मगर जिस ढंग से प्रो० मुकर्जी बोल रहे थे, उसको देख कर हमें शक होता है कि वे लोग इस रेज़ोल्यूशन के मुताबिक काम करेंगे, उस पार्टी के लोग इसके मुताबिक काम कर रहे हैं । मैं समझता हूं कि सरकार ने देश की सुरक्षा का जहां तक सम्बन्ध है, ऐसे ऐसे गुटों के लोगों को एक बढ़िया जगह पर रख दिया है । दो तीन दिनों से उनको एक बढ़िया जगह पर रखने की कोशिश भी की गई है । यह कोशिश सचमुच में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है ।

मैं अधिक वक्त लेना नहीं चाहता हूं । इससे बढ़ कर और अच्छा मौका मैं नहीं समझता, भारत के इतिहास में आ सकता है । इस बिल में खास तौर पर टैक्नीकल परसनल के बारे में और उनकी सर्वसिस लेने के बारे में भी व्यवस्था की गई है। इसका जिक्र पूर्व वक्ताओं ने भी किया है । अगर ऐसी जरूरत होगी, कलकत्ता पोर्ट में या बायलर्ज़ के सम्बन्ध में या किसी और मशीनरी को चलाने के सम्बन्ध में तो टैक्नीकल आदमियों की सर्विसेज को भी जारी रखने के लिये कहा जा सकता है । हमारे पास जो उपयुक्त व्यक्ति हैं, उनकी जरूरत हम को मोर्चे में भी हो सकती है । इस कानून के मुताबिक हम चाहें तो देश की रक्षा के लिये उनको वहां रख सकते हैं, बड़े बड़े इंजीनियर्ज को, बड़े-बड़े लोगों को रख सकते हैं ।

एक छोटी सी बात है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं और वह नम्बरिंग के बारे में है । यह खटकने वाली बात है । सैक्शन्ज़ और सब सैक्शन्ज़ का नम्बरिंग इस हिसाब से होना चाहिये था कि लोग इसको ठीक तरह से देख सकते ।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसके एक एक शब्द का मैं तहे दिल से स्वागत और समर्थन करता हूं ।

†**डा० मा०श्री०अणे** (नागपुर): यह हर्ष का विषय है कि इस लड़ाई में सब दलो ने एकमत हो कर सरकार का समर्थन करने का निश्चय किया है । हमें एक बेशरम दुश्मन का मुकाबला करना है । सन्देह नहीं कि सरकार ने बहुत असाधारण शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं और इन का दुरुपयोग होने की भी सम्भावना है । इसलिये यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि वह इन शक्तियों का प्रयोग ऐसे न करे जिससे कि देश की एकता को हानि पहुंचे । साथ ही सरकार को यह भी ध्यान रखना चाहिये कि उन शक्तियों के प्रयोग के कारण किसी दल में कोई अनावश्यक सन्देह न पैदा हो कि उपबन्धों को विभेदकारी तरीके से लागू किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री० अणे]

सरकार पहले ही कह चुकी है, कि वह सहकारी खेती को लोगों पर थोपना नहीं चाहती और वह स्वेच्छा से जारी होगी । मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में अपने बचन पर कायम रहेगी ।

हमारी सरकार ने यह भी घोषणा की है कि बातचीत होने के पहले यह आवश्यक है कि चीनी फौजें ८ सितम्बर से पहले वाली स्थिति तक पीछे हट जायें । सरकार को इस स्थिति पर कायम रहना चाहिये । हमें कोई और हल स्वीकार नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे चीनी अपने कब्जे को पक्का कर लेंगे । हमारा लक्ष्य भारत के लिये विजय प्राप्त करना है और हम प्रधान मन्त्री को वचन देते हैं कि यदि वे अपने मूल प्रस्ताव पर कायम रहे, तो हम विधेयक के सब उपबन्धों को, चाहे वे कितने कठोर और कठिन हों, स्वीकार करने के लिये तैयार हैं और विधेयक का वर्तमान रूप में समर्थन करने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री मान सिंह पृ० पटेल** (मेहसाना) : मैं भारत की प्रतिरक्षा विधयक का हार्दिक समर्थन करता हूं । यह सम्भव है कि आपातकालीन प्रशासन में इसको लागू करने में कहीं कहीं गलतियां हो जायें । किन्तु यदि यह कहा जाये कि सत्तारूढ़ दल इन शक्तियों का इस प्रकार दुरुपयोग करेगा, कि इससे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को हानि पहुंचे, तो इससे लोगों में सन्देह पैदा होगा और हमारी युद्ध की तैयारी को धक्का लगेगा । यदि लोग सजग हों और वे सच्ची भावना से लड़ रहे हों, तो देश के किसी कोने में सत्तारूढ़ दल के लिये इन शक्तियों का दुरुपयोग करना सम्भव नहीं होगा । इसलिये सरकार की किसी कार्यवाही से यह शक नहीं करना चाहिये कि यह किसी विशेष दल के विरुद्ध की गई है । देश की स्वतन्त्रता व्यक्ति विशेष की स्वतन्त्रता से कहीं अधिक महत्व रखती है । किसी व्यक्ति के विरुद्ध की गई कार्यवाही को किसी दल विशेष के विरुद्ध कार्यवाही न समझा जाये ।

उन माननीय सदस्यों से जिन्होंने संशोधन दिये हैं मैं अनुरोध करूंगा कि व उन पर आग्रह न करें और विधयक को वर्तमान रूप में अधिनियम में परिवर्तित होने दें । देश में ऐसा वातावरण पैदा किया जाये कि किसी राज्य या केन्द्रीय सरकार का कोई पदाधिकारी किसी विशेष दल के सदस्य के विरुद्ध इस कारण कार्यवाही न कर सके कि वह उस विशेष दल से सम्बन्ध रखता है ।

यदि आपातकाल में सरकार का समर्थन करने की भावना बनी रहे तो मेरा निवेदन है कि वर्तमान भारत की प्रतिरक्षा विधेयक एकमत से स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (जालोर) : हमारी सेना अपनी बहादुरी के लिये मशहूर है । जब वे दूसरों के लिये भी लड़ रहे थे तब भी व अपनी बहादुरी के लिये मशहूर थे । इसलिये यह समझना गलत है कि हमारी वर्तमान दशा का कारण हमारा राष्ट्रीय चरित्र है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगले दिन जारी रखें ।

आपातकाल में मितव्ययता के बार में संकल्प

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि मितव्ययता करने की दृष्टि से और इस समय आपातकाल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये सरकारी व्यवस्था को कुशलता से चलाने के लिये निम्नलिखित उपाय किये जायें ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) मन्त्रिपरिषद् के आकार को घटाया जाये ; और

(ख) अनुसचिवीय तथा सरकारी क्षेत्रों में सख्त किफायत की जाये ।

इस प्रकार की चर्चा की आवश्यकता के बारे में सदन में दो रायें नहीं हो सकतीं किन्तु पहले इस की पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिये । हम एक आपातकाल में काम कर रहे हैं जबकि नागरिक और प्रतिरक्षा प्रशासन में कोई अन्तर नहीं रह जाता । युद्ध के दिनों में दोनों प्रशासनों को एक मशीन की तरह काम करना चाहिये । देश के सामने केवल एक उद्देश्य है और वह यह है कि शत्रु को निकाल बाहर किया जाये । इसके लिये जो भी बलिदान आवश्यक हो, वह करना आवश्यक है ।

चूंकि युद्ध के लम्बे होने की सम्भावना है, इसलिये हमारी सारी आयोजना, अर्थव्यवस्था, प्रशासन आदि को इसके अनुकूल बनाना है । सुझाव दिया गया है कि योजना में परिवर्तन या संशोधन किये जायें । इसी तरह प्रशासन में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है । और इसको इस चुनौती का मुकाबला करने के लिये तैयार करना है । इस समय मुझे प्रशासन में आपातकालीन उत्साह नजर नहीं आता ।

मैं अनुभव करता हूं कि न केवल केन्द्र में बल्कि राज्यों में इस समय बहुत बड़े बड़े मन्त्रिमण्डल हैं । केन्द्र में सभा सचिवों को सम्मिलित करके इनकी संख्या ५९ है, जो कि ताश के पत्तों से भी अधिक है । इस समय प्रधान मन्त्री को इनमें न केवल कमी करनी चाहिये बल्कि युद्ध मन्त्रिमण्डल भी बनाना चाहिये । यह कार्यक्षमता के लिये आवश्यक है और यह कई वर्षों तक काम कर सकता है । ब्रिटेन में युद्धकाल में युद्धमन्त्रिमण्डल में केवल ५ या ७ मन्त्री थे । हम कुछ अधिक रख सकते है किन्तु वर्तमान बड़ा मन्त्रिमण्डल बिल्कुल न्यायोचित नहीं है । हमने सदन में कई बार देखा है कि मन्त्रिमण्डल के सदस्य भिन्न-भिन्न विचार प्रकट करते हैं और उनकी कार्यवाही में समन्वय नहीं होता । मैं चाहता हूं कि इस समय प्रधान मन्त्री को प्रशासन के मामले में सर्वोच्च सेनापति के रूप में काम करना चाहिये, ताकि कोई हिचकिचाहट न हो और जो निर्णय किये जायें, उन्हें सब स्तरों पर बिना संकोच के कार्यान्वित किया जाये । यह तभी हो सकता है यदि मंत्रिमण्डलों में मन्त्रियों की संख्या कम की जाये और सारे प्रशासनीय ढांचे को बदला जाये और इसको आपातकाल के लिये तैयार किया जाय ।

गृह-कार्य मंत्रालय, प्रतिरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक-कार्य मन्त्रालय और वित्त मन्त्रालय को अपने वर्तमान रूप में कायम रहना चाहिये । स्वास्थ्य, शिक्षा, सामुदायिक विकास जैसे मन्त्रालयों में जहां ऐसे विषयों का काम होता, जो राज्यों में भी है, कमी की जा सकती है और केन्द्र में एक समन्वय व्यवस्था स्थापित की जा सकती है । जो कर्मचारी फालतू हो जायेंगे उन्हें प्रतिरक्षा के काम में लगाया जा सकता है । मेरा सुझाव है कि ये राज्य के क्षेत्र में भी किया जाये । मुझे आशा थी कि प्रधान मन्त्री स्वयं ऐसा सुझाव प्रस्तुत करेंगे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

केन्द्रीय मन्त्रियों को उद्घाटनों आदि के लिये दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिये और इस तरह यात्रा तथा दैनिक भत्ता बचाया जाना चाहिये ।

प्रत्येक राज्य में राज्यपाल नियुक्त करने की बजाये क्षेत्रीय राज्यपाल नियुक्त किये जाने चाहियें । यदि तीन चार राज्यों के लिये एक राज्यपाल हो तो काम चल सकता है । केन्द्र तथा राज्यों में ऊपरी सदन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है । इन को समाप्त कर देना चाहिये ।

प्रधान मन्त्री सारी प्रशासन व्यवस्था को युद्ध स्तर पर रखने के लिये साहसी कदम उठायें ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ । अब माननीय सदस्य अपने संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

†**श्री विभूति मिश्र** : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं अपना संशोधन संख्या ३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : मैं अपना संशोधन संख्या ४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री हरि चरण सोय** : मैं अपना संशोधन संख्या ५ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री राम सेवक यादव** : मैं अपना संशोधन संख्या ६ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री शिवाजी राव शं० देशमुख** : मैं अपना संशोधन संख्या ७ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : म अपना संशोधन संख्या ८ प्रस्तुत करता हूं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प तथा संशोधन सदन के सामने है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य तथा अणुशक्ति मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प के मुख्य उद्देश्य और कारण ऐसे हैं जिससे सारा सदन सहमत होगा । उद्देश्य मितव्ययता, बरबादी नहीं और कुशलता है । वास्तव में युद्ध के समय में अन्य देशों में जो कुछ हुआ है, वह सरकारी प्रबंध में बड़ी मात्रा में वृद्धि है क्योंकि कई नयी बातें पैदा होती है और नये कार्य करने पड़ते है । जहां तक सम्भव है मैं यहां पर उन्हें दूर ही रखूंगा । कुछ हद तक ये काम पूरे करते ही पड़ेंगे क्योंकि सरकार की सामान्य शान्तिकालीन व्यवस्था से सरकार के जिम्मे सारे नये कार्य उचित रूप से नहीं किये जा सकते । यह स्पष्ट है कि कोई यह नहीं कहेगा कि हम कुशलता पर आघात करके मितव्ययता करें ।

युद्धकाल में रफ्तार और कुशलता से अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं है । रफ्तार और कुशलता से हमारा क्या मतलब है, वह विचार करने और फिर निर्णय करने का मामला है । माननीय सदस्य का कहना है कि मन्त्रियों की संख्या में अथवा मन्त्रालयों के साइज में कमी की जाये । उस प्रश्न पर कुशलता के दृष्टिकोण से ही विचार किया जा सकता है । यह ऐसी चीज नहीं है जिसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है । यदि कुशलता के हित में इसको घटाना अच्छा है तो ठीक है और यदि कुशलता के हित में इसे बढ़ाना अच्छा है तो ठीक है । किये जाने वाले कार्य और इसको करने के कुशल तरीके के अतिरिक्त कोई अन्य परीक्षण नहीं है । यदि मन्त्रियों की आवश्यकता नहीं है तो उनकी संख्या बढ़ा कर धन व्यय करना बेकार है । इन वर्तमाम परिस्थितियों में कई प्रकार के नये कार्य करने है और इसमें अधिक संख्या में सचिवों समेत कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि की जावेगी । अतः इसका परीक्षण केवल यह है कि हम युद्ध और इससे सम्बन्धित मामलों को किस प्रकार क्रियान्वित करते है । अन्य कोई कसौटी नहीं है । तदर्थ कसौटी करना और यह कहना, कि उसके कारण मन्त्रियों की इतनी बड़ी संख्या अनुचित है, कुछ अनुचित ही होगा ।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि उपरि सदन बेफायदा है । उनकी यह राय हो सकती है कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि निम्न सदन भी बेफायदा है । कुछ लोगोंकी यह राय है कि संसद् ही बेफायदा है । कुछ लोग समझते है कि यहां तानाशाही होनी चाहिये अथवा अधिकारयुक्त सरकार होनी चाहिये । हम उनसे सहमत नहीं है । कोई भी सहमत नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : कुछ प्रान्त ऐसे भी तो है, जहां अपर हाउसेज नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, हां। मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार का तर्क करना खतरनाक ढंग से तर्क करना है और जिससे हमें यह कहना पड़ता है कि कुछ लोग कहते है जब युद्ध हो रहा है तो संसद् की सारी व्यवस्था में समय और दिमाग बेकार खर्च होता है और इसमें धन भी खर्च होता है।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : मैंने कभी यह सुझाव नहीं दिया।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं जानता हूं कि माननीय सदस्य के यह विचार नहीं है। मैं यह कह रहा हू कि कुछ लोग यह तर्क करते हैं। मैं समझता हूं कि इस सकट की स्थिति में यहपनितान्त आवश्यक है कि हम संसदीय ढंग की सरकार बनाये रखें और संसार को दिखा दें कि संसदीय ढंग की सरकार भी युद्ध में ग्रस्त देश की गंभीर समस्याओं का समाधान कर सकती है। संसदीय ढंग की सरकार पर तानाशाही अथवा एक अधिकार प्राप्त सरकार की अपेक्षा अधिक खर्च होता है। फिर भी यह कई दृष्टिकोण से अच्छी ही नहीं है बल्कि आगे चल कर यह अन्य तरीके की अपेक्षा कम खर्चीली बैठती है।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : यह द्विसदनीय आवश्यक नहीं है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह सच है। यह आवश्यक रूप से द्विसदनीय नहीं है। जैसा उस माननीय सदस्य ने बताया, कुछ राज्यों में एक ही सदन है। परन्तु इस समय दूसरे सदन को समाप्त करने या समाप्त करने का प्रयत्न करने से देश में गलत प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा जैसे कि दूसरे सदन बेकार है। देश में कुछ व्यक्ति और कुछ दल ऐसे हों जो यह गलत बात सोचते हैं। द्वितीय सद बनाना राज्यों पर छोड़ दिया गया था। कुछ राज्यों ने दूसरे सदन बनाये और कुछ ने नहीं बनाये। यदि भविष्य में किसी समय राज्य दूसरे सदन हटाना चाहें तो हटा सकते हैं। उनको ऐसा करने के लिये मजबूर करने के लिये हमें कदम नहीं उठाने चाहियें।

अतः जहां तक मन्त्रियों के प्रश्न का सम्बन्ध है,मुख्य बात वह कार्य है जो हमें करना है और उसके कुशल सम्पादन के लिये व्यक्तियों की आवश्यकता है। प्रत्येक मन्त्रालय की कुशलता के बारे में निर्णय करना बहुत कठिन है। माननीय सदस्य शायद इस बात से सहमत न हों कि अमुक मन्त्रालय में काम कुशलता से चल रहा है। हम मन्त्रालयों की कुशलता पर विवाद नहीं कर रहे है। मैं तो केवल कसौटी बता रहा हूं। अब भी हमारे मन्त्रिमण्डल में जिसमें १८ व्यक्ति हैं.....

†**श्री हरि विष्णु कामत** : १९।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : जी, नहीं। १८।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मन्त्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्री १९ हैं। खैर इसमें कोई बात नहीं है।

श्री बागड़ी (हिसार) : कैबिनेट इतनी बड़ी है कि प्रधान मन्त्री जी को भी पता नहीं है कि उसमें कितने मिनिस्टर्ज है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** (जोधपुर) : अब ५८ मन्त्री है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : अब भी हमारे मन्त्रिमण्डल में मन्त्रिमण्डल की एक आपातकालीन समिति है जिसमें छः या सात मन्त्री हे। यह समझा गया कि पूरा मन्त्रिमण्डल दिन प्रतिदिन के और जहां लगभग प्रतिदिन निर्णय देने होते हैं, कुशलता से और शीघ्रता से पूरा नहीं कर सकता। अतः विशेष रूप से युद्ध प्रयत्नों से सम्बन्धित मन्त्रिमण्डलीय मन्त्रियों की एक आपातकालीन समिति बनाई

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

गयी। किसी मन्त्रिमण्डलीय मन्त्री को इसमें न रखने का कारण यह नहीं है कि वह कम महत्वपूर्ण समझा गया है बल्कि उसका विभाग प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक मन्त्री को और प्रत्येक विभाग सम्बन्धित हैं। यह मन्त्रिमण्डल की आपातकालीन समिति कहलाती है जिसमें सात सदस्य है इसकी जल्दी-जल्दी बैठकें होती है और यहां यथावश्यक प्रतिरक्षा अधिकारियों और पदाधिकारियों से बातचीत करती है। दैनिक रिपोर्ट लेती है और निष्कर्ष पर पहुंचती है। पूरा मंत्रि-मण्डल इस कार्य को उचित ढग से नहीं कर सकता। इसकी प्रतिदिन बैठक नहीं हो सकती। अतः यह तरीका अपनाया गया। यह अक्सर युद्ध-काल में और बाज दफा शान्ति-काल में अपनाया जाता है।

अब इस बात पर कि क्या बाकी मन्त्रिमण्डल को घटाया जा सकता है अथवा घटाया जाये, सरकार द्वारा किये जाने वाले कार्य को ध्यान में रख कर विचार किया जाना है। इस समय सरकार के पास काम बहुत अधिक है। यह हो सकता है कि कुछ विभागों में पदाधिकारियों और मन्त्रियों दोनों के लिये बहुत अधिक न हो और कुछ में बहुत अधिक हो। युद्ध काल में काम कम नहीं होता। युद्ध-संचालन के अतिरिक्त इसकी तैयारी करना बहुत बड़ा काम है और मैं समझता हूं कि शायद ही कोई ऐसा मंत्री हो जो उसी स्तर पर काम कर रहा हो जितना वह पहले कर रहा था। यह बहुत अधिक है। परन्तु इस बात को ध्यान में रखना है कि हम मन्त्रियों से वह काम न करायें जो वर्तमान स्थिति में अति आवश्यक हो। लेकिन यह कहना कि मन्त्रालयों में कमी कर दी जाये कोई मायने नहीं रखता। यदि काम अधिक है तो इसे कुशलता से किया जाना है। मुझे डर है कि बहुत अधिक कार्य करने के कारण हमारे कुछ पदाधिकारी बीमार न पड़ जायें। वे सचिवालय में काम कर रहे है। उनमें से कुछ सुबह से रात को बहुत अधिक समय तक काम करते हैं। यह पांच छः अथवा सात घंटे प्रतिदिन नहीं है परन्तु बारह घंटे प्रतिदिन या इससे भी अधिक है। परन्तु अनावश्यक कार्य, अनावश्यक व्यय आदि कम करने में मैं माननीय सदस्य से पूणतः सहमत हूं। मैं कुछ उदाहरण देता हूं। हमने अनुदेश जारी किये है कि युद्ध कार्य सेसम्बन्धित आवश्यक बैठकों और सम्मेलनों के अतिरिक्त बैठकें और सम्मेलन न किये जायें। दावतें, समारोह और सरकारी मनोरंजन न किये जायें। सरकारी कर्मचारियों को विदेश भेजने के प्रस्तावों की कड़ाई के साथ जांच की जाये। लोग भेजे जायेंगे परन्तु वे मुख्यतः प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध कार्य से सम्बन्धित होंगे। यदि आवश्यक न हों, तो दौरे न किये जायें। मन्त्रालय और विभाग जहां तक सम्भव हो बिजली की खपत में कमी करें। परिवहन सेवाओं का न्यूयनतम इस्तेमाल किया जाये। मन्त्रालय फालतू कर्मचारियों के बारे में बतायें ताकि उन्हें सुरक्षा कार्य में गति देने के लिये अन्यत्र लगाया जाये। विभिन्न प्रकार के कागज आदि की खपत में कमी करने के लिये भरसक प्रयत्न किये जाने चाहियें। और भी कई अनुदेश जारी किये गये हैं। मुख्य उद्देश्य यह है, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कि हम फालतू व्यय न करें और कड़ाई के साथ मितव्ययता करें।

एक बात और है। सभी केन्द्रीय मंत्रालयों को अनुदेश भेजे गये हैं कि वे कर्मचारियों पर व्यय में १० प्रतिशत की कटौती करें ताकि वर्ष १९६३–६४ के लिये कर्मचारियों पर आयव्ययक प्रस्ताव पहले वर्ष के लिये ऐसे व्यय के लिये किये गये आयव्ययक उपबन्ध का अधिक से अधिक ९० प्रतिशत हो। और भी कई कटौतियां की गई हैं।

श्री बागड़ी : अगर १० परसेन्ट स्टाफ घटाया जाये तो १० परसेन्ट मिनिस्टर्स भी घटाये जायें।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : कर्मचारियों पर व्यय का १० प्रतिशत कर्मचारियों पर नहीं । कर्मचारियों में भी कमी की जा रही है, जैसे कि अध्यक्ष महोदय लोक-सभा में कर्मचारियों में २० व्यक्तियों की कमी करने को सहमत हो गये हैं। उन्हें मुअतिल नहीं किया गया है। इन व्यक्तियों को केन्द्रीय पूल में भेजा गया है ताकि उनका अन्य प्रकार उपयोग किया जा सके। इसी प्रकार अन्य मंत्रालयों में व्यक्तियों को केन्द्रीय पूल में भेजा जा रहा है ताकि उनको विभिन्न प्रकार के नय युद्ध-कार्य आदि में लगाया जा सके। :

एक बात और महत्वपूर्ण है। एक माननीय सदस्य ने संशोधन रखा है जिसमें भारत सेवक समाज, साधु समाज, ललित कला अकादमी जैसे संगठनों को निलम्बित करने को कहा गया है। निलम्बन का कोई प्रश्न नहीं है ।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी) : निलम्बन नहीं परन्तु उनको दी जा रही सहायता बन्द करना ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का संशोधन भिन्न है। दूसरा संशोधन निलम्बन के बारे में है। गैर-सरकारी संगठनों के निलम्बन का कोई प्रश्न नहीं है। वास्तव में आज, युद्ध के प्रयत्न, युद्ध के परिणामों आदि के सम्बन्ध में हम चाहते हैं कि जितनी अधिक एच्छिक संस्थायें काम कर सकें, करें। भारत सेवक समाज जैसी संस्थायें अब पहले की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। यह कार्य किस्म और प्रकार पर निर्भर है। उदाहरणत: उनको ये काम सौंपे गये हैं: सैनिकों के परिवारों को सहायता, समाज के नैतिक स्तर को बनाये रखना; सुरक्षा की आवश्यकता के लिय निर्माण अभिकरण के रूप में सेवा करना, मूल्य-वृधि रोकने में सहायता करना। आपत-कालीन सेवायें करना; बचत को बढ़ावा देना आदि। ये सब युद्ध-प्रयत्न हैं।

जैसा कि सदन को याद होगा, राज्य समितियां बनाई गयी हैं। उनको नागरिक समितियां कहा जाता है। एक केन्द्रीय नागरिक समिति, जिसकी कई शाखायें हैं, महिला समितियां और अन्य समितियां बनाई गयी हैं। ये सब विशेषत: युद्ध में और उस के बाद के परिणामों की देखभाल के लिये बनायी गयी हैं। एक छोटी बात, जो बहुत महत्वपूर्ण समझी जाती है, यह है कि लोग बाग सीमा पर तैनात सैनिकों से, चाहे वे अनजाने हों, पत्र-व्यवहार करते रहे ताकि उन्हें यह पता लगे कि लोग उन में अभिरुचित हैं। इस से उनका उत्साह बढ़ता है। उन्हें प्रतिदिन यहां से खबर नहीं मिलती। इस प्रकार के व्यक्तिगत पत्र बहुत छोटी बात है। परन्तु इस में संगठन की जरूरत है। बड़ी संख्या में लोगों को अन्य लोगों से पत्र मिलने चाहियें ।

नैतिक स्तर बनाये रखने में अथवा युद्ध सम्बन्धी प्रयत्नों में अत्यावश्यक कार्य करने में यदि मितव्ययता मार्ग में बाधक होती है तो वह बुरी मितव्ययता है। हमें बड़ी मात्रा में धन खर्च करना है क्योंकि युद्ध में व्यय होता है। उसके लिये हमें बचत करनी चाहिये। परन्तु इस प्रकार बचत करना कि हमारे प्रयत्न ढीले पड़ जायें, स्पष्टत: खराब है। हम युद्ध पर एक करोड़ रुपये खर्च करते हैं। यदि उस एक करोड़ के प्रयत्न ५०,००० या एक लाख की बचत से कम हो जायें तो वह मितव्ययता ठीक नहीं है।

अब पंचवर्षीय योजनाओं आदि का प्रश्न है। कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि युद्ध चलाने में और योजनायें चलाने में विरोध है। स्पष्टत: यदि आप चाहें तो इन परिस्थितियों में योजना के कुछ भागों को इस समय स्थगित किया जा सकता है। परन्तु योजना का आवश्यक भाग क्या है? आवश्यक भाग कृषि उत्पादन भाग है, उद्योग भाग है, बिजली भाग है आदि। हर दृष्टिकोण से कृषि अधिक-

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरु]

तम महत्व की है । जब हम इतना खर्च कर रहें हैं, यदि कृषि कमजोर पड़ जाती है तो उसमें हमें सब से अधिक हानि होती है । अतः हमें हर सूरत में कृषि में अधिक उत्पादन करना ही होगा । उद्योग विलास की ओर अन्य वस्तुऐं बनाने वाले उद्योग नहीं परन्तु मूल उद्योगों का बड़ा महत्व है । यदि हम इस्पात कारखाना लगाते हैं तो इस्पात कारखाना चलाना है और यदि कोई बड़ा उद्योग/मशीन निर्माण उद्योग लगाते हैं, तो वह चलाना है । यु -काल में ऐसा ही होता है । हमें बिजली का उत्पादन बढ़ाना है क्योंकि यह बहुत आवश्यक है । केवल जल विद्युत् और तापीय बिजली ही नहीं बल्कि अणुशक्ति भी । मैं करोड़ों योजनाऐं गिना सकता हूं । योजना का मुख्य भाग युद्ध के लिये बहुत महत्वपूर्ण है । और इसी में अधिक धन व्यय होता है ।

जैसा सदन को ज्ञात है, सारे देश से हमें समर्थन प्राप्त हुआ है । उस समर्थन को एक निश्चित रूप देने के लिये हमें मार्गोपाय ढूंढ़ने हैं । हम सेना में भर्ती कर रहे हैं । राष्ट्रीय छात्र-सेना दल को बढ़ा रहे हैं । राष्ट्रीय छात्र-सेना, रायफल दल और होम गार्डों को बना रहे हैं और बढ़ा रहे हैं । जैसे ही विभिन्न सेवाओं के लिये हम अधिक भर्ती करेंगें उस पर अधिक धन व्यय होगा । अन्य सेवाओं का भी नागरिक सुरक्षा के लिये इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नर्सिग । ये सब अच्छी बातें हैं । मेरा यह मतलब नहीं है कि बम्बई जैसे शहर में बमबारी की अधिक संभावना है । यह अच्छी बात है कि नागरिक सुरक्षा के प्रयास किये जायें, अधिक संख्या में लोगों को प्रशिक्षित किया जाये और उन्हें अच्छी बातें जैसे आग बुझाना आदि सिखाया जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रशिक्षित व्यक्ति मिल सकें । परन्तु महत्वपूर्ण बात यह है कि वे राष्ट्रीय प्रयास में काम करें और इससे उन्हें सन्तोष हो और वे यह न कह सकें "मैं कुछ करना चाहता हूं परन्तु मेरे पास कुछ करने को नहीं है । ये सब कार्य गैर-सरकारी तौर पर होने चाहियें । सरकारी तौर पर उन्हें सहयोग दिया जा सकता है, उनका मार्ग दर्शन किया जा सकता है । और हमने कार्य के लियें नागरिक समितियां बनाई हैं । वे निस्सन्देह अपनी गतिविधियां बढ़ायेंगे ।

एक अन्य बात ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में है । जैसा मैंने कहा है, कृषि सर्वोच्च महत्व की वस्तु है । हमें सबको पता है कि कृषि से उत्पादन कैसे बढ़ाया जाये । कई तरीके हैं : जैसे उपयुक्त नहरें बनाना, उचित सिंचाई, उर्वरक, बांध आदि, कई तरीके हैं जिनमें विदेशी मुद्रा की जरूरत नहीं है बल्कि कुछ स्थानीय व्यय करना पड़ता है ।

मैं यह सुझाव देता हूं कि राज्य सरकार और जहां संभव हो, केन्द्रीय सरकार कुछ उद्देश्य प्राप्ति के लिये, जैसे छः महीने में पानी की नालियां आदि बनाने के बारे में, कुछ नियम बनायें । यहां नहरें हैं, बड़ी नहरे हैं परन्तु पानी की छोटी नालियां नहीं हैं । प्राचीन समय में बड़ी जमींदार और मालिक पानी की नालियां बनवाते थे । फिर उन्होंने यह काम करना बन्द कर दिया अब यह सब सरकार को करना पड़ता है । हमने हिसाब लागाया और मुझे पता नहीं है । कितने हजार मील लम्बी मील लम्बी पानी की नालिया बनाई जायेंगी और उन पर कितना धन व्यय होगा । तथापि, यदि स्थानीय ग्रामीण जनता यह काम करे, तो वह जल्दी करेंगें और यह देश भर में सीमित समय में पूरा हो जायगा । परन्तु उस में संगठन की आवश्यकता है । और इसका कोई कारण नहीं है कि इस समय लोगों को ऐसा काम करने के लिये क्यों न उकसाया जाये जो उन के लिये और देश के लिये अच्छा है । वे अगले छः महीनों में अपने अपने गांवों में य पानी की नालियां खोदें । नये तालाब अथवा कुएं खोदें । वहां बन्ध बनायें और अन्य कार्य करें । यह आसान बात है । वे युद्ध-प्रयासों से सम्बन्धित हों और सोचें कि 'हां, हम युद्ध के लिये कुछ काम कर रहे हैं ।' इस प्रकार कृषि बढ़ाने के आवश्यक बहुत बड़ा काम हो सकता है । उद्योगों में भी

इस प्रकार का संगठन किया जा सकता है। परन्तु छोटे उद्योगों आदि में कई प्रकार से उत्पादन बढ़ाने के लिये और अन्ततः युद्ध-प्रयत्न बढ़ाने के लिये कार्य किया जा सकता है।

अतः इस समस्या का यह समाधान है। माननीय सदस्य ने जो प्रस्ताव रखा है, मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता क्योंकि सिद्धान्ततः ठीक नहीं है। यह तो तदर्थ बातों के लिये है जैसे मंत्रियों की संख्या घटा कर आधी कर दी जाये अथवा आप कह सकते हैं कि संसद् के सभी सदस्य पांच फुट लम्बे हों और उन के सिर बढ़ा दिये जायें अथवा काट दिये जायें। परन्तु मैं सामान्य सिद्धान्त से सहमत हूं कि हर प्रकार मितव्ययता की जाये। इसकी कसौटी सदैव युद्ध प्रयत्नों में कुशलता होनी चाहिये। मुझे विश्वास है कि प्रस्तावक महोदय इस चर्चा के बाद अपना संकल्प वापस ले लेंगे क्योंकि मूलतः हम इससे सहमत हैं।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। प्रधान मंत्री जी ने उन बातों के बारे में बताया जिन में सरकार मितव्ययता कर रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन छोटी छोटी बातों से कितनी बचत होगी। मैं समझता हूं कि सरकार को देश के भीतर किये जाने वाले अधिक व्यय का पता नहीं है। यह केवल विदेशी मुद्रा की बात नहीं है परन्तु देश के भीतर व्यय का प्रश्न है। यदि प्रति १ लाख रुपये की बचत नहीं होती तो उस से सरकारी खजाने पर भार पड़ेगा। अतः भारी परिवर्तन करने पड़ेंगे।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यह स्पष्ट है कि इन चीजों से बहुत अधिक बचत नहीं होगी परन्तु ये छोटी बचतें उस में सहायक होंगी। उस के अतिरिक्त उद्देश्य यह है कि लोगों में मितव्ययता और बचत की भावना पैदा हों। कागज जैसे कुछ मामलों में, यह बचत बहुत मायने रखेगी क्योंकि कागज का संभरण कम है।

†**श्री त्यागी** : क्या प्रधान मंत्री जी पुनः स्थिति का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अधिक मितव्ययता की जा सकती है बचत की जा सकती है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। परन्तु युद्ध में काफी व्यय होता है। माननीय सदस्य ने १ अरब रुपये का उल्लेख किया। यह बहुत कम है। रुपया तो बहुत अधिक व्यय होगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान वित्त उपमंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा था कि मद्य-निषेध समाप्त करने का प्रश्न वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री के विचाराधीन है। क्या इस पर अब विचार किया जा रहा है ? मैं यह नहीं जानना चाहता कि क्या इसको समाप्त किया जायेगा। मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या इस पर विचार किया जा रहा है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिस पर विचार न किया जा सकता हो परन्तु यह प्रश्न मेरे सामने नहीं आया है।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या प्रधान मंत्री जी युद्ध सम्बन्धी व्यय की जांच करने और सरकार की नीति के अनुसार किये जा सकने वाली मितव्ययता के बारे में रिपोर्ट देने के लिये एक समिति नियुक्त करेंगे ? सरकार के प्रवक्ता ने भी एक अन्य दिन कहा था कि इस पर विचार किया जायगा।

†**श्री उ० म० त्रिवेदी** (मन्दसौर) : यदि केन्द्रीय सरकार के बजट को १९४१ से देखें तो पता चलता है कि व्यय में बहुत वृद्धि हो गई है। १९४१ में केन्द्रीय सरकार का खर्च १२० करोड़ रुपये था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री उ० म० त्रिवेदी]

विभाजन के बाद यह लगभग ३२० करोड़ रुपये हो गया और अब उसका भी दुगना है। हमें खर्च में कटौती करनी चाहिये। यद्यपि मंत्रिमंडल को छोटा करने से खर्च में अधिक कटौती नहीं होगी, परन्तु हम यहां भी कटौती आरम्भ कर सकते हैं। ५९ मंत्रियों का रखना अनवावश्यक है।

संविधान के अनुसार संसद को विघटित नहीं किया जा सकता। इसके द्वारा कार्य किया जाना आवश्यक है। यहां तक राज्यों में द्वितीय सदनों का सम्बन्ध है आपात में उन्हें हटाया जा सकता है।

अतः इस संकल्प को स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसी सारे सदन की इच्छा मालूम पड़ती है।

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी इस विषय पर प्रधान मंत्री महोदय ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं उनकी भावना का मैं समर्थन करता हूं लेकिन एक बात मैं प्रधान मंत्री जी से अवश्य कहना चाहूंगा कि यह भारत सेवक समाज पर सरकार का कितना पैसा खर्च हुआ है और जहां तक उसके रिटर्न का सवाल है किसी भी जिले या ग्राम को देखने से आपको पता चल जायेगा कि जो सरकार ने भारत सेवक समाज पर पैसा खर्च किया है उस का कोई खास फायदा नहीं निकला है और जो रिटर्न मिलना चाहिए था वह नहीं मिला है। अब यूं तो बहुत से समाज बनाये जा सकते हैं, भारत सेवक समाज है, भारत युवक समाज है और भारत साधु समाज आदि हैं लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि जो पैसा सरकार इन संस्थाओं पर खर्च करती है उसका क्या रिटर्न मिलता है? प्रधान मंत्री जी की भावना के साथ मैं पूरी तरह हूं लेकिन प्रधान मंत्री महोदय और सरकार को इसकी विशेष सावधानी बर्तनी चाहिए और आवश्यक निगरानी रखनी चाहिए और जैसा कि गांधी जी का खयाल था कि जितना पैसा हम ख़र्च करें, वह ठीक ठीक ख़र्च हो, और उसका सदुपयोग हो, यह देखा जाय कि सरकार के किसी भी क्षेत्र में अनावश्यक खर्च न हो और अपव्यय न हो। मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि भारत सेवक समाज के ऊपर निरर्थक पैसा खर्च हुआ है और अभी भी हो रहा है।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि सब को एक साथ बराबर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि काम का खयाल रखते हुए आज के १८ कैबिनेट मिनिस्टरों के बजाय १२ कैबिनेट मिनिस्टरों में यह काम बांटा जा सकता है। यह ज़रूर है कि बहुत से मिनिस्टर्स सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं लेकिन मेरा अपना यह ख़याल है कि अगर तमाम मिनिस्टर्स वाक़ई सुबह से शाम तक डट कर काम करें तो १८ मिनिस्टर्स के बजाय १२ मिनिस्टर्स से काम चल सकता है। यह मेरा अपना निजी ख़याल और अन्दाजा है लेकिन आपको अधिकार है कि अगर आप ऐसा मानते हों कि वर्तमान संख्या रखने से ही एफिशिएंसी रह सकती है तो इसी तरीके से एफिशिएंसी को रखिये। वैसे मेरा अपना निजी ख़याल है कि जो सरकार का ख़र्चा है उस ख़र्चे को कम किया जा सकता है।

इतिहास हमें बतलाता है कि जिस समय महाराणा प्रताप स्वतन्त्रता की रक्षा के हेतु लड़ रहे थे तो उन्होंने अपने मुल्क को बचाने के लिए विचाली पर सो सो कर रातें गुजारी थीं। हर प्रकार का ऐशोआराम उन्होंने छोड़ दिया था। आज राष्ट्र के ऊपर संकट छाया हुआ है और यह समय का तकाज़ा है कि आज जितनी हम तनख्वाह लेते हैं उन में और दूसरी एमैनेटीज़ और फैसेलिटीज़ में हम कटौती करें और देश की जनता का इस बारे में मार्ग प्रदर्शन करें। जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री महा-

दय ने बतलाया है कि आज मातृभूमि की सेवा और रक्षा के लिए सुदूर गांवों में जनता में उत्साह और लगन है, ऐसे समय यदि हम अपनी तनख्वाहों, एमैनिटीज़ और दूसरी फैसेलिटीज़ में कमी करेंगे तो देश की जनता पर उसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात मैं बतलाना चाहता हूं कि अंग्रेज जब हिन्दुस्तान में राज्य करते थे और हालांकि वह ठंडे मुल्क के आदमी थे तो भी उस ज़माने में ऐयरकंडीशनर्स नहीं होते थे लेकिन अब तो जिधर देखो उधर ऐयरकंडीशनर्स लगे हैं । रेलगाड़ी में ऐयरकंडीशनर्स लगे हैं, मोटरकार में ऐयरकंडीशन्स लगे और बंगलों आदि में ऐयरकंडीशनर्स लगे दिखाई देते हैं । आज हालत यह बन रही है कि बगैर ऐयरकंडीशनर के हमारा काम ही नहीं चल सकता । २०० वर्ष तक अंग्रेज यहां रहे उन्होंने शासन किया लेकिन उन्हें इन ऐयरकंडीशनर्स की ज़रूरत नहीं पड़ी लेकिन उनके जाने के बाद हमारे लोगों की कुछ ऐसी आदत पड़ गई कि उसके बगैर काम हो नहीं चलता है । गरमी के दिनों में लोग आम तौर पर सड़कों पर ऐसे ही घूमा करते हैं लेकिन हमारे बड़े लोगों और अफ़सरान को अपनी आलीशान कोठियों और दफ्तरों में बैठे हुए भी ऐयरकंडीशनर्स की ज़रूरत महसूस होते है । यह खेद का विषय कि हम लोग इतने आरामतलब बन गये है कि बेकार पैसा खर्च करते है । मेरा अपना पक्का विश्वास है कि बगैर एफिशिएंसी में कमी लाये हुए सरकार के मौजूदा सरकारी ख़र्चे में काफी कमी की जा सकती है ।

देश की सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी १०० करोड़ रुपये का बजट रक्खा है । मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि १४२ करोड़ रुपया बतौर टैक्स के वसूल होना बाकी है । फ़ाइनेंस मिनिस्टरी का इतना बड़ा स्टाफ़ है । क्या कभी यह पूछा गया कि हमरा वह स्टाफ क्या करता है और यह इतना रुपया वसूल होने को कैसे बाकी पड़ा है ? आज इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि यह देखा जाये कि सरकार की यह भारी मशीनरी कहीं बेकार तो नहीं है और आया उसके कर्मचारी पूरी तरह ईमानदारी से काम करते है या नहीं । जिस तरह से किसी के खेत में यदि दस मज़दूर काम करते ह तो खेत का मालिक उन के सिर पर डटा रहता है कि मज़दूर ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं और तब जाकर उनको १ रुपया या सवा रुपया मजदूरी देता है, वही सावधानी सरकारी कर्मचारियों की बाबत बर्तनी चाहिए और जहां भी संभव हो बगैर एफिशिएंसी को कम किये स्टाफ़ में कटौती की जाय ।

दस अरब रुपये का हमारा सेंटर का बजट है । इसके अलावा जो हमारा प्लानिंग में खर्च होता है उसमें हमारा बहुत पैसा बेकार जाता है । इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी इसके ऊपर कड़ी निगाह रक्खें । यह लड़ाई का ज़माना है । जीवन मरण का सवाल हमारे सामने है । हमको सूखी रोटी खाकर अपने मुल्क को बचाना है औरप्उसी भावना से प्रेरित होकर मैंने अपना यह अमेंडमेंट रखा है । जहां मैं चाहता हूं कि सरकार के सभी क्षेत्रों में मितव्ययता बर्ती जाय और अनावश्यक खर्च में कमी की जाय वहां मैं यह जरूर चाहूंगा कि इसके करने में हमारी एफिशिएंसी नष्ट न होनी चाहिए । मेरा अपना विश्वास है कि बगैर एफिशिएंसी में कमी किये इस बात की काफी गुंजाइश है कि हम अपने भारी खर्चे में कमी कर सकें ।

†**श्री विद्याचरण शुक्ल** (महासमन्द) : मितोपयोग इस समय की परम आवश्यकता है, परन्तु राजधानी में इसका सर्वथा अभाव है । अन्य शहरों ने राजधानी से इस सम्बन्ध में सीखना है ।

हम मितव्ययता की बातें तो करते रहते हैं उन पर चलते नहीं । हम हर रोज इतने प्रश्न पूछते हैं । इन पर काफी खर्च होता है । केवल महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछे जाने चाहिएं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

यदि करों तथा अन्य देय राशियों के भुगतान के रोक आदशों को निलम्बित करने के लिये एक विधयक पारित किया जाय तो हमें लगभग ४०० करोड़ रुपये की राशि मिल सकती है जिसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के लिये काम में लाया जा सकता है।

[श्री मूलचन्द दुबे पीठासीन हुए]

सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों को भत्ता मिलता है। ५०० रुपये तथा उस से अधिक वेतन पाने वालों को अपने वतन के १० से २५ प्रतिशत मूल्य के प्रतिरक्षा 'बांड' खरीदने के लिये कहा जाना चाहिये। औद्योगिक संस्थापन से अपनी सकल प्राप्ति का कम से कम ५ प्रतिशत देने के लिय कहा जाना चाहिये।

राजे और महाराजे इस समय देश की सहायता में सहयोग दे सकते है उन को निजी थैलियां देने पर सरकार का ४ करोड़ रूपया खर्च होता है। निजी थैलियों में कमी की जानी चाहिये अथवा आपातकाल में उन्हें बन्द कर देना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

केवल नाम मात्र के लिये ही मितव्ययता नहीं होनी चाहिये। सरकारी खर्च में मितव्ययता का अर्थ है कि सरकार को निश्चय ही इस बात का पता है कि लोग कितनी कुर्बानी कर रहे हैं। केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या कम की जानी चाहिये। इस से राज्यों की भी प्रेरणा मिलेगी।

श्री ह० च० सौय (सिंहभूम): अध्यक्ष महोदय, इस रेजोल्यूशन के बारे में माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि वे यह मानते हैं कि एकानमी होनी चाहिये। मगर उन के जवाब से यह पता नहीं चला कि उन का जो ख्याल है कि एकानमी होनी चाहिये, उस के वास्ते वे वास्तविक कदम, ठोस कदम, क्या उठाना चाहते हैं। अपने उत्तर में उन्होने जो इशारा किया वह बिल्कुल नाकाफी है। जब हम जानते हैं कि देश के अन्दर गरीब से गरीब लोग, मजदूर और कारखानों में काम करने वाले लोग अपनी आमदनी में से देना चाहते हैं, और दे भी रहे है, तो यह बिल्कुल जरूरी है कि हम सचमुच एक कमेटी नियुक्त करें जो कि यह बतलाये कि एकानमी में ड्रास्टिक कट क्या हो।

हम को मालूम है कि जब मिनिस्ट्री का फार्मेशन वगैरह होता है तो किसी खास ग्रुप को खुश करने के लिये, किसी खास इलाके को खुश करने के लिये मिनिस्टर्स बनाये जाते हैं और मिनिस्ट्री को बहुत बड़ा बनाया जाता है। यह बात नहीं है कि हम इस को समझते नहीं हैं। यहां पर मैं इस को जरूर नहीं समझता कि मैं सेंटर की ही बात करूं, राज्यों में भी ऐसा ही होता है।इस इमर्जेंसी का मुकाबिला करने के लिये हमारे देश के विभिन्न दलों के लोग और विभिन्न विचारधाराओं के लोग एक संगठन में आ गये है। इस लिये मैं समझता हूं कि इस में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये अगर हम उन मिनिस्ट्रीज में, जो कि ग्रुप के लोगों को ले कर बनाई गई हैं, कुछ कट करें। उनमें जरूर कट किया जाना चाहिये।

यहां पर मैं यह चीज भी कहना चाहता हूं कि जो ऊंची सेलरी पाने वाले लोग हैं, जैसे कि मिनिस्टर्स हैं, ऊंचे आफिसर्स है या पार्लियामेंट के मेम्बर्स है, उन के लिये कोई ऐसी योजना होनी चाहिये कि उन के वेतनों में से १० परसेंट से लेकर २५ परसेंट तक, जो भी सरकार निश्चित करे, कट किया जाय। हम जानते हैं कि हमारा मिलिटरी एक्स्पेंडीचर काफी बड़ा होगा, और होना चाहिये, हम यह भी जानते हैं कि जिस चीनी हमले का मुकाबिला हम कर रहे हैं वे सालाना मिलिट्री खर्चा १५०० या १६०० करोड़ रुपये है। जब हम इतने बड़े हमले का मुकाबिला कर रहे हैं तो उसके लिये उसी पैमाने में हमारा

इन्तजाम भी होना चाहिये। इस बारे में हम को बुनियादी तरीके से सोचना होगा कि हम कितना कट करें।

हम देख रहे हैं कि कई स्टेटों में माल गुजारी २५ परसेंट तक बढ़ाई जा रही है। इस खर्चे को पूरा करने के लिये हम गरीबों के ऊपर तो लगान बढ़ा रहे हैं तो हमको अपनी तरफ भी देखना चाहिये। हम जब भी ऊंची आमदनी के लोगों की बात सोचने लगते हैं तो उसी पुराने रवैये से सोचते हैं। जब हम यह मान रहे हैं कि कट होना चाहिये तो इस बारे में भी ठोस कदम उठाये जाने चाहिये। इस में हिचक और बहाने क्यों ?

अध्यक्ष महोदय : क्या स्पीच पर भी कट लगाया जाय ?

श्री ह० च० सौय : जी हां, उस पर भी कट होना चाहिये।

यह एक ऐसी चीज है जो कि सारे देश से यह मांग कर रही है कि हम को सैक्रिफाइस करनी चाहिये। जब ऐसी बात है तो कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिये कि वह अपनी मिनिस्ट्री में से कुछ लोगों को घटाये, खास तौर से पार्लियामेंट सेक्रेट्रियों में और दूसरी जगहों में ताकि और लोगों और राज्य सरकारों को रास्ता दिखलाये।

इस लिये मैं इस रेजोल्यूशन का तहे दिल से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह जरूर स्वीकार किया जाना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक संशोधन उपस्थित किया है। जहां इस संकल्प की आत्मा का सम्बन्ध है, उस का तो चारों तरफ से समर्थन होगा लेकिन उस की काया डिफेक्टिव है। इसी लिये आप देखेंगे कि जब प्रथम वर्ल्ड वार हुई तो जितने भी आदमी उस समय इंगलैंड के मंत्रिमण्डल में थे, उन से कुछ ज्यादा लिये गये थे। इसी तरह से जब सैकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुई, तो जितने आदमी वहा के मंत्रिमंडल मैं थे उ। से उस की तादाद ज्यादा की गई। भारत मैं कौंसिल आफ मिनिस्टर्स की साइज में कमी नही हुई, वह उतनी ही है। लेकिन आज के संकल्प का मूल उद्देश्य यह मालूम होता है कि एकानमी होनी चाहिये। इस के लिये मैं एक सुझाव रखना चाहता हूं कि यहां पर जो कौंसिल आफ मिनिस्टर्स है वह लोगों के सामन एक आदर्श रक्खे और वह आदर्श यह रक्खे कि उस के सभी लोग अपनी सैलरी में से २५ परसेंट डिफेंस फंड में दे दें। इस से कौंसिल आफ मिनिस्टर्स का साइज तो वही रहेगा लेकिन एक्पेंडिचर में २५ परसेंट का रिडक्शन हो जायगा। यह तो मेरा एक सुझाव है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : यह तो बड़ी बिना तकलीफ की कमी है।

†**श्री हरि विष्णु कामत :** बिना तकलीफ की शल्य चिकित्सा।

श्री रघुनाथ सिंह : इस तरह से जहां तक एकानमी का सम्बन्ध है, वह एकानमी पूर्ण हो जाती है।

जहां तक काम करने का सम्बन्ध है, मेरा दूसरा संशोधन यह है कि सिम्पल हैबिट्स से ही काम नहीं होगा, बल्कि आफिस के वर्किंग आवर्स में भी थोड़ा इन्क्रीज होना चाहिये। हमार मिनिस्टर साहबान भी तो चार घंटे ज्यादा काम करें और आफिस में लोग एक दो घंटे ज्यादा काम करें तो एफिशिएन्सी भी ज्यादा होगी और काम भी ज्यादा होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन के साथ इस संकल्प का समर्थन करता हूं ।

डा० गोविंद दास (जबलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हार्दिक समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

एक माननीय सदस्य : विधेयक नहीं संकल्प ।

डा० गोविन्द दास : जब मैं इस का समर्थन करता हूं तो सन् १९२० से लेकर सन् १९४७ के हमारे स्वातन्त्र्य युद्ध के न जाने कितने दृश्य मेरी नजर के सामने घूम जाते हैं। आज उसी स्वतन्त्रता पर प्रहार फिर से हुआ है । लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि चाहे फिलहाल हम को बड़ी भारी आपत्ति दिखती हो, लेकिन वह समय बहुत दूर नहीं है जब हमारा जो मन्तव्य है उस में हम सफल हो कर रहेंगे ।

अगर एक दल के लोगों को छोड़ दिया जाय तो इस दश के सारे व्यक्तियों ने और सारे दलों ने हमारा समर्थन किया । साम्यवादी दल के उपनेता श्री हीरन मुकर्जी ने भी ८ तारीख को जो प्रस्ताव रखा गया था उस का समर्थन किया था । उस के बाद उन्होंने जब पंडित जी का वक्तव्य हुआ दो दिन पहले जब उस का भी सर्थन किया, और कल भी उन्होंने इस के समर्थन में एक भाषण दिया । पंडित जी के वक्तव्य पर जो कुछ उन्होंने कहा था उस सम्बन्ध में मैंने आप से खास इजाजत ले कर उनको टोका था, और आप भी उस समय मेरे पर कुछ बिगड़ गये थे, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि श्री हीरे न मुखर्जी का ८ तारीख का भाषण और पंडित जी के वक्तव्य पर जो कुछ उन्होंने कहा. . . .

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं बिगड़ गया होता तो आज आप को क्यों वक्त देता ।

डा० गोविन्द दास : और कल जो उन्होंने भाषण दिया उन तीनों को किसी मनोवैज्ञानिक के आप सुपुर्द कर दें और वह देखे कि उनमें हृदय की बात कितनी है और शब्द कितने हैं—मैं एक छोटा सा नाटककार हूं इस कारण मुझे थोड़ा सा मनोविज्ञान का ज्ञान है—तो मरा विश्वास है कि वह मनोवैज्ञानिक आपके सामने इस बात को रखेगा कि स्वयं श्री हीरेन मुखर्जी यह नहीं जानते कि उनके हृदय में क्या है और वह कह क्या रहे हैं (**अन्तर्बाधायें**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका मतलब समझ लिया, लेकिन यहां यह एतराज हो रहा है । कि यह रिजोल्यूशन इकानमी पर है, मनोविज्ञान पर नहीं है ।

डा० गोविन्द दास : कल एक कांग्रेसी सदस्य श्रीमती सुभद्रा जोशी ने भी जो लोग गिरफ्तार किये गय हैं उस के सम्बन्ध में सरकार को आलोचना की । मैं साम्यवादी दल वालों से एक बात पूछना चाहता हूं कि जो कुछ वे यहां पर कर रहे हैं यदि वह वे रूस या चीन में करते होते तो क्या वे केवल गिरफ्तार ही होते या और कुछ होता । हम तो अहिंसा के अभी भी मानने वाले है। हम तो सब के मित्र हैं . . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं डा० साहब से बड़ी नम्रता से विनय करूंगा कि ने आज इस पर पांच पांच मिनट का समय दिया जा रहा है । अगर मैं उनको इस बात पर ही बोलने दूंगा तो. . .

डा० गोविन्द दास : मैं बार बार ये बातें आप के सामने इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आस्तीन के सांप से हम को बहुत आगाह रखने की आवश्यकता है....

श्री हरिविष्णु कामत (होशंगाबाद) : यह डिफेंस आफ इंडिया बिल पर बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप किस पर बोल रहे हैं ?

डा० गोविन्द दास : मैं डिफेंस आफ इंडिया बिल पर बोल रहा हूं। मैं तो यही समझ रहा था कि वही बिल चल रहा है और इसी लिए मैं ये सब बातें आपसे कह रहा था।

जो प्रस्ताव इस समय सदन के सामने है उसके सम्बन्ध में मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री हरि विष्णु कामत : मेरा अनुमान सही निकला।

डा० गोविन्द दास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जब डिफेंस आफ इंडिया बिल सदन के सामने आए तो मुझे अपनी इस अधूरी स्पीच को पूरा करने का समय दिया जाए।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, महिलाओं को भी बोलने का समय दिया जाए।

†**डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :** प्रधान मंत्री ने इस संकल्प के मतलब को नहीं समझा। उन्होंने युद्ध की कोशिशों में कार्यक्षमता पर बल दिया। कार्यक्षमता फजूलखर्ची से तो भी हो सकती है।

सरकार का मुफ़्तखोरों का बहुत बोझ है। उन्हें निकाल देना चाहिए। बहुत सी संस्थाओं और कार्यों को समाप्त किया जाए।

मंत्रिमण्डल को पुनः संगठित किया जाए। इसकी "साइज़" को कम किया जाये तथा विभागों को पुनः बांटा जाए।

संसद् सदस्यों की एक समिति नियुक्त की जाए जो युद्ध पर किए जाने वाले व्यय पर निगरानी रखे।

राज्यों के भी मंत्रिमण्डलों को पुनः संगठित किया जाए।

योजना लक्ष्यों पर पुनः विचार करने के लिए और प्राथमिकताओं का निर्धारण करने के लिये एक विशेष समिति नियुक्त की जाए। यदि यह सम्भव न हो तो योजना आयोग को ही यह काम करना चाहिए और सदन को इस सम्बन्ध में अवगत किया जाए।

बचत के लिए कड़े कदम उठाए जाने चाहिएं। ये मितव्ययता के लिए ही आवश्यक नहीं है परन्तु इस से देश में उदाहरण कायम होगा।

श्री बिशन चन्द्र सेठ (एटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में आप के सामने बहुत संक्षेप में निवेदन करूंगा। मुझे यह कहना है कि आज सारे देश में यह भावना है कि हमारी सरकार के पास हर प्रान्त में बहुत बड़ी मात्रा में मिनिस्टर्स हैं और उस के कारण खर्चा बहुत बढ़ रहा है। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री ने कहा कि मिनिस्टरों के घटा देने से हमारे काम की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी और वह घट जायेगी परन्तु एक जनतंत्री देश होने के नाते जब देश में इस प्रकार की भावना है कि मिनिस्टर्स की तादाद सैंटर और प्रान्तों में बहुत अधिक है तो उस भावना की रक्षा करने के लिए हमारे लिए यह बड़ा ज़रूरी है कि हम उतने ही मिनिस्टर्स रक्खें जितने ज़रूरी हों और जनता की भावना का आदर करते हुए हम मिनिस्टर्स की तादाद में कमी कर दें। अब मिनिस्टर्स की तादाद घटाने के बारे में जैसा कि प्रधान मंत्री ने

---

†मूल अंग्रेजी में

कहा कि अगर तादाद घटायेंगे तो काम की एफ़िशिएंसी कम हो जायगी तो मैं इसका यह उत्तर देना चाहता हूं कि जिस समय सन् १९४७ से पहले अंग्रेज़ों की सरकार थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्टरी में दस मिनिस्टर्स थे, पांच हिन्दू और पांच मुसलमान । मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाना चाहता लेकिन दस से भी काम चलता था जब कि आज ५० से काम चलाया जा रहा है और प्राविन्सेज़ में ४०–४० और ५०–५० मिनिस्टर्स रक्खे हुए हैं । मेरा कहना यह है कि अगर हम इन मिनिस्टर्स की तादाद में कटौती करेंगे तो उसका देशव्यापी असर पड़ेगा और सारी जनता में यह भावना आयेगी कि आज सरकार भी इस बात के लिए कटिबद्ध है कि खर्चे को घटाया जाये और मिनिस्टरों की तादाद घटाने का जनरल प्रभाव देश पर पड़ेगा और जनता भी अपने अपने क्षेत्र में खर्च कम करने की कोशिश करेगी ।

दूसरी बात मुझे यह निवेदन करनी है कि और भी अनेकों हमारे देश में इस प्रकार के खर्चे बढ़ रहे हैं जिन की कि बाबत हम लोग अख़बारों में पढ़ते हैं और मैं समझता हूं कि सभी उस से परिचित हैं । अब किसी मिनिस्टर की तनख्वाह अगर १००० रुपया है तो उन का दौरे का ख़र्चा २५०० या ३००० रुपये पड़ता है । मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं करता लेकिन प्रश्न केवल इतना है कि आज जिस तरह का कार्यक्रम हमारे देश के सामने है उसमें मिनिस्टरों का विशेष रूप से यह कर्तव्य हो जाता है कि वह इस बारे में जनता को लीड दें । अगर वे अपने आचरण, रहन सहन, भत्ते और दूसरे सरकारी ख़र्चों में कमी करते हैं और सरकारी धन का अपव्यय नहीं करते हैं और उसमें बचाव करके दिखलाते हैं तो सारे देश की जनता पर इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़गा । इसलिए मैं अपने मिनिस्टरों से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आज की स्थिति को देखते हुए उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वह देश के सामने मितव्ययता के सम्बन्ध में एक आदर्श रक्खें और यदि वह ऐसा कोई आदर्श देश की जनता के सामने रखते हैं तो उसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ेगा ।

एक सुझाव किसी मित्र ने अभी दिया और हमारे मित्र श्री रघुनाथ सिंह ने कहा मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि अगर राजकार्य आफिस का टाइम बढ़ा दिया जाय तो कोई नई बात नहीं होगी । जहां जहां भी जिस जिस मुल्क में वार हुई है उन्होंने अपन कर्मचारियों के काम करने का समय बढ़ाया है । यदि एक आदमी एक घंटा ज्यादा समय देता है तो उसका निजमें तो ज्यादा मूल्य नहीं लेकिन जब एक एक घंटा इस तरह से १ करोड़ या १० करोड़ आदमी रोजाना ज्यादा देंगे तो १० करोड़ घंटे कार्य नित्य हम को ज्यादा मिल जाया करेंगे । मैं इस सुझाव का हृदय से समर्थन करता हूं ।

अन्त में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री महोदय ने सदन में आकर जिस प्रकार से इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अपनी अमान्यता प्रकट की है, मैं उनकी इस भावना का समर्थन नहीं करता । इसका कारण यह है कि सरकारी ख़र्चे में कमी यह तमाम देश की मांग है । इस समय इमरजैंसी है और हमारा यह नैतिक कर्त्तव्य है कि देश की जनभावना का इस सदन द्वारा स्वागत किया जाय और प्रधान मंत्री जी देश की भावना का स्वागत करते हुए खर्चे में कमी कर के दिखलायें । बस इन्हीं शब्दों में साथ मैं इस प्रस्ताव का स्वागत करता हूं ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र की इन संकटकालीन घड़ियों का जब कभी इतिहास लिखा जायगा और उस इतिहास में लोक सभा का भी एक अध्याय होगा तो उस अध्याय में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी का नाम सोने के अक्षरों में लिखा जायगा कि उन विशेष

परिस्थितियों में इतना एक महत्वपूर्ण सुझाव उन्होंने संसद् के सम्मुख ही नहीं अपितु देश के सम्मुख भी उपस्थित किया । यह विचारधारा जो आज संसद् में पहली बार चर्चा का विषय बनी है .....

अध्यक्ष महोदय : जो यहां उन के हक़ में बोलेंगे उन का नाम चांदी के अक्षरों में लिखा जायगा ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : यह भी तो आप के अधिकार में होगा कि कौन सी स्याही से आप लिखवाते हैं ।

जहां तक मेरी जानकारी है सब से पहले ऐसा सुझाव पंजाब से आया । पंजाब में इस समय जितने भी मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने देश के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिस दिन यह निर्णय लिया जाना था उन के ऊपर कुछ इस प्रकार का दबाव पड़ा कि जहां पहले दिन यह समाचार आया कि पंजाब की कैबिनट छोटी होने जा रही है वहां उस दबाव के कारण यह हुआ कि दूसरे दिन ही अन्य प्रान्तों की जनता भी कहीं इस प्रकार का दबाव न डाले इसलिए उन्हें कहा गया पंजाब सरकार अपने आकार प्रकार में किसी प्रकार की कटौती न करे । परन्तु इस सम्बन्ध में अगर केन्द्र की सरकार कुछ आदर्श उपस्थित कर सके तो मैं समझता हूं कि पंजाब की सरकार का भी मार्ग खुलेगा और दूसरी प्रान्तीय सरकारों का मार्ग भी खुल सकता है ।

जहां तक वेतन और भत्तों का सम्बन्ध है मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि गृह-कार्य मंत्री श्री दातार इस समय सदन में उपस्थित हैं । इन्हें ध्यान होगा कि पिछले संसद् के अधिवेशन में मैंने सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था । सम् १९५९ और १९६० के सम्बन्ध में मैं ने यह पूछा था कि हमारे जो मंत्री हैं इन पर वेतन, कार और कोठी के भत्ते को छोड़कर जब यह घूमने के लिए जाते हैं तो एक वर्ष में किस किस मिनिस्टर पर कितना कितना भत्ता हुआ तो आप को जान कर आश्चर्य होगा और जो कि इस देश में और सदन में कैबिनेट में एसे भी मिनिस्टर्स थे जिनकी वर्ष में कुल मिला कर तनख्वाह तो २४ हजार थी लेकिन एक वर्ष में उनके घूमने का भत्ता कुल मिला कर ४८००० रुपये बैठता था । इस आधार पर जब मैंने यह पूछा कि १९५९–६० के आंकड़े तो आप ने दिये अब १९६०–६१ के आंकड़े भी दे दीजिये तो अध्यक्ष महोदय, आप को जान कर आश्चर्य होगा कि पिछले पांच अधिवेशनों से लगातार मैं इस प्रश्न को दे रहा हूं लेकिन गृह-कार्य मंत्री यह कह कर टाल देते हैं कि अभी सूचना एकत्रित की जा रही है, अभी आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं । मैं नहीं समझ पाया कि आख़िर इस प्रकार के तथ्यों को सरकार द्वारा क्यों छिपाया जाता है ? संभव है यह तथ्य जनता के सामने आने पर वह उस की चर्चा का विषय बना और लोगों के कान खड़े हों इस लिये अब उस प्रश्न को बराबर टाला जा रहा है और शायद यही कारण है कि इन्हीं भावनाओं की पृष्ठभूमि में श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी को अपना यह सुझाव भी उपस्थित करना पड़ा है कि सरकार को अपन ख़र्चों में मितव्ययता बर्तनी चाहिए ।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष जो औडीटर जनरल की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में एक पैरा दिया हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में एक मिनिस्टर पर कुल मिला कर साढ़े पांच हजार रुपया खर्च होता था लेकिन स्वतंत्र भारत में एक मिनिस्टर पर कुल मिला कर पौने छै हजार रुपये व्यय होते हैं । लेकिन किसी प्रकार से वह पैरा वहां से हटाया गया। फिर भी देश के एक जिम्मेदार पत्र ने उस पैराग्राफ़ को प्रकाशित कर दिया । अगर वह बात असत्य थी तो सरकार उस का खंडन करती । मैं समझता । कि जब इस

प्रकार की स्थितियां चल रही हैं ऐसे समय में अगर देश के सामने और संसद् के सामने भी यह उपयुक्त सुझाव उपस्थित किया जाता है तो उस सुझाव के पीछे बदनीयती नहीं समझी जानी चाहिए बल्कि संकटकालीन घड़ियों में इस प्रकार के सुझाव का स्वागत करना चाहिए ।

एक बात जिसको कि मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं वह यह है कि प्रधान मंत्री जी ने अभी अपने भाषण के दौरान यह कहा कि राज्य सभा के लोग यह कहते हैं कि लोक सभा बेकार है और लोक सभा के लोग कहते हैं कि राज्य सभा बेकार है मैं नहीं समझ पाया कि प्रधान मंत्री जी जैसे जिम्मेदार व्यक्ति ने यह सुझाव अपने भाषण में कैसे चर्चा का विषय बनाया ? सीधी सादी बात है कि जनतंत्र है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का स्वागत होना चाहिए चाहे उसका नाम आप राज्य सभा रख लीजिये या लोक सभा रख लीजिये । जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

एक बात जो मैंने बीच में प्रधान मंत्री जी को टोकते हुए कही, अच्छा होता प्रधान मंत्री जी उस समय उसका उत्तर दे देते । पहले भी मैंने इस चीज़ को चर्चा का विषय बनाया था कि भारतवर्ष के १६ राज्यों में ९ राज्य इस प्रकार के हैं जहां कि विधान सभायें हैं और विधान परिषदें भी हैं और ७ राज्य इस प्रकार के हैं जहां विधान सभाए तो हैं लेकिन विधान परिषदें नहीं हैं और उनमें राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे बड़े बड़े प्रान्त भी हैं । जब मध्य प्रदेश और राजस्थान का बिना कौंसिल के काम चल सकता है और असेम्बली ही सारी वहां की व्यवस्था को चला सकती है तो क्यों नहीं हमारी सरकार गम्भीरता से इस प्रकार का निर्णय लेती कि शेष ९ राज्यों में भी विधान परिषदें समाप्त की जायें । सरकार ऐसा न कर लोगों के दिमागों में भ्रम पैदा करती है । मैं समझता हूं कि सरकार इस पर गम्भीरता से निर्णय लेगी और संकटकालीन इन घड़ियों में कुछ आदर्श उपस्थित करेगी । धन्यवाद ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (हाता) : अभी श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में साहु पांच हजार रुपचा एक मिनिस्टर के ऊपर खर्च होता था तो वह साढ़े पांच हजार उनकी सैलरी थी । उनका टी० ए० नहीं बतलाया । वह सैलरी और टी० ए० साथ साथ न बताने से कन्फ्यूज़ हो गया है ।

श्री रामसेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री द्विवेदी ने जो प्रस्ताव रखा है, मैंने उसमें एक संशोधन प्रस्तुत किया है । उस संशोधन का तात्पर्य यह है कि मंत्री-मंडल में सात से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और उनके वेतन और भत्ते कुल मिला कर एक हज़ार रुपय से अधिक नहीं होने चाहिएं । मेरे संशोधन का दूसरा भाग यह है कि मंत्रियों के ठाट बाट पर जो खर्च होता है, उसको समाप्त किया जाय और देश में सादगी का ऐसा वातावरण तैयार किया जाये, जैसा कि गांधी जी के समय था । मेरे संशोधन के तीसरे भाग का तात्पर्य यह है कि भारत सेवक समाज, महिला मंडल योजना, भारत साधू समाज आदि सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं और अलग अलग राज्यों के पार्लियामेंट के मेम्बरों द्वारा बनाये गये अलग अलग संघों को जो ज़बर्दस्त रकमें केन्द्र और राज्यों से अनुदान के रूप में मिलती हैं, उनको बन्द किया जाये ।

जब हमारा यह सत्र आरम्भ हुआ, तो हमने संकट कालीन स्थिति की घोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव और प्रधान मंत्री के चीन के आक्रमण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार किया । उसके बाद डिफेंस आफ इंडिया बिल आया और आज यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा गया है । मैं समझता हूं कि ये सब प्रस्ताव और बिल एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए हैं । मेरा निवेदन है कि उनको अलग करना स्थिति की गम्भीरता को न मानने के समान होगा ।

जब मैं कहता हूं कि सात मंत्री रखे जायें, तो मेरा उद्देश्य यह है कि प्रधान मंत्री यानी विदेश मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और इसी तरह तीन मंत्री और हों, जो दूसरे सब विभागों को सम्भालें। हमारे राज्यों में भी बड़े बड़े मंत्री-मंडल हैं। उनके ज़िम्मे भी छोटे छोटे काम हैं, जिनको हमें उनके सुपुर्द कर देना चाहिए। मैं आपको इंगलैंड की मिसाल देता हूं कि वहां पर लड़ाई के वक्त पच्चीस मंत्रियों में से—और वे सब मंत्री-मंडल में नहीं थे—, बल्कि उनमें डिप्टी मिनिस्टर और दूसरे लोग भी थे—चार घटा दिये गये। हमारे देश में कुल मिला कर ५८, ५९ मंत्री हैं। अगर हम १९५२ की स्थिति से भी तुलना करें, तो हम देखते हैं कि उनकी संख्या दिन दुगुनी रात चौगुनी होती जा रही है। इससे देश के मनोबल पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लोग सोचते हैं कि हम से तो पैसा मांगा जाता है, हम से कहा जाता है कि भूखे रह कर मदद करो, टैक्स देकर मौजूदा संकट का मुकाबला करो, लेकिन मंत्री लोग इतने ठाट बाट से रह रहे हैं और उनको बहुत ज्यादा वेतन और भत्ते आदि दिये जा रहे हैं। इसलिये आज आवश्यकता इस बात की है कि आज हमको और सरकार को वर्तमान समय के अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए।

मैं आपके सामने ठाट-बाट के सिर्फ़ दो नमूने रखना चाहता हूं। हमारे पास आंकड़े हैं कि १९५८–५९, १९५९–६० और १९६०–६१ इन तीन सालों में तीन लाख रुपये सिर्फ़ प्रधान मंत्री के निवास स्थान की दरी को बदलने के लिए ख़र्च किये गये। क्या यह गांधी का देश है, क्या यह सादगी का देश है, जहां दरी बदलने के लिए तीन लाख रुपया ख़र्च किया जाय और फिर लोगों से सादगी की बात और गांधी जी की बात कही जाये? मैं समझता हूं कि जब इस तरह से गांधी जी का नाम लिया जाता है, तो इससे उनकी आत्मा को बड़ा क्लेश पहुंचता होगा।

जुलाई के महीने में प्रधान मंत्री को उत्तर प्रदेश में बुलाया गया था। मैं इस सम्बन्ध में प्रधान मंत्री को दोष नहीं देना चाहता, लेकिन वहां पर उस अवसर पर ५५ फाटक बनाए गए और हर फाटक पर ५०० रुपये ख़र्च किए गए। सहकारी विभाग के जो अफ़सर आये होंगे, उनका भत्ता और उनकी पल्टन का ख़र्च इसमें शामिल नहीं है। इस तरह ठाट-बाट पर फिजूलखर्ची की जा रही है। अगर इसको रोका न गया, तो हम देश में एक अच्छा वातावरण नहीं पैदा कर सकते।

कुछ सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को ग्रान्ट्स वगैरह दी जाती हैं। उदाहरण के लिये भारत सेवक समाज के कैम्प होते हैं। एक तो उनकी संख्या ज्यादा दिखाई जाती है और दूसरे वहां पर ख़र्च नहीं होता है, लेकिन खुराक वगैरह का नाम लेकर ग्रान्ट्स ली जाती हैं और पैसा खाया जाता है।

आज यह बहुत आवश्यक है कि देश में मितव्ययिता का वातावरण तैयार किया जाये। प्रधान मंत्री ने कहा कि अगर हम इन सुझावों पर अमल करेंगे, तो निपुणता कम हो जायगी। पिछले पन्द्रह सालों में इस ५८ की पल्टन ने जो काम किया है, जो निपुणता कायम की है, उसको हम देख रहे हैं। आज उद्घाटन, भाषण, कल्चरल प्रोग्राम और कल्चरल शोज़ आदि को बन्द करना पड़ेगा और हमको मेहनत से काम करना पड़ेगा। विलासिता के जिस वातावरण में आज तक हम रह रहे हैं, जिस ठाठ से मंत्री लोग रह रहे हैं, उससे हम देश की जनता का आह्वान नहीं कर सकते, उनको उत्साहित नहीं कर सकते। आज प्रशासन के हर क्षेत्र में मितव्ययिता बरती जाये। जहां तक लड़ाई का सम्बन्ध है, उस पर एक अरब, दो अरब, जो भी ख़र्च हो, वह किया जाये और उसके लिये चाहे टैक्स लगाये जायें। मितव्ययिता का जो अर्थ है, उस अर्थ में इस प्रस्ताव और संशोधन को लेना चाहिए।

श्रीमती लक्ष्मी बाई (विकाराबाद) : अध्यक्ष महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं। ख़र्च में बचत करने के बारे में बहनों से मश्विरा लेना बहुत ज़रूरी

है, क्योंकि वे इस बारे में बहुत कुछ जानती हैं। बचत के बारे में हर बहन से सुझाव लेना हमारे लिए बहुत अच्छा और लाभदायक है।

संकट के इस समय में बचत करने के लिये सब लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमारा शत्रु नादान और छोटा नहीं है और हमारा यह संघर्ष एक दो साल नहीं, बल्कि बहुत समय तक चलता रहेगा। इसलिये किसी जोश में आकर नहीं, बल्कि बहुत गम्भीरता से सोच विचार कर ख़र्च में बचत करनी चाहिए और बहुत हिम्मत और मेहनत से काम करना चाहिए। ज्यादा काम करना और कम ख़र्च करना, ये दोनों बातें साथ साथ चलनी चाहिए।

आपोज़ीशन के हमारे भाइयों ने कई बहुत अच्छे प्वाइंट्स हमारे सामने रखे हैं। रेज़ोल्यूशन के प्रस्तावक के दिल में देश के लिये बहुत श्रद्धा है और वह देश को बचाने की कोशिश में रहते हैं। इस रेज़ोल्यूशन को इस हाउस में रखने के लिए हम सब लोग उनको बधाई देते हैं। इस विषय में स्थिति यह है कि जो कुछ रोगी चाहता है, डाक्टर भी वही कह रहा है। माननीय सदस्य और हम सब एक ही बात कह रहे हैं और कोई भी इस रेज़ोल्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं है। कुछ लोग इस बारे में बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और एग्जेज़ेरेशन से काम ले रहे हैं, लेकिन हम को किसी को धक्का दहीं देना है, दर्द नहीं देना है। इस बारे में कम्पल्शन से काम नहीं लेना है, कोई कानून नहीं बनाना है। जहां तक बचत का प्रश्न है, इस वारे में कोई मतभेद नहीं है। सब चाहते हैं कि बचत होनी चाहिए।

मैं मिनिस्टर साहब और मैजारिटी पार्टी को यह सुझाव देना चाहती हूं कि अब तो हर काम में बचत करने की ज़रूरत है। आज बचत करना लाज़िमी है। आज इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है। अगर हम बचत न करें और दुश्मन के विरुद्ध लड़ाई में ख़र्च भी ज्यादा करें, तो इस स्थिति में दूसरे मुल्कों से सहायता मांगना हमें शोभा नहीं देता है। हमको दुश्मन और संसार को बताना है कि यहां के लोग मेहनती हैं, वे अपने खर्च में बचत करते हैं और कुर्बानी करके अपने देश की स्वतन्त्रता के लिए लड़ सकते हैं।

यह खुशी की बात है कि फ़िनांस मिनिस्टर साहब भी हाउस में आ गये हैं। वह बहुत बचत करते हैं, लेकिन मैं उनको कहना चाहती हूं कि एक एक मिनिस्ट्री में दो सौ, ढाई सौ, तीन सौ कमेटियां हैं। अंडर सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, सब बर्ख़ास्त करने चाहिए। यह अच्छा मौका है। इस वक्त कोई नाराज़ नहीं होगा। शान्ति के समय गाना गाओ, बजाओ, नाचो, खेलो, कुछ भी करो, लेकिन अब तो कमी करने का अच्छा मौका है, जिसके लिए हम कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं। मैं एक सुझाव देना चाहती हूं कि एक सरवे कमेटी बनाई जाये, जिसमें बहनों को भी लेना चाहिए, और वह कमेटी इस बात का सरवे करे कि किस डिपार्टमेंट के खर्च में क्या कमी करनी है, कितने लोग कम करने हैं। इसका मतलब यह नहीं हैं कि उन लोगों को सर्विस से निकाल दिया जाये, बल्कि उनको दूसरे काम में लगा दिया जाये। संकट के इस समय में सब लोगों को दुगुना चौगुना काम करना चाहिए। आज एडमिनिस्ट्रेशन पर जो ख़र्चा हो रहा है, उस में पच्चीस परसेंट कमी करनी चाहिए।

मैं यह भी सुझाव देना चाहती हूं कि आज से लेकर रिसेप्शन, सालाना जल्से और ओपनिंग सेरेमनीज़ वगैरह बन्द की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया, इस के लिये मैं आपकी आभारी हूं।

†**श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा** (खम्मम) : हमें जो प्रतिरक्षा की तैयारी करनी है उससे उत्पादन को हानि नहीं होनी चाहिए। जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने कहा यह लड़ाई लम्बी लड़ाई होगी और

†मूल अंग्रेजी में

इस पर ५०० से ६०० करोड़ या अधिक प्रति वर्ष खर्च करने पड़ेंगे। इसके लिए लोगों को सरकार की सहायता करनी चाहिए।

मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या कम नही होनी चाहिए। चूंकि काम बढ़ गया है, अतः अधिक मंत्रियों की आवश्यकता है।

मितव्ययता का आन्दोलन सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में चलाना चाहिए। चाय, खाद्यान्नों और बिजली इत्यादि कम खर्च करनी चाहिए।

†**श्री नरसिक्टा रेड्डी** (राजमपेट) : गरीब लोगों ने सरकार को धन इत्यादि देकर बहुत कुर्बानी की है। सरकार को मितव्ययता का रास्ता दिखाया गया है।

सरकार केन्द्र में और राज्यों में मंत्रियों की संख्या घटानी चाहिए। इस तरह से कार्यक्षमता बढ़ेगी। मैं सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी जी के संकल्प का समर्थन करती हूं।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** (फतेहपुर) : इस समय मितव्ययता की काफी आवश्यकता है।

माननीय प्रधान मंत्री जी ने कार्यक्षमता को संख्या के साथ क्यों जोड़ दिया है।

विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिए। श्री मनुभाई शाह ने कहा कि स्कूटर की कीमत १८०० रुपये से कम नहीं हो सकती परन्तु आर्थिक कार्य के मंत्री ने कहा कि कीमत १२०० रुपये तक आजानी चाहिए।

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : : मैं ने तो बिल्कुल नहीं कहा।

†**अध्यक्ष महोदय** : आर्थिक समन्वय मंत्री का जिक्र कर रहे हैं।

†**श्री गौरी शंकर कक्कड़** : विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिए। मंत्रियों पर ज़ाहिरा खर्च के अतिरिक्त अस्पष्ट रूप से भी काफी खर्च किया जाता है।

राज्य सभा और विधान परिषदों की कोई आवश्यकता नहीं है, उन पर ख़र्च नहीं करना चाहिए।

केन्द्रीय मंत्रियों की संख्या कम करके राज्य सरकारों के लिए पथप्रदर्शन करना चाहिए।

श्री मौर्य (अलीगढ़): अध्यक्ष महोदय, राष्ट्र रक्षा समिति का निर्माण हुआ, राष्ट्र रक्षा नागरिक समिति का निर्माण हुआ, राष्ट्र रक्षा के लिये धन संग्रह का आह्वान हुआ, खून दो, फौज में भरती हो जाओ, पुत्र दान दो, सोना दो, इन सबका आवाहन हुआ। इन संकट की घड़ियों में देश के कोने कोने से, जैसा अभी इसी सदन में आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने कहा, शहरों से ही नहीं बल्कि देश के गांव गांव से और दक्षिण के दूर–दूर के गांव–गांव में इस इस प्रकार की भावनाओं का अह्वान हुआ है। भारत माता के कण–कण में क्षण–क्षण में इस तरह की भावनायें उत्तेजित हुई। परन्तु वाह रे मिनिस्टर साहब क बंगले पर इसके लिए कुछ भी नज़र नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में बोलने का यह तरीका तो नहीं है।

श्री मौर्य : मेरे कहने का अर्थ यही है कि अगर आदरणीय मिनिस्टरों के बंगले पर जाया जाय तो उनमें से बहुत से ऐसे निकलेंगे जहां पर संकट की घड़ियों का आवाहन हो

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मौर्य]

रहा है, परन्तु बहुत से ऐसे बंगले भी मिलेंगे जहां पर अभी भी उनकी तमाम रोजाना की जिन्दगी में कोई रद्दो बदल नहीं हुई है। उनकी तन्ख्वाहें, उन के भत्ते, उनके ऊपर रोजाना खर्च होने वाला धन उसी तरह से कायम हैं। जब हम देश के गरीब इन्सानों से, जो कि मामूली इन्सान हैं और मुश्किल से एक या डेढ़ रुपया रोज कमाते हैं, धन की मांग करते हैं तो आखिर खुद हम भी तो दें, खुद भी तो आजादी का आवाहन करें, लेकिन इस तरह की भावनाओं का आह्वान वहां नहीं हुआ है।

प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एफिशिएंसी कहीं न कम हो जाय। एफिशिएन्सी को खत्म करने के लिये हम लोग यहां नहीं हैं, लेकिन अगर किसी मिनिस्टर या प्रधान मंत्री जी की तन्ख्वाह में कोई कमी हो जाती है तो उससे एफिशिएन्सी तो कोई कम नहीं हो जाती है। एफिशिएंसी से इस का कोई लगाव नहीं है। यहां पर तो सिर्फ यह है कि हम कुछ न कुछ दें और इस काम में अगुआ बनें। मैं इस बात को नहीं कहता कि व अपनी आधी तन्ख्वाह दे दें, जो कुछ भी दे सकते हैं वह उनको ज्यादा से ज्यादा तादाद में देना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : दिया है।

श्री मौर्य : उन्होंने यहां पर जो कुछ दिया है वह न देने के बराबर है।

एक माननीय सदस्य : आपने कितना दिया है?

श्री मौर्य : एमरजैंसी के समय तक १० फी सदी दिया है जो तनख्वाह मुझे मिलती है, हुजूरवाला।

अभी आज चीन की ओर से हमला हुआ, उससे हम लोगों की आंखें खुल जानी चाहियें। किसी भी क्षण, किसी भी ओर से देश पर हमला हो सकता है, और जब ऐसी अवस्था है तो हमको हर तरह की एकानमी, जो हो सकती है, उसे रोजाना की जिन्दगी में बरतनी चाहिये। अगर हम उसको नहीं बरतते हैं तो किसी वक्त देश की आजादी खतरे में पड़ सकती है।

इसके साथ मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। काश, यह प्रस्ताव, जो आदरणीय द्विवेदी जी ने इस सदन में रक्खा है और जो इस सदन के हृदय की बात है और इस आदरणीय सदन के सभी सदस्य जिसको चाहते हैं, कुछ मिनिस्टर्स को छोड़ कर, वह सरकार की ओर से आता। यह सरकार की ओर से आना चाहिये था। सरकार ने जो स्वयम् मिनिस्ट्री में पचास, साठ मिनिस्टरों को भरती कर रक्खा है, उसमें कमी हो जानी चाहिये थी। अगर आप यू० पी० में जायें तो पायें कि हर तीन एम० एल० ए० के पीछे एक मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सेक्रटरी है। वह तमाम के तमाम पोलिटिकल अपार्टमेंटस हैं। वहां कुछ पार्टियां हैं, कुछ दलबन्दियां हैं कांग्रेस के अन्दर, और उनको खुश करने के लिये वहां पर इन लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है। आज जब हमने दलबन्दियां छोड़ दी हैं, जब हम आदरणीय प्रधान मंत्री को अपना नेता मान कर, चल रहे हैं राष्ट्र की रक्षा के लिये, तो उन कांग्रेस वालों को भी अपनी दलबन्दियां छोड़ कर कहना चाहिये था कि हम आज यह कुर्बानी दे रहे हैं देश की रक्षा के लिये।

मैं प्राहिबिशन के ऊपर भी यहां कुछ कहना चाहता हूं इस सम्बन्ध में बजट पर बोलते हुए मने कहा था कि प्राहिबिशन को समाप्त कर दिया जाय। बार बार यहां पर इस सदन में कहा जाता है कि क्या आप प्राहिबिशन को समाप्त कर के और शराब पिला कर रुपया लेना

चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि शराब तो आज भी लोग पीते हैं। प्राहिबिशन रहते हुए वे और ज्यादा तादाद में पीते हैं और खराब शराब पीते हैं। प्राहिबिशन को समाप्त करने से लोग उसको कम पियेंगे।

मैं कहना चाहता हूं कि बैंक्स और इन्श्योरेन्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। नमक पर भी कुछ टैक्स लगाया जा सकता है, जिससे कि सरकार के पास पैसा आ सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं यही कहूंगा कि हमारी सरकार को इस संकल्प के पदचिन्हों पर चलते हुए स्वयम काम करना चाहिये जिससे कि आज की संकट की घड़ियों में हम उनको रहनुमा मान कर राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति से मांग कर सकें इस बात की।

मैं अपनी पूरी शक्ति से इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा): इस संकल्प का यह लक्ष्य था कि प्रजातन्त्र में भी हमें सैनिक अतिक्रमण अच्छी तरह से मकाबला करना चाहिए।

मुझे हर्ष है कि प्रधान मंत्री जी मूलतः संकल्प के लक्ष्यों से सहमत है। और उन्होंने कार्यक्षमता और मितव्ययता की आवश्यकता को मान लिया। वे इस तरह के संकल्प ो उन्हें कोई निर्णनय करने के लिए उनके हाथ बांध दे जो पसन्द नहीं करते। चूंकि वे इस संकल्प में मूलतः ससहमत हैं अतः मैं इस संकल्प को वापस लेने के लिए सदन की अनुमति चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम सेवक यादव के स्थानापन्न प्रस्ताव को छोड़ मैं शेष प्रस्तावों २,३, ४, ५, ७, और ८ को मतदान के लिए रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या २, ३, ४, ५, ७ और ८ तथा मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए

†**उपाध्यक्ष महोदय**: अब श्री रामसेवक यादव का स्थानापन्न प्रस्ताव संख्या ६ मतदान के लिये रखता हूं।

उपाध्यक्ष महादय द्वारा स्थाना पन्न प्रस्ताव संख्या ६ मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

†**उपाध्यक्ष महोदय**: क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने की अनुमति है?

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में संबन्ध

श्री यशपाल सिंह: (कैराना): अध्यक्ष महोदभ, मैं अपना प्रस्ताव पेश करता हूं जो कि इस प्रकार है:

इस सभा की यह राय है कि एलोपैथिक चिकित्सा के स्थान पर आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रचलित की जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री राम सेवक यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। अभी जब माननीय मंत्रियों के सम्बन्ध में प्रस्ताव था तब तो सब मंत्री बैठे थे। अब जब कि दूसरा प्रस्ताव सदन के सामने आया है तो वे उठ कर जा रहे हैं। क्या यह सदन का अपमान नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय : इसमें कोई प्वाइंट आफ आर्डर का सवाल नहीं है।

श्री यशपाल सिंह : मैंने अपना प्रस्ताव पेश कर दिया है। इससे पहले जो प्रस्ताव चल रहा था उसका सम्बन्ध तो केवल मंत्रियों की तनख्वाहों से था लेकिन अब जो मैंने सदन के सामने पेश किया है उसका सम्बन्ध देश की ४४ करोड़ जनता के जीवन के साथ है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इसके लिए कम से कम तीन घंटे का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अभी आप आगे चलें फिर देखा जाएगा।

श्री यशपाल सिंह : महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलते हुए

†**श्री दी० चं० शर्मा :** माननीय सदस्य आहिस्ता बोलें।

श्री यशपाल सिंह : हमारी स्वास्थ्य मंत्री जी महात्मा गांधी के साथ बहुत रही हैं, और महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन में यह व्रत किया था कि हम ऐलोपैथिक चिकित्सा को भारत से हटाएंगे। कई दफा गांधी जी ने यह कहा था कि जितनी ऐलोपैथिक दवाइयां हैं अगर उनको समन्दर में डाल दिया जाए तो मानव जाति तो बच जाएगी लेकिन यह नुकसान होगा कि मछलियां सब मर जाएंगी और समन्दर का पानी गन्दा हो जाएगा।

हम यह समझते थे कि अंग्रेज की गुलामी के साथ साथ यह ऐलोपैथिक चिकित्सा की गुलामी भी हमारे देख से पू दूर हो जाएगी, लेकिन दुर्भाग्य है कि १५ साल की आजादी के बाद भी यह ऐलोपैथिक की गुलामी दूर नहीं हुई है। अगर हम ऐलोपैथी को मानते और आज यह समझ लेते कि आगे कदम नहीं उठाना है तो हम ऐलोपैथि की गुलामी में रह जाते, लेकिन भारत की जनता ने, राष्ट्र की आत्मा ने इस बात का आहवान किया कि जब कि अंग्रज चले गए तो उनकी चिकित्सा भी चली जानी चाहिए। जिन किताबों को पढ़ कर लई कूने ने, जुष्ट ने, मैकफेडन ने और विंटरनिट्स ने समन्दर में फेंक दिया, उन्हीं किताबों के अनुसार आज ऐलोपैथी की चिकित्सा हम पर लादी जा रही है।

अगर हम आयुर्वेद के इस सिथान्त को मानते कि जितना खाना हम खाते हैं अगर इसका पांचवां हिस्सा खाएं तो हमारा काम चल सकता है, तो आज भारत का खाद्य का जो सबसे बड़ा मसला है वह हल हो जाता। यह खाद्य का मसला इसी लिए हल नहीं होता कि एलोपैथी हमको खाने के बारे में गलत तालीम देती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह माननीय सदस्य की राय है कि अगर आदमी अपने खाने का पांचवां हिस्सा खाए तब भी उन जैसी सेहत रह सकती है।

श्री यशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, जब मुझे एम० एल० ए० का इलेक्शन लड़ना था तो मैं २४ घंटे में एक वक्त खाना खाता था और अ जब मैं मैं एम० पी० का इलेक्शन लड़ता था तो मैं ८० घंटे में एक बार खाना खाता था। उससे भी ज्यादा बड़ा कोई काम करना हो तो मैं आठ दिन में एक दिन भोजन करूं। गीता में यह कहा गया है कि. :

---

†मूल अंग्रेजी में

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन : ।

रसवर्जं रसोप्यस्य एरं दृष्टवा निवर्तते ।।

कम खाने से मनुष्य के विकास खत्म हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद में कहा है :

लंघनम् परमौषधिम्

यानी सबसे बड़ी दवा यही है कि मनुष्य भूखा रहे ।

अध्यक्ष महोदय : मगर चालीस या पचास वर्ष तक खा लेने के बाद आदमी को यह पता लगता है और फिर वह कहता है कि कम खाना चाहिए।

श्री यशपाल सिंह : : श्रीमन्, मैंने शेर के शिकार में देखा है कि शेर सरदी के दिनों में बीस बीस दिन तक न तो एक घूंट खून पीता है और न एक लुकमा गोश्त खाता है लेकिन उसकी शक्ति ठीक रहती है। परमपिता परमेश्वर ने हमको जो ताकत दी है वह सारी ताकत हमारा भोजन हज्म करने में लग जाती है। इसीलिए हम जीवन संग्राम में सीधे खड़े नहीं रह सकते।

साइंस की जो आज लेटेस्ट रिसर्च हुई है उस ने यह साबित कर दिया है कि जितना अधिक आप खाते हो, उतना शीघ्र आप मरोगे जितना अधिक खाओगे उतनी जल्दी मर जाओगे। आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली में अगर हम लोग रहे होते तो १५ सालो में हम अपने पास इतना खाद्यान्न बचा सकते थे कि उस से दूसरे दो मुल्क और खुशहाल हो सकते थे।

अध्यक्ष महोदय : अब माननीय सदस्य अपना भाषण आयन्दा जारी रक्खें ।

श्री यशपाल सिंह : जैसी आपकी आज्ञा। मेरी प्रार्थना है कि इस पर दो, तीन घंटे का समय दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय :** सभा सोमवार १२ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

श्री राम सेवक यादव : १२ से ५ ?

†**अध्यक्ष महोदय :** १२ से ५ ।

†इस के पश्चात लोक सभा सोमवार २६ नवम्बर, १९६२ अग्रहायण ५,, १८८४ (शक) के १२ बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई :

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार २३ नवम्बर, १९६२]

(२ अग्रहायण १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या		
३४१	हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भोपाल	१३५७–५८
३४२	स्कटरों की कीमत	१३५९–६०
३४३	मोटर टायर बनाने का कारखाना	१३६१
३४४	ओखला औद्योगिक बस्तियां	१३६२–६३
३४५	सिंदरी फर्टिलाइजर्स	१३६३–६४
३४६	निर्यात	१३६४–६७
३४७	द्वितीय फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट	१३६७–६८
३४८	लाइसेंस जब्त करना	१३६८–६९
३४९	आयात किये गये इस्पात पर आर्थिक सहायता का भुगतान	१३७०
३५०	टेल्को द्वारा गाड़ियों का उत्पादन	१३७०
३५१	रूस को कपड़े का निर्यात	१३७०–७१
३५२	हावड़ा में आद्यरूप उत्पादन एवं प्रशिक्षण केन्द्र	१३७१–७२
३५३	त्रिपुरा में पटसन का मूल्य	१३७२–७४
३५४	लौह अयस्क	१३७४–७६
३५५	अलौह धातु उद्योग	१३७६–७७
३५६	लौह अयस्क का निर्यात	१३७७–७८
३५७	लीफ स्प्रिंग का निर्माण	१३७९
३५८	छोटे इस्पात कारखाने	१३८०–८१
३५९	रूरकेला इस्पात संयंत्र में उत्पादन	१३८१–८२
३६०	प्रतिरक्षा विभाग की ऊनी वस्तुओं सम्बन्धी आवश्यकतायें	१३८३–८४
३६१	जंजीबार के लौंग के व्यापारी	१३८४
३६३	निर्यात क्षेत्र	१३८५

विषय पृष्ठ

अल्प सूचना
प्रश्न संख्या

१ ऊनी कपड़ों की कीमतें . . . १३८५–८६

प्रश्नों क लिखित उतर

तारांकित
प्रश्न संख्या

३४० निर्यातकों के लिये ऋण सुविधायें . . १३८६
३६२ इस्पात उत्पादन लक्ष्य १३८७
३६४ नेपा मिल्स . . . १३८७
३६५ हैवी इलैक्ट्रिकल्स, भोपाल . . १३८८
३६६ तकुओं का आवंटन . . . १३८८
३६७ भारतीय उद्योगों में उत्पादन . . . १३८८–८९
३६८ थाना, बम्बई में कृत्रिम विटामिन 'ए' का कारखाना . . १३८९
३६९ इस्पात के निर्माण में प्रयुक्त कोयले का आयात . १३८९

अतारांकित
प्रश्न संख्या

७७२ चाय उत्पादकों को ऋण . . . १३९०
७७३ केरल का उद्योगीकरण १३९०
७७४ दिल्ली में खादी तथा ग्रामोद्योग भवन . . १३९०–९१
७७५ लोहा और इस्पात का आयात . . १३९१
७७६ राज्यों की लोहा और इस्पात संबंधी आवश्यकतायें . . १३९१
७७७ उड़ीसा में नमक उद्योग . १३९१
७७८ उड़ीसा का औद्योगिक विकास . . १३९१–९२
७७९ हीराकुड में सीमेंट कारखाना . १३९२
७८० केरल में औद्योगिक बस्ती . १३९२–९३
७८१ चाय बोर्ड योजना . . १३९३–९४
७८२ सूखा दूध १३९४
७८३ विधेयकों का हिन्दी अनुवाद १३९४–९५
७८४ धर्मार्थ न्यास १३९५
७८५ आसाम में चाय नीलाम बाजार १३९५

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	पृष्ठ
७८६	आयात व्यापार	१३९५–९६
७८७	कुटीर उद्योग	१३९६
७८८	पश्चिमी तट पर पोत वणिकों का संगठन	१३९६–९७
७८९	आलोह धातु उद्योग	१३९७
७९०	हरिद्वार के निकट हैवी इलैक्ट्रिकल्स फैक्टरी	१३९७–९८
७९१	हिन्दु धार्मिक धर्मस्व आयोग की रिपोर्ट	१३९८
७९२	अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में रबड़ संबंधी अग्रिम परियोजनायें	१३९८
७९३	व्यापार नीति	१३९९
७९४	रुस से डाक्टरी के उपकरण आदि	१३९९
७९५	रूस को केलों का निर्यात	१३९९
७९६	रुस की सहायता से औषधि संयंत्र लगाना	१४००
७९७	मून्दड़ा पक्रमों का प्रबन्ध	१४००–०१
७९८	भद्रावती आयरन वर्क्स के लिये टील राल्स	१४०१
७९९	क्रय-विक्रय प्रदर्शनियां	१४०१–०२
८००	इस्पात का आयात	१४०२
८०१	जैसप इंजीनियरिंग फर्में	१४०२–०३
८०२	लोहा और इस्पात समीकरण निधि द्वारा अधिभार	१४०३
८०३	मोटरगाड़ियों की बिक्री	१४०३
८०४	सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल एक्स्टेन्शन ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, हैदराबाद	१४०४
८०५	आन्ध्र प्रदेश में छोटे पैमाने के कारखाने	१४०४–०५
८०६	पटसन के डंठलों से अखबारी कागज	१४०५
८०७	त्रिपुरा के लिये इमारती सामान	१४०५–०६
८०८	पुनर्नवा का वियना को निर्यात	१४०६
८०९	मोटर के पुर्जों का आयात	१४०६–०७
८१०	गैर सरकारी क्षेत्र में सहायक एकक	१४०७
८११	औद्योगिक लाइसेंस	१४०७
८१२	कस्तूरी का निर्यात	१४०७–०८
८१३	हथकरघा डिजाइन केन्द्र	१४०८

विषय		पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या		
८१४	पाकिस्तान से कपास का आयात .	१४०८–०९
८१५	नागपुर के पास इस्पात कारखाना .	१४०९
८१६	पंजाब में खादी का उत्पादन .	१४०९
८१७	नंगल उर्वरक कारखाना . . .	१४०९–१०
८१८	चाय प्रयोगात्मक केन्द्र .	१४१०
८१९	चाय सम्बन्धी आंकड़े .	१४१०–११
८२०	चाय बोर्ड, प्रतिवेदन . .	१४११
८२१	निर्यात भवन . .	१४११
८२२	रूरकेला उप-नगर प्रशासन	१४१२
८२३	हैमिसिन का उत्पादन	१४१२
८२४	ब्रिटिश मूवीटोन न्यूज रील्स का आयात . . .	१४१२–१३
८२५	त्रिपुरा में खादी ग्रामोद्योग केन्द्र .	१४१३
८२६	त्रिपुरा में खादी ग्रामोद्योग	१४१३
८२७	जापान से मोटी प्लेटों की खरीद . .	१४१४
८२८	निर्यात करने वाले उद्योगों को लाइसेंस देना	१४१४
८२९	लंका के साथ व्यापारिक करार . . .	१४१४–१५
८३०	मलाया से रबड़ का आयात . .	१४१५
८३१	एल्यूमीनियम परियोजनाएं .	१४१५–१६
८३२	रूई का आयात . .	१४१६–१७
८३३	सूती और ऊनी कपड़ा मिलें .	१४१७
८३४	स्कूटर मीटरों की कीमत . .	१४१७
८३५	लोहे और इस्पात की आवश्यकता .	१४१७–१८
८३६	तेजाबी रंग और सल्फा औषधियां .	१४१८
८३७	नारियल जटा के तैयार सामान . .	१४१८–१९
८३८	हथकरघा उद्योग . .	१४१९
८३९	पंजाब की लोहे और इस्पात की आवश्यकता .	१४१९–२०
८४०	कांगड़ा में सीमेन्ट का कारखाना .	१४२०
८४१	अल्युमीनियम कन्डक्टर उद्योग . .	१४२०
८४२	प्रतिरक्षा आवश्यकताओं के लिये इस्पात . .	१४२०–२१

	विषय	पृष्ठ
	अतारांकित प्रश्न संख्या	
८४३	अलौह धातुएं	१४२१
८४४	'मोपेड' का निर्माण	१४२१–२२
८४५	मध्य प्रदेश में अल्युमीनियम संयत्र	१४२२
८४६	नये आविष्कार	१४२२
८४७	वनस्पति तेल का निर्यात	१४२३
८४८	साड़ियों की लम्बाई	१४२३
८४९	मैसूर राज्य में उद्योग	१४२३
८५०	रूरकेला स्टील वर्क्स में प्लेट मिल का बन्द होना	१४२४
८५१	मैसूर राज्य में सीमेन्ट की कमी	१४२४
८५२	विशाखापत्तनम में कच्चे लोहे का संयंत्र	१४२४–२५
८५३	जम्मू स्थित प्रादेशिक औषध अनुसंधान प्रयोगशाला	१५२५
८५४	आयात लाइसेंस	१४२५
८५५	भिलाई स्टील वर्क्स में होटल	१४२५–२६
८५६	बरेली में कृत्रिम रबड़ फैक्टरी	१४२६
८५७	स्टील एण्ड ऐलाउड प्राडक्ट्स लिमिटेड, कलकत्ता	१४२६
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	१४२६–२९

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) चीनी आक्रमण के सिलसिले में प्रचार के बारे में एक नोट ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(ए)क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल की वर्ष १९६०-६१ की वार्षिक रिपोर्ट लेखा-परीक्षित रेंखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

(३) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत दिनांक १३ नवम्बर, १९६२ को

अधिसूचना संख्या एस० ओ० ३४२५ में प्रकाशित ऊनी कपड़े (उत्पादन तथा वितरण नियंत्रण) आदेश, १९६२ ।

(दो) चाय बोर्ड की वर्ष १९६१-६१ की वार्षिक रिपोर्ट ।

(४) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी,—पूना की वर्ष १९६१-६२ की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त समिति के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(तीन) (क) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम, लिमिटेड, नई दिल्ली को वर्ष १९६१–६२ की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(ख) उपरोक्त निगम के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(चार) व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत व्यापार चिह्न रजिस्ट्री की ३१ मार्च, १९६२ को समाप्त होने वाले वर्ष के लिये वार्षिक रिपोर्ट ।

(पांच) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, १९५६ की धारा २४ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट ।

(५) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा १८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत उक्त एक्ट की दूसरी अनुसूची में कुछ संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८६ ।

(दो) दिनांक १० नवम्बर, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १४८७ ।

पृष्ट

(६) सरकारी बचत प्रमाणपत्र अधिनियम, १९५९ की धारा १२ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत डाक-घर बचत प्रमाणपत्र नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२२५।

(दो) दिनांक ११ नवम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १३५५।

(तीन) दिनांक २७ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या १०२।

राज्य सभा से सन्देश १४२९–३१

सचिव ने राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना दी कि राज्य सभा को लोक-सभा द्वारा २० नवम्बर, १९६२ को पास किये गये विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६२ के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . १४२९–३३

ग्यारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

(१) करारोपण विधियां (संशोधन) विधेयक

(२) बड़े पत्तन प्रन्यास विधेयक।

(३) संविधान (पन्द्रहवां संशोयधन) विधेयक।

(४) वस्त्र समिति विधेयक।

विधेयक विचाराधीन १४३३–४२

२१ नवम्बर, १९६२ को प्रस्तुत किये गये भारत की प्रतिरक्षा विधेयक, १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प-वापस लिया गया . . . १४४२–६५

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी ने आपात काल में मितव्ययता के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया। चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया

पृष्ठ

गैर सरकारी सदस्य का संकल्प विचारा धीन १४६५–६७

श्री यशपाल सिंह ने ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के स्थान पर आयुर्वदिक चिकित्सा पद्धति लाने के बारे में संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २६ नवम्बर, १९६२/५ अग्रहायण १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

भारत की प्रतिरक्षा विधेयक १९६२ पर अग्रेतर विचार और उसका पारित किया जाना ।

GMGIPND—LS III—2367 (A1)LSD—10-1-63—140

विषय सूची—जारी

	पृष्ठ
श्री नरसिम्हा रेड्डी	१४३९
श्री टे० सुब्रह्मण्यम्	१४४०
श्री यमुना प्रसाद मंडल	१४४०–४१
डा० मा० श्री० अणे	१४४१–४२
श्री मान सिंह पृ० पटेल	१४४२
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	१४४२
आपात काल में मितव्ययता के बारे म संकल्प	१४४२–६५
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	१४४२–४४
श्री जवाहरलाल नेहरू	१४४४–४९
श्री उ० मू० त्रिवेदी	१४४९–५०
श्री विभूति मिश्र	१४५०–५१
श्री विद्या चरण शुक्ल	१४५१–५२
श्री सरजू पाण्डेय	१४५२–५३
श्री स० मो० बनर्जी	१४५३
श्री शिवाजी राव शं० देशमुख	१४५३–५४
श्री ह० च० सौय	१४५४–५५
श्री रघुनाथ सिंह	१४५५–५६
डा० गोविन्द दास	१४५६–५७
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	१४५७
श्री बिशनचन्द्र सेठ	१४५७–५८
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	१४५८–६०
श्री राम सेवक यादव	१४६०–६१
श्रीमती लक्ष्मी बाई	१४६१–६२
श्रीमती लक्ष्मीकान्तम्मा	१४६२–६३
श्री नरसिम्हा रेड्डी	१४६३
श्री गौरी शंकर कक्कड़	१४६३
श्री मौर्य	१४६३–६५
आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में संकल्प	
श्री यशपाल सिंह	१४६५–६७
दैनिक संक्षेपिका	१४६८–७५

© १९६२ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।